राजस्थान विधान सभा

२४वीं बैठक, गुरुवार, दिनांक ५ अप्रेल, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८. १० बजे आरम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री तनसिंह ।

प्रश्न संख्या ३१६

राजस्थान की जेलों के लिये स्वीकृत समाचार पत्र और उनमें राष्ट्रदूत के होने न होने की जानकारी

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की तरफ से)—क्या गृहमन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान की जेलों के लिये कौन कौन से समाचार पत्र बन्दियों के पढ़ने के लिये स्वीकृत हैं ?

(ख) क्या इस स्वीकृत सूची में से राष्ट्रदूत को हटा दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास, (गृहमन्त्री)—(क) इस सम्बन्ध में साथ लगी सूची देखिए।

(ख) जी हां। जेलों में वही सूची मान्य है जो सरकारी विज्ञापनों के लिये मान्य है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जवानसिंह—इसके हटाने का कारण नहीं बताया आपने।

Page No 2

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बताया कि वेही पेपर भेजे जाते हैं जो विज्ञापन के लिये स्वीकृत हैं।

श्री जवानसिंह—राष्ट्रदूत स्वीकृत क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस पर पहले भी कई बार डिसकशन हो चुका है।

श्री जवानसिंह—क्या ये सब अखबार सब जेलों में जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—डी. डी. आर. अथवा पी. डी. एक्ट के अनुसार सब जेलों में जाते हैं। ए. बी. सी. डी. सब प्रकार की जेलों में इसी के अनुसार जाते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पंजाबी अखबार पढ़ने की क्यों नहीं आज्ञा दी जाती ?

श्री रामकिशोर व्यास—उन्होंने राजस्थान में एप्रूवल के लिये कभी एप्लीकेशन नहीं दी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर जिले से अगर ऐसी एप्लीकेशन दी हुई बताई जावे तो ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग से सवाल पूछियेगा।

श्री जवानसिंह—क्या राष्ट्रदूत अब एप्रूव्ड लिस्ट में आ गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार की ओर से इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति शाया हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जवानसिंह—क्या इन्हीं दिनों में सरकारी विज्ञापन उसे मिला है ?

श्री रामकिशोर व्यास—राजस्थान दिवस पर जनरली सबको दिया गया था, उसे भी दिया गया।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह मानकर दिया है कि अब वह ब्लेक लिस्ट में नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी बात नहीं है। सभी राजस्थानी पेपरों को दिया गया था, उसे भी दे दिया गया था; जनरल एमनेस्टी में आ गया था वह।

Page No 3

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३१७

भीलवाड़ा जिले के जागीरदारों के निजी तालाबों के पानी को खाली कराने से रोका जाना

श्री जगतसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भीलवाड़ा जिले के कुछ जागीरदारों के निजी तालाबों, जिनसे कभी सिंचाई नहीं होती थी, के पानी को समय पर खाली कराने से इस कारण रोका कि उन के तालावों में पेटा काश्त नहीं हो सके ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—इसका जवाब पहले दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३१८

जनवरी १९५५ के पश्चात् राज्य सेवा से पृथक किये गये फोरेस्ट गार्ड्स

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) १ जनवरी, १९५५ को राजस्थान में फोरेस्ट गार्ड की संख्या कितनी थी ?

(२) १ जनवरी, १९५५ के बाद कितने फोरेस्ट गार्ड नौकरी से अलहदा किये गये और कितने नये नौकर रखे गये ?

(३) जिन फोरेस्ट गार्ड्स को नौकरी से अलहदा किया गया उनमें से ऐसे कितने हैं जिनके खिलाफ कोई चार्ज शीट नहीं है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—(१) १४७१

(२) ९६ फोरेस्ट गार्ड्स अलग कियेगये ।

(३) ११५ फोरेस्ट गार्ड्स नये नौकर रक्खे गये ।

(४) ९५ अलग हुए जिनमें १३ ने इस्तीफा दिया, ३ रिटायर हुए और ३६ को अलहदा किया गया, ११ घर चले गये व २ मर गये ।

श्री चांदमल मेहता—ये ३६ आदमी वगैर कोई चार्ज शीट दिये अलहदा क्यों किये गये ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—वे टेम्परेरी थे इसलिये , और कस्टम विभाग के सर्प्लस स्टाफ को रखना जरूरी था इसलिये ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इनको अलहदा करने के बाद और कस्टम विभाग के आदमियों के लेने के बाद भी कई नये आदमी भी रक्खे गये ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—३६ आदमियों को अलहदा किया गया, उनकी जगह ३६ आदमी रक्खे गये ।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि बगैर चार्ज शीट दिये कुछ आदमी निकाले गये और उनकी जगह नये आदमी नियुक्त किये गये जो कस्टम विभाग के सरप्लस स्टाफ के आदमी नहीं थे ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—वे टेम्परेरी परपज के लिये रक्खे गये होंगे ।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर जो पहले टेम्परेरी थे उनको निकाल कर नये टेम्परेरी आदमियों को रखने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वक्त जरूरत पर प्लान्टेशन आदि के मौकों पर ऐसे आदमी तीन चार महीनों तक रक्खे जाते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही बात है कि जिन व्यक्तियों को निकाला गया वे मुस्तकिल तौर पर सर्विस में थे और उनको अपने कुछ नये आदमियों को रखने की दृष्टि से निकाला गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मुस्तकिल को किसी तरह से नहीं निकाला गया ।

श्री चांदमल मेहता—मुस्तकिल से क्या मतलब है आपका ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो मतलब डिक्शनेरी में है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि दो दो, ढाई ढाई साल की सर्विस वाले लोगों को निकाल कर अपनी मरजी के आदमियों को रक्खा गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह बात सही नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस बात की जांच करने को माननीय मन्त्री महोदय तैयार हैं कि जो मैं कहता हूँ वह सही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप कोई स्पेसिफिक इन्फोर्मेशन देंगे तो मैं जांच करवा लूंगा।

प्रश्न संख्या ३१६

बस्सी सामुदायिक विकास खंड के मोहनपुरा ग्राम में फरवरी ५६ में हुए का प्रशिक्षण शिविर पर व्यय

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की ओर से)—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बस्सी सामुदायिक विकास खण्ड के मोहनपुरा ग्राम में ता० १० से १६ फरवरी, ५६ तक जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया उसमें कितने शिक्षार्थियों ने भाग लिया और शिक्षकों की संख्या क्या थी ?

(ख) उक्त शिविर पर सरकार को कितना रुपया खर्च करना पड़ा ?

श्री रामकिशोर व्यास (सामुदायक विकास योजना मन्त्री)—बस्सी सामुदायिक विकास खंड के मोहनपुरा ग्राम में तारीख १० से १६ फरवरी, ५६ तक जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ उसमें १४४ प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण के लिये सामान्य रूप से कोई शिक्षक नहीं था। विभिन्न विभागीय अध्यक्षों तथा विस्तार कार्यकर्ताओं के सारगर्भित भाषण हुये थे।

(ख) उक्त शिविर पर १७१३) खर्च हुआ।

श्री जवानसिंह—इसका आयोजन किसने किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—ब्लॉक ने किया था।

श्री जवानसिंह—जब ब्लॉक ने किया तो वहां पर कोई भी शिक्षक नहीं था तो क्या काम किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग अलग हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स से कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर, वैटेरिनरी आदि विषयों पर जानकार लोगों के अलग अलग लेक्चर कराये गये।

श्री जवानसिंह—प्रशिक्षण शिविर खोलने के बारे में सभी जगह क्या यही तरीका अपनाया जावेगा ?

Page No 6

श्री रामकिशोर व्यास—जहां जहां जरूरत होगी वहां अपनाया जावेगा।

प्रश्न संख्या ३२०

बीकानेर वैटेरिनरी कॉलेज के लिये उचित होस्टल व्यवस्था का प्रबन्ध

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बीकानेर वेटेरीनरी कालेज में कुल कितने छात्र हैं ?

(ख) होस्टल में कितने छात्रों के रहने की व्यवस्था है और क्या यह सन्तोषजनक है ?

(ग) बाकी छात्रों के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने की सोच रही है और वह कब तक कर दी जायगी ?

(घ) क्या यह सही है कि काफी छात्र कालेज से बहुत दूर रहते हैं जिससे उनकी शिक्षा में बड़ा नुकसान पहुँचता है।

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) बीकानेर वैटेरिनरी कालेज में कुल २२४ छात्र हैं।

(ख) होस्टल में ९६ छात्रों की व्यवस्था है।

(ग) जी हां।

(घ) बाकी छात्रों के लिये नया भवन खरीदा जा चुका है। अब यह छात्रों के रहने के योग्य हो जावेगा तो छात्र उसमें रख दिये जावेंगे।

(ङ) जी हां। कुछ छात्र कॉलिज के बाहर रह रहे हैं इनके लिए भी शीघ्र ही होस्टल का प्रबन्ध हो जावेगा।

प्रश्न संख्या ३२१

जनवरी १९५५ के पश्चात् श्रम विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति के आधार इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद श्रम विभाग में कितनी नई पोस्टें क्रीएट की गईं ?

(ख) उक्त पोस्ट्स कब कब क्रीएट की गई और इन पर किन २ की नियुक्तियां की गई हैं ?

Page No 7

[श्रीचांदमल मेहता]

(ग) जिन व्यक्तियों को नियुक्तियां की गई हैं उनके नाम व योग्यताएं क्या क्या हैं ?

(घ) नियुक्तियों के पूर्व क्या आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे ?

(ङ) यदि हां, तो कब कब ?

(च) किन किन व्यक्तियों का श्रम विभाग में नियुक्तियां होने के बाद अन्य विभागों में परिवर्तन किया जा चुका है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद निम्न पोस्टें क्रीएट हुईं।

१. सहायक श्रम आयुक्त	२
२. गेम्स सुपरवाइजर श्रम कल्याण केन्द्र के लिये	२
३. लेडी ,, ,,	२
४. चौकीदार ,, ,,	२
५. चपरासी ,, ,,	२
६. लेडी टेलर्स ,, ,,	१०

(ख) उक्त पोस्टें कब कब क्रीएट हुईं तथा उन पर जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुईं वे मैं बताता हूँ :

सहायक श्रम आयुक्त के पद पर श्री नरेन्द्र कुमार की नियुक्ति १७-१२-५५ को की गई।

सहायक श्रम आयुक्त की पोस्ट पर अभी अभी श्री टीकमचन्द जैन की नियुक्ति हुई है। यह भी १७-१२-५५ को क्रीएट हुई।

गेम्स सुपरवाइजर, श्रम कल्याण केन्द्र के पद पर श्री प्रेमचन्द की विभागीय नियुक्ति ९-१-५६ से की गई।

गेम्स सुपरवाइजर श्रम कल्याण केन्द्र के पद पर श्री श्रवणकुमार की विभागीय नियुक्ति की गई ९-१-५६ से।

लेडी सुपरवाइजर, श्रम कल्याण केन्द्र पर कुमारी निर्मला को एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज द्वारा नियुक्ति की गई है जो ९-१-५६ को पोस्ट क्रीएट हुई।

Page No 8

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

इसी पोस्ट पर श्रीमती सी कनेन्डिल की एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज द्वारा नियुक्त हुई ६-१-५६ से।

चौकीदार श्रम कल्याण केन्द्र और चपरासी श्रम कल्याण केन्द्र की पोस्टें भी श्रम अधिकारी बीकानेर व कोटा ने एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के मार्फत भरी हैं ६-१-५६ से।

लेडी टेलर्स, श्रम कल्याण केन्द्र की पांच पोस्टों पर श्रीमती प्रेम हजेला, कुमारी उमा कोहली, श्रीमती हरबंसकुमारी, श्रीमती सरस्वती बाई और शांतिदेवी की नियुक्तियां की गई और ये सभी एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज के मार्फत भरी गई। ये सभी नियुक्तियां २६-१२-५५ को क्रीएट की गई।

(ग) जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई उनकी योग्यता इस प्रकार हैं :

१. श्री नरेन्द्रकुमार जोशी बी० ए०, एल एल० बी० प्रोविडेन्ट फण्ड इन्सपेक्टर, केन्द्रीय सरकार, जयपुर।

२. श्री प्रेमचन्द, मैट्रिक।

३. श्री टीकमचंद जैन बी० ए०, एल एल० बी०, सेक्रेटरी, माइका माइन्स।

४. श्री श्रवणकुमार जैन मैट्रिक।

५. कुमारी निर्मला मैट्रिक

६. कुमारी उमा कोहली सिलाई बुनाई कोर्स पास तथा बी. ए.

७. श्रीमती प्रेम हजेला ,,

८. श्रीमती हरबंस कुमारी ,,

९. श्रीमती सरस्वती बाई ,,

१०. श्रीमती शांतिदेवी ,,

११. श्रीमती सी फर्नेन्डिस इन्टरमीडिएट और सिलाई बुनाई कोर्स पास।

(घ) सहायक श्रम आयुक्तों की जगह पद वृद्धि द्वारा भरी गई है तथा गेम्स सुपरवाइजरों की जगह विभागीय नियुक्तियों द्वारा भरी गई।

लेडी टेलर्स की जगह आवेदन पत्र आमन्त्रित करके भरी गई है।

(ङ) लेडी टेलर्स की स्थानों की जगह आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गये थे। इसकी विज्ञप्ति लोकवाणी व नवयुग दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक २ व ३ फरवरी, १९५६ को प्रकाशित हुई।

श्री चांदमल मेहता—यह जो नियुक्तियां की गई हैं इनमें नये व्यक्ति कितने हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने अर्ज किया कि जिन लोगों को प्रमोशन दिया या जिनकी विभागीय नियुक्तियां नहीं हुई हैं वे सब नये व्यक्ति हैं ।

श्री चांदमल मेहता—यह जो विभागीय नियुक्तियां की गई हैं उनके बारे में आवेदन पत्र में क्या आमंत्रित किये गये हैं और नई नियुक्तियों के बारे में आमंत्रित नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो व्यक्ति प्रमोशन से भर्ती किये गये हैं उनके लिए आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—मैंने प्रमोशन के बारे में नहीं कहा है लेकिन जो नये व्यक्ति लिए गये हैं उन पोस्टों के लिए आवेदनपत्र क्यों आमंत्रित नहीं किये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—गेम्स सुपरवाइजर ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए उनमें से सिलेक्ट कर लिया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—आवेदन-पत्र क्यों नहीं आमंत्रित किये गये हैं ताकि अच्छे और योग्य आदमी एवेलेबल हो सकते थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह एल. डी. सी. के बराबर की जगह है । जो जो अच्छे योग्य और गेम्स में इन्ट्रेस्टेड हैं वही नाम आ सकते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या एल. डी. सी. की पोस्ट के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं मानी गई है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह विभाग के जरिये ही ऐसे आदमियों को भरती नहीं किया गया है । जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में रजिस्टर्ड थे उन्हीं के जरिये ले लिया है ।

श्री चांदमल मेहता—ये नियुक्तियां कितने कितने समय के लिए की गई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो आपने सवाल नहीं किया है कि कितने समय के लिए की गई हैं ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ये नियुक्तियां स्थायी की गई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—स्थायी भी करने का अधिकार है हैड आफ दी डिपार्टमेंट को ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एम्प्लोयमेंट आफिसर की नई नियुक्ति की गई है श्रम विभाग के मातहत ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज अभी तक केन्द्रीय सरकार के आधीन है।

श्रीचांदमल मेहता—क्या यह कोई नई नियुक्तियां राजस्थान सरकार के मारफत हुई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—राजस्थान सरकार के मारफत हो सकती है लेकिन नियुक्ति तो वास्तव में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ही हो सकती है।

श्री चांदमल मेहता—तो किन किन की नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष—किस की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज हमारे तहत में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—एम्लोइमेंट एक्सचेन्ज का हिसाब पूछ रहे हैं या श्रम विभाग का।

बृजसुन्दर शर्मा—सवाल तो पूछा है श्रम विभाग का और सप्लिमेंट्री पूछ रहे हैं एम्प्लोयमेंट एक्सचेज का।

प्रश्न संख्या ३२२

राजस्थान निर्माण के पश्चात् थानेदार बनाये जाने वाले भीलवाड़ा जिले के हैड कॉन्सटेबल्स

श्री कस्तूरचन्द—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान निर्माण के बाद जिला भीलवाड़ा के किन किन हैड कान्स्टेबलों को प्रमोशन दिया जाकर आफिएयेटिंग एस. आई. बनाया गया है ?

(ख) उक्त हैड कान्स्टेबलों के नाम योग्यता और लैंथ ऑफ सर्विस कितनी कितनी हैं और कौन २ कितने समय से ओफिशियेटिंग एस. आई का काम कर रहे हैं ?

(ग) ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको एस. आई. कन्फर्म किया जा चुका है ?

(घ) ऐसे कौन २ हैं जिनका कन्फर्मेशन सरकार के विचाराधीन है ?

[श्री कस्तूरचंद]

(ङ) उक्त कर्मचारियों में कौन कौन कितने २ समय से ओफिशियेटिंग एस. आई. का काम कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) राजस्थान निर्माण के बाद भीलवाड़े में तीन हैड कान्स्टेबलों को श्री कजोड़ीमल, श्री धूलीलाल और श्री बैजनाथ को सब इन्सपेक्टर बनाया गया है।

(ख) श्री कजोडीमल २. २. ४२ को पुलिस में भर्ती हुआ। उसने सातवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है तथा सी श्रेणी की ट्रेनिंग मेवाड़ पुलिस से पास की है।

श्री दूलीलाल सन् १६३५ में भर्ती हुआ। वह हिन्दी जानता है तथा उसने फौज की ट्रेनिंग प्राप्त की है तथा रिफ्रेशर्स कोर्स पास किया है।

श्री बैजनाथ हिन्दी जानता है। वह एक्स आर्मी आदमी है तथा उसके क्रेडिट पर ३ साल की सरविस है।

(ग) श्री कजोडीमल तथा श्री दूलीलाल कन्फर्म हो चुके हैं।

(घ) फिलहाल कोई नहीं।

(ङ) केवल श्री बैजनाथ ही ता० १४. ४. ५५ से ऑफिशियेटिंग सब इन्सपेक्टर का काम कर रहे हैं।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि प्रश्न (ख) में यह पूछा गया है कि ओफिशियेटिंग सब इन्सपेक्टर कौन कौन काम कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसका जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री कस्तूरचन्द—क्या प्रतापसिंहजी थानेदार हैं वह आपके राजस्थान बनने के पहले से ओफिशियेटिंग एस. आई. का काम कर रहे हैं, उनको कन्फर्म करने में आपको क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री श्रीदास गोयल—जो सब इन्सपेक्टर प्रतापसिंहजी····

श्री अध्यक्ष—No individual officers case should be pleaded in the House. It is not in the interest of the Member.

प्रश्न संख्या ३२३

राजस्थान केनाल के निर्माण से सिंचाई लाभ प्राप्त करने वाली बीकानेर की तहसीलें एवं ग्राम

श्री प्रभूदयाल—क्या सिंचाई मंत्रीजी निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान केनाल का कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा और उससे बीकानेर जिले की कौन कौन सी तहसीलों व ग्रामों की जमीनों की सिंचाई हो सकेगी ? तहसीलों व ग्रामों के नाम क्या क्या हैं ?

(२) इस जिले में कुल कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(१) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान केनाल चालू करने की अनुमति इस वर्ष दे दी है। तो केनाल का कार्य सन् ६५-६६ तक समाप्त हो जायगा।

बीकानेर जिले में निम्न लिखित तहसीलों के निम्न गांवों की सिंचाई इसके मातहत आयेगी:—

(१) तहसील बीकानेर के २३ गांव।
(२) तहसील हनुमानगढ़ के १६ गांव।
(३) तहसील अनूपगढ़ के ६३ गांव।
(४) तहसील रायसिंह नगर के २३ गांव।
(५) तहसील सूरतगढ़ के १८ गांव।

(२) राजस्थान केनाल का कार्य समाप्त होकर करीब ५ लाख एकड़ जमीन के लिए सिंचाई व्यवस्था संभव हो सकेगी। निश्चित सिंचाई के आंकड़े अभी नहीं दिये जा सकते हैं क्योंकि नहरों के मार्ग को अन्तिम रूप अभी नहीं दिया गया है।

श्री हंसराज आर्य—क्या इसमें लिफ्ट से भी पानी देने का काम शामिल है ?

श्री खेतसिंह—नहीं लिफ्ट से पानी देने का इसमें कोई काम नहीं है।

प्रश्न संख्या ३२४

वर्तमान चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट के नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा प्राप्त टी. ए. व डी. ए. की धन-राशि

श्री भैरूंसिंह—क्या वन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री भैरूसिंह]

(क) वर्तमान चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट अपनी नियुक्ति के पश्चात अपने मुख्य कार्यालय कोटा में कितने २ दिन किस २ महीने में रहे और उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोटा से उनकी डॉक जयपुर व जयपुर से कोटा उन तक पहुँचाने के लिए किस २ माह में कितना २ टी. ए. व डी. ए. में खर्च हुआ था ?

(ख) क्या यह सही है कि कोटा में सी. सी. एफ. की लगातार अनुपस्थिति के कारण सरकारी रकम का अपव्यय और काम की ढिलाई रहती है ?

(ग) वर्तमान सी. सी. एफ. को इस विभाग का किस प्रकार का और कितना ज्ञान है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—(क) अप्रेल १९५५ में ता० २२ व २३। मई १९५५ में ता० १८ व १९, जून १९५५ में ता० २७, २८, २९ व ३०, जुलाई १९५५ में ता० १ व नवम्बर, १९५५ में ता० १७, १८, १९ और २० ।

(ख) नाम	कोटा से जयपुर टी. ए.	डी. ए.	कोटा से दूसरे स्थान टी. ए.	डी. ए.
मई १९५५	१०. ८. ०	५. ०. ०		
जून १९५५	१४. १०. ०	१४. ०. ०	८७. ४. ०	२० ०. ०
जुलाई, ५५	६६. ९. ०	२५. ०. ०	११. ४. ०	
अगस्त, ५५	१०१. १२. ०	१९. ५. ०	६४. ७. ०	८. ० ०
सितम्बर,५५	१०१. ०. ०	१६. ०. ०		
अक्तूबर,५५	१०२. १५. ०	३३. ११. ०	७. ७. ०	
नवम्बर, ५५	५५. ११. ०	११. ०. ०		
दिसम्बर, ५५	१२५. १०. ०	२५. ०. ०	२८. ७. ०	१. ०. ०
जनवरी, ५६	२९. १५. ०	३. ०. ०	५२. ३. ०	९. ०. ०

(ग) जी नही; वर्तमान मुख्य बन संरक्षक रिटायर्ड आई. एफ. एस. हैं और अपने विषय के माहिर हैं।

प्रश्न संख्या ३२५

पाकिस्तानी सीमा पर १ अप्रैल ५५ से १५ फरवरी १९५६ तक हुई दुर्घटनायें एवं व्यक्तियों का अपहरण

श्री भैरूसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) १ अप्रैल सन् ५५ से १५ फरवरी ५६ तक पाकिस्तानी सीमा पर किस किस

Page No 14

[श्री भैरूसिंह]

प्रकार की कितनी २ दुर्घटनायें हुई और इनमे किस किस प्रकार का कितना कितना माल गया और उसमें से कितना बरामद हुआ ?

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं में कुछ व्यक्तियों का भी अपहरण हुआ है ? यदि हां, तो किन किन का और कब २, इनमें से कितने व्यक्ति वापस आये ?

(ग) उपरोक्त घटनाओं के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास— (क) इस समय में निम्नलिखित दुर्घटनाएं पाकिस्तानियों द्वारा की गई—

पशु चोरी ७७
लूटमार ५

श्री भैरू सिंह—धीरे बोलिए।

श्री अध्यक्ष—धीरे पढ़िए, वे नोट करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास—इस समय निम्नलिखित दुर्घटनाएं पाकिस्तानियों द्वारा की गई—

पशु चोरी	७७
लूटमार	५
डाके	७
हत्या	३
फरारी	१६
मुठभेड़	६

(ख) इन दुर्घटनाओं में ४५१ पशु, १२८५।१२।० के मूल्य के गहने तथा कपड़े, ३० सेर घी, रू० ३६८।१२।० के मुल्य के कपड़े तथा घरेलू सामान, एक १२ बोर बन्दूक तथा १८ कारतूस तथा १२ बोर बन्दूक का बट आदि माल गया।

(ग) २५३ पशु तथा रू० ३०० के कपड़े तथा गहने बरामद हुए।

(घ) इन दुर्घटनाओं में कुछ व्यक्तियों का भी अपहरण हुआ जिनके नाम ये हैं—

नाम	अपहरण की तारीख
मोहनलाल	१२. २. ५६

[श्री रामकिशोर व्यास]

भागीरथ	
सावन	३०- ७- ५५
फाईजान	
अल्लावद्द	
जवाय	५- ७- ५५
हीवब	१०- १२- ५५
जवाय	
उमर	१६- १२- ५५
सोजला	
लाल	
मुस्मात ड्डक्की	१८- ४- ५५
हजारी मल	१३- ६- ५५
अमरा	
करना	१२- १- ५६
पाबू	
परतापा	
(दो के नाम नहीं मालूम)	१८- ४- ५५
छोटा	
रतन	
सलीमोहम्मद	१०- ४- ५५
हमीर	
अरादीन	
बीदा	११- ४- ५५
पीरां	१८- ६- ५५
फाजू	
भागचंद और दो जाट के लड़के	२५- ७- ५५
भगवा राम	
हरचंद	१- ८- ५५

[श्री रामकिशोर व्यास]

फतहलाल	१२- १२- ५५
फूला	१८- ८- ५५
भीकूलाल	२७- १- ५६
किशन सिंह	२७- ४- ५५
मुसम्मात सवेरा	६- ६- ५५
गोविंद	
बाशता	८- २- ५६
बक्श राम	

ड. फरार किए गए व्यक्ति तथा चुराई गई सम्पति को प्राप्त करने के सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं । अपराधियों के पकड़ने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

श्री भैरूं सिंह—इन सारी दुर्घटनाओं में कितने अपराधी गिरफ्तार किए गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो आप अलग से पूछिए ।

श्री भैरूं सिंह—इसमें ही आया है ।

श्री रामकिशोर व्यास—आपने पूछा कि कितने बाकी रहे, मैंने बताया था ।

श्री भैरूं सिंह—क्या पाकिस्तान सरकार को भी इन दुर्घटनाओं के बारे में सूचित किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—आई. जी. पीज़ की कान्फ्रेंस हुई और उसमें चर्चा की गई थी ।

श्री भैरूं सिंह—बिलकुल ही नहीं सुनाई देता है माननीय अध्यक्ष ।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं फिर से दोहरा दूं कि पाकिस्तान में अभी कान्फ्रेंस हुई थी उसमें राजस्थान के आई. जी. पी. शरीक हुए थे और वहां बातचीत की गई ।

श्री भैरूं सिंह—इस कान्फ्रेन्स से पहले भी कोई चिट्ठी–पत्री हुई थी आपस में या नहीं या केवल बातचीत द्वारा ही ।

श्री रामकिशोर व्यास—डाईरेक्ट चिठ्ठी-पत्री का तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन आपसी डिस्कशन्स ओफिसर्स का होता है। इन सारी बातों से यह नहीं समझा जाय कि राजस्थान सरकार की ओर से कोई विरोध पत्र नहीं भेजा गया हो।

यह दोनों के ही आपस में डिस्कशन से ही हुआ है

श्री भैरों सिंह—क्या सरकार उचित समझती है कि कोरेस्पोंन्डेन्स के अलावा, चिठ्ठी पत्री के अलावा डिस्कशन से ही तय कर लिए जांय ?

श्री अध्यक्ष—उचित अनुचित का सवाल नहीं है।

श्री भैरों सिंह—क्या जो व्यक्ति बरामद हुए हैं वे पाकिस्तान में बरामद हुए हैं या वापिस आ गए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—आये तो हिन्दुस्तान में, कुछ पुलिस की कोशिश से भी।

श्री भैरों सिंह—कितने व्यक्ति पुलिस की कोशिश से आए, और कितने वैसे ही आ गए।

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग से सवाल करिये।

श्री भैरों सिंह—बरामद हुआ माल कितना पाकिस्तान में मिला और कितना हिन्दुस्तान में।

श्री रामकिशोर व्यास—यह भी अलग से सवाल करिये।

श्री भैरों सिंह—यह तो इससे सम्बन्धित है, माननीय मंत्री जी को पूरी जानकारी करनी चाहिए थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने आपको बताया था कि कितना माल बरामद हुआ।

श्री भैरों सिंह—मेरा प्रश्न यह है कि कितना माल पाकिस्तान में बरामद हुआ और कितना माल हिन्दुस्तान में बरामद हुआ ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३२६

गत तीन माह में जि० गंगानगर से राजस्थान के बाहर जाने वाली पकड़ी गई गायें एवं इस सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही।

श्री भैरों सिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि गत तीन माह में जिला गंगानगर से राजस्थान के बाहर निर्यात की जाने वाली कुछ गायें पुलिस द्वारा पकड़ी गई ?

(ख) यदि हां, तो किस किस के कब्जे से कितने कितने मवेशी किस किस स्थान पर पकड़े गये ?

(ग) अब यह मवेशी किन की निगरानी में हैं और इस संबन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी हां। नोहा के पास पंजाब की पुलिस द्वारा ३१४ गायें तथा बछड़े पकड़े गये।

(ख) ये गायें और बछड़े गौशाला में हैं।

(ग) मामला अदालत के विचाराधीन है।

श्री भैरूसिंह—क्या उन बंजारों को बिना जमानत के छोड़ दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—वे मवेशी छोड़ कर भाग गये थे और उन मवेशी का चालान कर दिया गया।

श्री भैरूसिंह—ये मवेशी कौन से थाने की पुलिस में गिरफ्तार किये ?

श्री रामकिशोर व्यास—नोहा के पास का है, गालिबन उन्होंने ही किया हो, यह डेफिनेट नहीं हैं।

श्री भैरूसिंह—सरकार को कैसे पता लगा कि मवेशियों को बनजारे ले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ लोगों ने रिपोर्ट की थी।

श्री भैरूसिंह—जब रिपोर्ट की तो बनजारे पुलिस के सामने प्रस्तुत थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री भैरूसिंह—क्या राजस्थान सरकार की ओर से अब तक कोई नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट, नियम के बारे में तो आप पढ़ा कीजिये यहां नियम थोड़े ही बताये जाते हैं।

प्रश्न संख्या ३२७

पिछले एक वर्ष से जिला चित्तौड़गढ़ में डाके की घटनायें-विशेषतया राशमी में

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

Page No 19

[श्री जगतसिंह झाला]

(क) क्या करीब एक वर्ष के बाद फिर से जिला चित्तौड़गढ़ में डाके की घटनायें शुरू हो गई हैं ?

(ख) कुछ ही दिनों पूर्व राशमी जिला चित्तौड़ के पास किस ग्राम में डाका पड़ा ?

(ग) किन २ व्यक्तियों का कितना २ रुपया व माल असबाब इस डाके में लूटा गया ?

(घ) क्या यह सच है कि पुलिस स्टेशन राशमी के थानेदार चित्तौड़गढ़ भूस्वामी आंदोलन के सिलसिले में बुलाये गये थे और घटना के समय पुलिस स्टेशन राशमी में कोई जिम्मेदार पुलिस ओफिसर नहीं था ?

(ङ) सरकार भविष्य में वहां पर इन घटनाओं की रोक-थाम के लिए पुलिस का विशेष प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) तारीख १६. २. ५६ को बारू ग्राम लूट मार की घटना हुई ?

(ग) इस घटना में निम्न व्यक्तियों का माल गया:

१.	श्री भूरालाल महाजन	का	४, ५००) का माल।
२.	श्री उगमलाल	का	१, ७००) का माल।
३.	श्री भोरीलाल	का	१, २००) का माल।
४.	श्री मोहन लाल	का	३००) का माल।
५.	श्री मदनलाल	का	८७।) का माल।
६.	श्री बंशीलाल	का	२००) का माल।

(घ) राशमी का एस. एच. ओ. बांसवाड़ा किसी शहादत के सम्बन्ध में गया था तथा वहां का हैड कॉन्स्टेबिल थाने का इन्चार्ज था।

(ङ) प्रश्न के भाग 'क' के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ३७८

नागोर जिले में सन् १९५२ से अधिक अन्न उपजाओ के अन्तर्गत दी गई तकाबियें

श्री भैरूसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) नागौर जिले में सन् ५२ से अब तक किस २ व्यक्ति को किस २ तारीख को किस २ काम के लिए ग्रो मोर फूंड के अन्तर्गत तकावी दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जाय ?

(ख) किन २ लोगों ने जिस काम के लिए रुपये दिये गये थे उस काम में इन रुपयों का उपयोग नहीं किया ?

(ग) सरकार को उपरोक्त प्रत्येक व्यक्ति के विषय में इस बात की कब कब जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद सरकार द्वारा क्या २ कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद एवं उद्योग मन्त्री)—(कृषि मन्त्री की ओर से)

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जानकारी की सूचना सूची में दी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ग) जिलाधीशों को आदेश दिया गया है कि रुपया शीघ्रातिशीघ्र १० प्रतिशत अधिक व्याज लेकर वसूल कर लिया जावे। इसकी कार्यवाही जिलाधीशों द्वारा की जा रही है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि जिन ३४ व्यक्तियों की सूची दी गई और जिनको तकावी दी गई तो क्या चार व्यक्तियों ने ही खरीदी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सूची में सारी जानकारी दे दी है।

श्री भैरूसिंह—जानकारी जरूर दी है लेकिन उस सूची पर किसी के दस्तख्त नहीं हैं, इस लिए मैं इसको कन्फर्म कराना चाहता हूं।

श्री भोगीलाल पंड्या—जो सूची दी है उसको कन्फर्म मानिये।

श्री भैरूसिंह—श्री बलदेवराम मैनेजर आर्य एग्रीकल्चर फार्म मंगलपुर को जो ८, ५००) की तकावी दी थी तो क्या अब तक उन्होंने जिस सामान के लिए तकावी ली थी वह सामान नहीं खरीदा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—श्री बलदेवराम; मैनेजर आर्य एग्रीकल्चर फार्म मंगलपुर को ११.६. ५३ को दी थी; उसकी वसूली की कार्यवाही जारी है।

श्री भैरूंसिंह—यह सरकार को सूचना, कब मिली कि जिस काम के लिए तकावी ली गई थी उन्होंने उसको उस काम में नहीं लिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख की जानकारी करके बता सकता हूँ, वैसे वसूली की कार्यवाही हो रही है।

श्री भैरूंसिंह—सन् ५२ से लेकर अब तक कितनी रकम वसूल की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कुल रकम तो बता दी गई है। लेकिन यदि व्यक्तिशः कितनी वसूल की गई, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, बाद में दी जा सकती है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह मुआहदा हुआ था कि यह रकम ६ इन्स्टालमेंट्स में दी जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी सूची अलग से बतायी जा सकती है लेकिन जितनी जानकारी आपने चाही उतनी दे दी गई। एक एक व्यक्ति के लिए तो आपने पूछा नहीं, अगर पूछते तो वह भी बता दी जाती।

श्री भैरूंसिंह—जब कि सन् ५३ में पता लगाया गया था कि जिस काम के लिए तकावी ली थी वह सामान नहीं खरीदा गया है तो सन् ५३ से लेकर अब तक सन् ५६ तक रकम वसूल नहीं की इसका क्या कारण है और किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने जवाब में बता चुका हूँ कि जिस किसी ने नहीं खरीदी है, उससे मूल रुपया और १० प्रतिशत जुर्माना उससे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है और काफी वसूल हुई है और हो रही है।

श्री भैरूंसिंह—मैंने श्री बलदेवरामजी के लिए पूछा था कि सन् ५३ से लेकर सन् ५६ तक वसूल नहीं किये जाने का क्या कारण है और यह किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक एक व्यक्ति के लिए तो इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है। एक एक से अलग वसूली हो रही है इस सम्बन्ध में पूछते तो मैं बता देता।

श्री भैरूंसिंह—कुछ व्यक्तियों से मालूम हुआ कि सन् ५६ तक वसूल नहीं किया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया की वसूली की कार्यवाही हो रही है। आपने बलदेव रामजी के लिए पूछा तो मैंने अर्ज किया कि आप अलग से पूछ लीजिये मैं जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा। आपने प्रश्न में एक एक व्यक्ति के लिए तो पूछा नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—मेरे प्रश्न के 'ग' भाग को पढ़ते तो पता लगता कि उपरोक्त प्रत्येक व्यक्ति के विषय में इस बात की कब २ जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद सरकार द्वारा क्या २ कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अपने उत्तर में बता दिया था कि जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र वसूली की कार्यवाही करें और जिलाधीश कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरूं सिंह—मैं यह पूछ रहा हूं कि सन् ५३ से लेकर अब तक ५६ तक जानकारी प्राप्त क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—If the reply is inadequate the Hon'ble Member has right to table half an hour discussion.

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय अध्यक्ष, मैंने सूची देदी है। लम्बी लिस्ट है। किसी एक व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। पहले पूछ लेते तो दिक्कत नहीं आती, यह भी बता दिया है कि रकम कितनी थी और तारीख कितनी थी; तारीख जिस पर कि जानकारी हुई, यह सब सूची में है आप इसको देख लें।

श्री भैरूं सिंह—यही तो पूछ रहा हूँ कि जानकारी दे दी है तो यह क्यों नहीं बताते कि वसूली क्यों नहीं हुई और प्रत्येक के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूं कि जिलाधीश को आदेश दिया गया है कि रुपया शीघ्रातिशीघ्र वसूल किया जावे। जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब बराबर दिया है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह माना जाय कि बलदेवरामजी से सन् १६५३ से लेकर आज तक कोई वसूली नहीं हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्न पूछे बगैर कैसे बताता ? अगर आप पूछते कि कब कब वसूली हुई तो बताता।

श्री अध्यक्ष—He has a special case in view, about which he wants to ask.

श्री भोगीलाल पंड्या—आप अलग से प्रश्न पूछिये मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरूंसिंह-एक निवेदन और करना चाहता हूं, प्रश्न के विषय में नहीं लेकिन अमुमन क्या होता है कि जिस विभाग के मंत्रीजी को प्रश्न पूछते हैं वे जवाब नहीं देते और नये मंत्रीजी जवाब देते हैं जिनको पूरा पता नहीं होने के कारण उत्तर स्पष्ट नहीं होता। इसलिये हिदायत करने की कृपा करें कि जिस विभाग से संबंधित प्रश्न हो उसी विभाग के मंत्रीजी उसका उत्तर दिया करें।

श्री अध्यक्ष—ANY Minister can reply. I cannot bind them down.

श्री भोगीलाल पंड्या—जो कुछ पूछा गया है उसका पूरा पूरा उत्तर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—Then what is desired ?

NEXT.

प्रश्न संख्या ३२६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले विकास खण्ड-विशेषतया चित्तौड़गढ़ में

श्री जगतसिंह झाला—क्या मंत्री सामुदायिक विकास योजना विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष कौन कौन से जिलों में विकास खंड नये खोलने का सरकार विचार करती है ?

(ख) चित्तौड़गढ़ जिले की कौन कौन सी तहसीलों में इस वर्ष यह खंड खोले जावेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास (विकास मंत्री)—(क) यह प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या ३३०

ग्राम नरवर (तहसील किशनगढ) की डकैती के डाकुओं की गिरफ्तारी एवं माल की बरामदगी

श्री चांदमल मेहता-क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) ग्राम नरवर तहसील किशनगढ़ में जो डकैती हुई वह कब हुई और उसमें कुल कितने रूपये कामाल लूटा गया ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) डकैतों की संख्या कितनी थी और उनके पास वाहन क्या क्या थे ?

(ग) डकैती कितने बजे से कितने बजे तक होती रही ?

(४) पुलिस में इत्तला कितने बजे हुई और पुलिस मौके पर कितने बजे पहुँची ?

(५) उक्त डकैती में कितने डाकू गिरफ्तार हुये और कितना माल बरामद कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) ग्राम नरवर में तारीख २४. २. ५६ को डकैती हुई ।

(२) इसमें रू० ३६,५६१ । ३ । ६ का माल लुटा ।

(३) डकैतों की संख्या ७ थी तथा उनके पास कोई वाहन नहीं था ।

(४) शाम के साढ़े चार बजे से साढ़े सात बजे तक ।

(५) पुलीस स्टेशन पर इसकी सूचना लगभग आठ बजे रात को दी गई तथा पुलिस मौके पर रात को साढ़े दस बजे पहुंची ।

(६) इस डकेती के संबंध में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी और न कोई माल ही बरामद हुआ ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डकैत रात को ८ बजे तक नरवर में ही थे और पुलिस को दिन में ६ बजे ही सूचना पहुँच गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बतलाया न कि पुलिस को इत्तला लगभग ८ बजे पहुँची ।

श्री चांदमल मेहता—आपने जो बताया वह गलत बताया ।

श्री अध्यक्ष—आपको जब सही इन्फोर्मेशन है तो फिर पूछते क्यों हैं ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डकैती जहां हुई वहां पुलिस न पहुँच कर अजमेर पहुँची ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने अपने उत्तर में बताया है कि पुलिस मौके पर पहुँची थी ।

Page No 25

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पुलिस नरवर की तरफ रवाना न होकर अजमेर की तरफ रवाने हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी जानकारी करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डकैती करने वाले व्यक्ति पुलिस की वर्दी में थे और उनके स्टार लगे हुए थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—पुलिस की वर्दी में थे यह सही है।

श्री अध्यक्ष—क्या उनके स्टार भी लगे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह मालूम हुआ है कि वे पुलिस की युनिफार्म पहिन कर आये थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो व्यक्ति डकैती करने के लिये आये थे वे प्रत्येक व्यक्ति को जानते थे और नाम ले लेकर उन्होंने डकैती की है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डकैत नरवर और आसपास के रहने वाले थे और पुलिस उनको गिरफ्तार करना नहीं चाहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि नरवर के आसपास कई डाके पड़े हैं और एक का भी पता नहीं लगाया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग प्रश्न पूछिये तो बताऊंगा कि कहां कहां डाके पड़े ?

श्री चांदमल मेहता—क्या पुलिस सी. आई. डी. द्वारा जांच कराई गई कि इसमें क्या राज है।

श्री रामकिशोर व्यास—पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सी. आई. डी. द्वारा जांच कराई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—पुलिस जांच कर रही है।

श्री किशनलाल शाह—नरवर से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है ?

श्री रामकिशोर व्यास—करीब ११ मील।

श्री श्री दास गोयल—क्या तफतीश करते समय श्री चांदमलजी का सहयोग प्राप्त किया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—We will be thankful to him for the information he gives.

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डकैती के वक्त कुछ लोगों ने कुछ आदमियों के नाम बताये थे जो नरवर के आस-पास के रहने वाले हैं, लेकिन तफतीश करते समय उन लोगों को नहीं पकड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष—तफतीश के मामले में आप कैसे पूछ सकते हैं ? Is the Minister expected to know every detail of the investigation. He can only give broad details. He is not the investigating Officer.

श्री चांदमल मेहता—लेकिन जहां २६००० रुपयों की डकैती हो जाय और मौन रहें

श्री अध्यक्ष—But then specific question should be directed to that direction. How can the Members expect the Minister to give information in detail about every detail of the investigation ?

श्री किशनलाल शाह—नरवर से पुलिस स्टेशन ११ मील दूर हैं यह अभी आपने बताया और आपके अनुसार ८ बजे पुलिस को सूचना मिली और १०॥ बजे पुलिस पहुँची; तो ११ मील पहुंचने में इतना समय कैसे लग गया, यह कैसे लगा ?

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या ३३१

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में माही परियोजना रखी जाने सम्बन्धी

श्री सोहनलाल—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में माही परियोजना रखी गई है ?

[श्री सोहनलाल]

(ख) क्या इस परियोजना से जल विद्युत प्राप्त की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(क) हां।

(ख) संभव है। माही नदी से विद्युत प्राप्त करने की योजना सरकार के विचाराधीन है। इस काम को लेने के पहिले इसका विस्तृत तखमीना बनाना जरूरी है, इसमें काफी समय लगेगा। यदि तखमीने से यह प्रतीत हुआ कि बिजली सस्ती मिल सकती है, तो कार्य अवश्य किया जायगा, अन्यथा नहीं।

श्री सोहनलाल—क्या तखमीना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है ?

श्री खेतसिंह—यह जैसा कि पहले निवेदन किया है, इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल विभाग से ताल्लुक रखने वाला सवाल है। आप उनको पूछेंगे तो वे बतावेंगे।

प्रश्न संख्या ३३२

जि० भरतपुर में ट्रैक्टर खरीदने को दी जाने वाली तकावी रकम सम्बन्धी

श्री जयानसिंह—Will the Minister for Agriculture be pleased to state:—

(a) Whether the Government have given Taqavi loans for the purchase of tractors to the needy landholders in Bharatpur ?

(b) Will the Minister please place on the table of the House a list showing the receipients of this loan ?

(c) What amount, if any, has the Government received back so for, and what is still to be recoveree ?

(d) Is it a fact that loan was advanced to persons for the purchase of tractors who actually possess no land ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां।

(ख) सूची संलग्न है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) यह सूचना जिलाधीशों के पास रहती है। इस विभाग में जो सूचना आई है उसके अनुसार ५४,०४६ रूपये वसूल हो चुके हैं। और १,२०,५६४ रू. वसूल होना बाकी है।

(घ) नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जवानसिंह—Mr Speaker, will the Government look at serial Nos. 7 and 41 and say whether the persons mentioned therein possess any land in Bharatpur district ?

श्री भोगीलाल पंड्या—I have already replied "nahin"

श्री जवानसिंह—Will the Government hold an enquiry in the matter whether the persons at serial No. 7 and 41 hold any land ?

श्री भोगीलाल पंड्या—I have already replied nanin"

श्री हरिकृष्ण व्यास—Whether the reply "nahin" is in respect of the denial of enquiry or in respect of the land in possession ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने यह प्रश्न पूछा था कि क्या यह सत्य है कि ऐसे व्यक्तियों को भी दिया गया था जिनके पास वास्तव में अपनी जमीन नहीं थी। यह जो पूछा था वह ठीक नहीं पूछा था। उसका जवाब दिया गया।

श्री जवानसिंह—सीरियल नं० ७ से ४० के आगे जो बताया है उनके पास कितनी जमीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग अलग पूछेंगे तो जानकारी करके बताया जायगा। यदि आप पूछते कि किस किस के पास जमीन है, तो यह भी बताते। यह आप नई सूचना दे रहे हैं, मालूम करके बता सकते हैं।

श्री जवानसिंह—मैं नई सूचना दे नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि सीरियल नं० ७ से ४० के पास जमीन है या नहीं, और है तो कितनी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बतला चुका हूं। लेकिन कितनी है यह आपने पूछा नहीं था।

प्रश्न संख्या ३३३

श्री अध्यक्ष—श्री माधोसिंह ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

प्रश्न संख्या ३३४

ग्राम गोवर्धनपुरा (तहसील किशनगढ़) में हुई डकैती के माल की बरामदगी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम गोवर्धनपुरा, तहसील किशनगढ़ में कब डकैती हुई, और उसमें कितने कितने रुपये का माल लूटा गया ?

(२) उक्त डकैती में कितने डाकू गिरफ्तार हुए, जिनमें कौन कौन अदालत द्वारा बरी कर दिये गये ?

(३) उक्त डकैती में कुल कितनी बरामदगी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) ग्राम गोरधनपुरा में ८ तथा ९ जनवरी १९५५ की दरमियान रात को डकैती हुई जिसमें रु० २०००।०।० का माल लूटा गया ।

(२) तीन गिरफ्तार हुए, जिनमें से किशोरसिंह तथा मोडिया अदालत द्वारा बरी हुए ।

(३) रु० १५५ का माल बरामद हुआ ।

श्री चांदमल मेहता—जो आदमी बरी हुए हैं उसका क्या कारण है ? क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी हांसिल की ?

श्री रामकिशोर व्यास—बेनिफिट ओफ डाउट होता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनमें अजमेर पुलिस का एक कांस्टेबिल भी था ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी हां, यह सही है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस वक्त गिरफ्तारी की गई उस वक्त किश-

[श्री चांदमल मेहता]

नगढ़ के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट ओफ पुलिस और अजमेर के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट ओफ पुलिस के बातें हुई थी और रेकार्ड बनाया गया था वह पेश हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास--जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—किस बात की ?

श्री चांदमल मेहता—इस बात की कि फर्जी मुकदमा बनाया और दोनों की जो बातें हुई उसको रेकार्ड किया गया और रेकार्ड पेश हुआ जो रेकार्ड मौजूद है ?

श्री रामकिशोर व्यास—फर्जी मुकदमा नहीं बनाया गया, यह बात गलत है।

प्रश्न संख्या ३३५

जयपुर में चल रही टेक्सी गाडियों में मीटर लगाने की व्यवस्था संबंधी

श्री जगतसिंह झाला—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि जयपुर में चलने वाली टैक्सी कारों के मीटर नहीं लगने से यात्रा करने वालों को माइलेज की जानकारी नहीं हो पाती ?

(ख) क्या यह सच है कि कुछ प्राइवेट कार वाले भी इन्हीं टेक्सी वालों की तरह सवारी उठा ले जाते हैं और टैक्सी वालों को नुकसान होता है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि मोटर वेहिकल एक्ट के अन्दर मीटर लगाने का जिक्र होते हुए भी अब तक इसकी कार्यवाही नहीं हो रही है ?

(घ) सरकार इस विषय में कब तक विचार करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) टैक्सी मीटर के अभाव में माइलोमीटर से भी दूरी जानी जा सकती है, जो हर एक टैक्सी में होता है।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।

(ग) कार्यवाही करली गई है और सेक्रेटरीज, आर. टी. एज. को इस संबंध में तकाजा किया जा रहा है कि टैक्सीज मीटर जल्दी फिट करावें।

Page No 31

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३३६

जयपुर से कोटा तक सीधी बस सरकार द्वारा चलाने सम्बन्धी कार्यवाही

श्री केसरीसिंह—क्या यातायात मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर से कोटा तक डाइरेक्ट बस चलाने की इजाजत किसको दी गई है ?

(ख) यह सर्विस कब तक चलने लग जावेगी ?

(ग) क्या इस सर्विस को सरकार स्वयं चलाना चाहती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) किसी को नहीं।

(ख) निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(ग) हां यदि आर. टी. ए. द्वारा परमिट मिल जाय तो।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३३७

सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की बड़ी लाइन का फाटक खुलवाने की व्यवस्था करना

श्री श्रीदास गोयल—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सच है कि सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन बड़ी लाइन का सदर रेल्वे फाटक अधिकतर बन्द रहता है जिससे यातायात घंटों ठप्प हो जाता है ?

(२) क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

(३) यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) सम्बन्धित अधिकारियों से इस विषय में लिखा पढ़ी की जा रही है।

श्री श्रीदास गोयल—किन संबंधित अधिकारियों से ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार के रेल्वे विभाग से।

श्री श्रीदास गोयल—क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि भारत सरकार के रेल्वे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह स्वीकार किया है कि यदि राजस्थान सरकार आधे रुपये दे तो आधी रकम इसके लिए हम से मंगा ली जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या—हां। वहां की म्युनिसिपैलिटी को कहा गया कि आधा रुपया वह दे दे, पर उसने इन्कार कर दिया, वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी आधा रुपया देने के लिए कहा गया पर उसने भी इन्कार कर दिया, हालां कि राजस्थान सरकार भी सहायता देगी, अभी कार्यवाही चालू है कि कितना रुपया राजस्थान सरकार दे।

श्री श्रीदास गोयल—कब तक यह यह निर्णय किया जा सकेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि वहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और वहां की म्युनिसिपैलिटी भी सहायता दे दे तो आसानी से जल्दी ही हो सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार म्युनिसिपैलिटी का मेन्डेटरी आर्डर दे सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नही।

श्री श्रीदास गोयल—सरकार कब तक वास्तविक व्यवस्था करा सकेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—रुपये की व्यवस्था होते ही। जयपुर में भी ऐसी समस्या है, पर अभी तक यहां भी नहीं होने पाया है। सरकार सवाई माधोपुर के लिए जो यह कठिनाई है, उसके लिए चिंतित है।

श्री श्रीदास गोयल—सवाई माधोपुर में जो यह कठिनाई है उसके लिए सरकार चिंतित है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद पर अब क्या निश्चित तारीख कही जा सकती है कि कब तक इस कठिनाई को मिटाने के लिए कदम उठाया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—निश्चित तारीख तो नहीं बताई जा सकती पर सरकार इस कठिनाई को अवश्य महसूस करती है।

श्री श्रीदास गोयल—महसूस करना तो कोई रेमिडी नहीं।

श्री भोगीलाल पंड्या—अच्छा होता कि माननीय सदस्य वहां की म्युनिसिपैलिटी से या वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कह कर रुपया दिला देते।

श्री श्रीदास गोयल—सरकार को मालूम है कि वहां की म्युनिसिपैलिटी की हालत इन्सोल्वेन्सी जैसी है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक दो लाख रुपये की इतनी बड़ी रकम देने की हालत में नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार अन्दाज नहीं लगा सकती।

श्री श्रीदास गोयल—जब करोड़ों रुपया पंचवर्षीय योजना पर लगाती है, तो इसमें क्यों नहीं लगाती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—श्रम दान दीजिये।

श्री अध्यक्ष—अल्पकालीन सूचना प्रश्न। श्री भोलानाथ।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

श्री भवानी सहाय शर्मा, एम. एल. ए., के प्लोट पर भूस्वामियों द्वारा हमला इत्यादि

५. (७ एस.एन. क्यू) **श्री भोलानाथ, एम.एल.ए. (१६)**—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दि० १६-३-५६ को श्री भवानी सहाय शर्मा, एम एल. ए. के प्लाट नं० एच. २६ सी स्कीम पर कुछ भूस्वामियों ने राजपूत बोर्डिंग के लड़कों को साथ लेकर हमला किया, और प्लैन्थ लेवल तक बनते हुए मकान को गैंती सदबल इत्यादि से तोड़ दिया तथा कारीगरों को डरा धमका कर भगा दिया ?

(ख) इस प्रकार शान्ति भंग करने वाले भूस्वामियों के प्रति सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी कार्यवाही हुई है और कितने भूस्वामी अभी तक गिरफ्तार हुये हैं ?

(घ) उपरोक्त घटना को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस मकान की बनावट को सुरक्षा के साथ चालू रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री राम किशोर व्यास (गृह मंत्री)—१. तारीख १६. ३. ५६ को रात के ८ बजे श्री भवानी सहाय ने पुलिस स्टेशन स्टेच्यू सर्किल में यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि सर्व श्री सुमेर सिंह तथा हरिसिंह राजपूत कुछ राजपूत लड़कों के साथ श्री भवानी सहाय के बनते हुए प्लोट पर आये जिनके पास लाठी, गैती अथवा फावड़े थे और वहां काम करते हुए कारीगरों को डराया-धमकाया, और plinth level तक बने हुए मकान को गिरा दिया। सर्व श्री समेर सिंह तथा हरि सिंह भूस्वामी संघ के आन्दोलन में कोई भाग नहीं ले रहे बताये।

(२) मामले की अभी तफतीश हो रही है।

(३) अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(४) जी नहीं ; यह अपनी किस्म का अकेला ही मामला है।

(५) यदि शिकायत करने वाले को किसी प्रकार का किसी आदमी से भय है तो preventive action कानून के अनुसार लिया जा सकता है।

श्री भोलानाथ—आपने फरमाया कि व्यक्तिगत मामला है। पर यह सुरक्षा का मामला है, सामूहिक रूप से कार्यवाही की गई; आपसी मामला नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास—सुमेरसिंह, और हरिसिंह, दो ही आदमियों के नाम बताये गये हैं, बलवे के लिये कम से कम ५ आदमियों की जरूरत है।

श्री भोलानाथ—वे लोग ५० ,६० लड़कों के साथ गये और सामूहिक रूप से हमला किया।

श्री रामकिशोर व्यास—यह बात हमारे सामने नहीं लाई गई है कि कौन कौन लड़के थे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय मंत्रीजी ने कहा कि अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। यह कोग्निजेबल ओफेंस है और असाल्ट किया गया है तो फिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—सहादतें नहीं हुई हैं और बहुत सी बातें हैं जो कहना ठीक नहीं है।

श्री भोलानाथ—क्या माननीय मंत्रीजी के ध्यान में है कि हजारों की तादद में भूस्वामी यहां आ रहे हैं, वे कहीं विजय चिन्ह समझ कर वहां के पत्थर नहीं उठा कर ले जांय ?

श्री रामकिशोर व्यास—भू स्वामियों से इसका सम्बन्ध भी है कि नहीं, इसमें भी डाउट है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री बृजेन्द्रपाल, विभाजन संख्या २३, ने दिनांक २ अप्रेल, सन् १९५६ से ६ अप्रेल १९५६ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक १९५६ (प्रवर समिति को)

Yes राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (संशोधन) विधेयक, सन् १९५६ पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे और उस समिति को यह आज्ञा दी जाय कि वह २ महीनों के अन्दर अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

स्थिति यह है कि १९५४ में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल पास हुआ अध्यक्ष महोदय, उससे पहले जयपुर स्टेट के कोई पुराने कानून के मुताबिक लगभग पूरे जयपुर डिवीजन में नामजद किये हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शुरू कर दिये गये थे और, लगभग ५२ के अन्त से जब जब यह प्रश्न विधान सभा में आया है तभी पहले एक वर्ष, डेढ वर्ष और २ वर्ष तक यह कहा गया कि अब नया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट आने वाला है, वह लगभग तैयार है, वह विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद जैसे ही पास हो जायगा वैसे ही नये एक्ट के मातहत सब जगह ठीक से चुनाव करा दिये जायंगे।....

बार बार आश्वासन देने के बाद, और बराबर आश्वासन देने के बाद, भेद भाव दूर करने के बाद, १९५४ में यह एक्ट पास हुआ और जिसकी स्वीकृति १३. २. ५४ को श्री मान् राजप्रमुख ने दी। वह एक्ट लगभग एक साल तक राजस्थान के सचिवालय में पड़ा पड़ा सजव होता रहा। जिस तरह से तमाखू सजव होती है उसी तरह से यह बिल भी वहां पर एक साल तक पड़ा रहा और २६.१.५५ को उसको लागू होने की घोषणा की गई। अध्यक्ष महोदय, यह इसका बेक ग्राउन्ड है। यह वह पृष्ठ भूमि है जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। एक्ट बनते समय समय लगा, और बहस होने के बाद, पास होने के बाद, श्री मान् राजप्रमुख की स्वीकृति होने के बाद भी यह एक्ट एक

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

साल तक राजस्थान सचिवालय में पड़ा रहा और मैं समझता हूं कि वह इस लिये पड़ा रहा कि जहां जहां मनोनीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, जहां जहां अपने समर्थकों का हाथ है, या अपने पक्ष या गुट के लोग हैं या जो उनके इशारे से चलने वाले लोग हैं, और जिनको उन्होंने मनोनीत करके चार्ज दिलाया है, कहीं ऐसा न हो कि वे ढुलक न जावें। कहीं ऐसा न हो कि जनता उनको उन स्थानों से अलग न कर दे। इसलिये ऐसा करने में दो वर्ष का अर्सा बिता दिया। एक साल तो उसको पास कराने में और बाद में जब पास हो गया तो एक साल के बाद उसको लागू किया और एक साल तक सचिवालय में पड़ा रखा। एक्ट में यह दर्ज था और इस सदन में जब बहस हुई तो उस समय के स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि आज तक हुआ, सो हुआ अब हमने धारा २ की उप धारा (२) में यह व्यवस्था कर दी है कि यह एक्ट लागू होने के ६ महीने के अन्दर नये बोर्ड का चुनाव हो जावेगा, और बार बार आश्वासन देने के बाद यह धारा स्वीकार की, और उसका नतीजा यह हुआ कि जनवरी १९५५ से ६ महीनों के अन्दर अन्दर बोर्ड की व्यवस्था हुई नहीं, और चुनाव हुए नहीं। हुआ क्या ? हुआ यह है कि एक ऑर्डिनेन्स शाया करके ६ महीनों की मोहल्लत और ले ली गई, और फिर ६ महीनों की अवधि रखी गई, इस तरह से १२ महीनों के बाद नवम्बर के महीने में मौजूदा स्वायत्त शासन मंत्री ने जब एसेम्बली का अधिवेशन चल रहा था इसके लिये कहा कि अब तक चुनाव नहीं हो पाया और अब ६ महीनों के पहले पहले चुनाव करा दिये जावेंगे। तारीख की घोषणा कर दी गई है, और इस तरह से कह कर पूरी तरह से हाउस को तसल्ली दिलाई गई, और ६ महीनों की मोहल्लतली गई। अब वह ६ महीनों की अवधि बीत गई है। एक ६ महीनों को बढ़ा कर एक साल किया गया, और आज इस विधान सभा में जो कानून प्रस्तुत किया गया है, उसके द्वारा उनकी यह इच्छा है कि ६ महीनों की अवधि और बढ़ा दी जावे। जो ६ महीनों की जगह एक साल की अवधि इसके लिये पहले बढ़ाई गई थी, वह काफी नहीं है। ये चाहते हैं कि एक साल को डेढ़ साल कर दिया जावे, और यह भी चाहते हैं कि आम चुनावों तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कराने का इरादा नहीं मालूम होता है। वह इसलिये कि कहीं हमारे पक्ष के लोगों को जहां पर नोमिनेशन से थोपा गया है, कहीं निकल न जावे। पहले ६ महीनों की अवधि ली और वह अवधि पूरी होने पर फिर ६ महीनों की, और अब उसके बाद फिर ६ महीनों की अवधि इस तरह से अवधि बढ़वा रहे हैं। एक साल आप एक्ट पास करके सचिवालय में दबा कर बैठे रहे, फिर अवधि लेते रहे, और अब कहा जाता है कि ६ महीनों की अवधि और बढ़ाई जावे। पुराने जमाने में सुनते थे कि राजाओं के जमाने में अथवा कोई दूसरे बड़े लोगों के यहां, और अरेबियन नाइट के किस्सों में सुनते थे कि लोगों को जब पकड़ कर लेब्रीम में ले जाया जाता था, तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया करते थे इस प्रकार की प्रथा थी ताकि पता नहीं चले कि उस व्यक्ति को किस रास्ते से ले जाया गया, और वह कहां पर आया है ? मगर इस १८ वीं अथवा १९ वीं शदी को भी हमारी सरकार ने मात कर दिया और वह इसलिये कि अध्यक्ष महोदय, कि उस जमाने में लोगों की आंख पर पट्टी बांध कर काम किया जाता था मगर आज कल तो लोगों को मोरफिया का इंजेक्शन दे कर लोगों की समझ पर परदा डालने का प्रयत्न किया गया है। यह क्यों नहीं कहते साफ साफ कि चुनावों से हमको डर लगता है कि कहीं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हमारे लोग जो नोमिनेशन से थोपे गये हैं, और जो हमारे काम आते हैं, उनको स्थान नहीं रहेगा। आम चुनावों के समय स्कूलें खोलने, कहीं जच्चाखाना खोलने आदि की बातों का आश्वासन दिया गया था, उन सारी की सारी चीजों का मेनुफुलेशन हो जावेगा, और सारे के सारे दरबार का पन्ना उलट जावेगा। इसलिये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम आम चुनावों तक इस संबन्ध में कुछ नहीं करेंगे। यह बहुत अफसोस की बात है और मैं कहूंगा कि अगर आप इस विषय पर गंभीरता से सोचें तो इस पर दो राय नहीं हो सकती, कि विधान सभा के कार्यकाल में राजस्थान सरकार ने तो इस मामले में तो रेकार्ड तोड़ दिया, कमाल कर दिया, और राजस्थान सरकार ने तो कम से कम आले दर्जे का रेकार्ड कायम किया है इस मामले में कि उसने पब्लिक के चुने हुए विधान सभा के सदस्यों से यह काम कराया और मोहलत पर मोहलत लेते रहे और यह सिद्ध कर दिया कि हम चुने हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम करने के लिये तैयार नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मंशा जिस देश की हो, उसको किस तरह से समय की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिये। हो सकता है एक बार के लिये सरकार चाहे तो अवधि बढ़ाई जावे और उस पर विचार किया जा सकता है मगर एक बार अवधि दी गई फिर अवधि बढ़ाई गई और फिर अवधि बढ़ाने के लिये मांग की जाती है। मेरे जैसा व्यक्ति भले ही एक बार अवधि के लिये अनुमति दे दे मगर दूसरी बार में तो अवधि देते समय हिचकिचाहट रहेगी। एक दफे तो अवधि दी जा सकती है और शायद विधान सभा के लोग यह समझें कि बोनाफाइड मिस्टेक हुई है, सरकार की नियत में तो कोई गड़ बड़ नहीं हैं अवधि बढ़ाई जा सकती है लेकिन लगातार एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी दफे लगातार आश्वासन दिये जावें, और फिर भी चुनाव नहीं कराये जावें, यह कहां का इन्साफ है ? उनका मकशद यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो अड्डे हैं, वे किसी तरह से उनके हाथों से चले न जावें, इस लिये बार बार ऐसा कह कर अवधि बढ़ाने के लिये कोई अधिकार नहीं रह जाता, मैं तो यह कहूँगा कि we shall judge this Government not by its sweet words but by its actions, इसलिये इसकी अवधि बढ़ाना बिल्कुल गलत बात हो जावेगी। जो एक्शन्स हैं वे बिल्कुल प्रजातान्त्रिक नहीं हैं। इसलिये इस पर गंभीरता से विचार करना अति आवश्यक है। इसके पहले मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि ओरिजनल एक्ट पास हुआ, उसमें धारा ६ है जिसमें यह उल्लेख है :

"The rural area of a district shall be divided into constituencies for the purposes of election of members to the Board. Each constituency shall consist of such contiguous villages......"

मूल एक्ट में इस प्रकार है :

"such contiguous villages as may be prescribed and shall return such number of members to the Board as the State Government may..."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह है ओरिजिनल एक्ट की धारा। अब जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसमें यह है कि

"consist of such contiguous villages"

इनके एवज में यह प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है

"that shall be formed in the prescribed manner by the prescribed authority."

पुराने एक्ट में यह बन्धन था, अगर आपको कोन्स्टीट्यूएन्सी बनानी है, तो रूल्स के मातहत और भी दूसरी चीजों का विचार करके बनायेंगे। इसमें जो जरूरी बन्धन था, वह यह था कमसे कम कन्टीग्यूअस विलेजेज की कोन्स्टीट्यूएन्सी बनेगी। अब शायद इस संशोधन से यह मन्शा है, कि यह नीयत है, अब शायद यह प्रयत्न है कि गेरीमेन्डलींग कोन्स्टीट्यूएन्सी की जा सके और अगर उसमें यह विधान आड़ा आता है जो कोन्टीग्यूअस विलेज का जो बन्धन रह गया है इसे तब्दील करके यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है "इन दी प्रेसक्राइब्ड मेनर" इस प्रकार से गोल माल होकर नतीजा यह होगा, एक गांव के बीच दो चार मील का फासला छोड़कर दूसरे गांव उसमें मिलाना इत बैठे उत मारना वाली प्रवृति इस संशोधन द्वारा करने की मन्शा प्रतीत होती है। इसमें भी उसी प्रकार की धान्धली करना चाहते हैं, जिस प्रकार कि पंचायतों के इलेक्शन के अन्दर एक गांव इधर के क्षेत्र में है, तो दूसरा गांव दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में, उसी प्रकार इस संशोधन के जरिये करने की इच्छा मालूम होती है।

माननीय मंत्री महोदय से जब पंचायतों के बारे में जिक्र आता है, तब मंत्री महोदय जोर से कहते हैं तो कोई शिकायत हो तो बताइये मैं जांच करने के लिये सदैव तैयार हूं। मैं अरज करना चाहता हूं इसमें शिकायतों की जांच करने की बात तो बाद में आयगी मरीज का इलाज करने की नौबत तो बाद में आयगी इनफेक्शन के कीटाणु जो हम दे रहे हैं ये बीमारी के कीटाणु शरीर में डाल रहे हैं बीमारी का इलाज करने के बजाय आपको पहले इस प्रकार के कीटाणुओं को रोकना चाहिये इलाज की आवश्यकता फिर आने की नहीं, इस संशोधन विधेयक द्वारा हम इस प्रकार के भयंकर कीटाणु शरीर के अन्दर प्रवेश करा रहे हैं, जो बाद में जाकर बड़ा भयंकर रूप धारण कर सकते हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हर उसूल को आपने ताक में रख दिया है हर सिद्धान्त को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है, और जिस प्रकार मरजी आये वैसा ही कानून बना दिया जाय यही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। जो एक बन्धन पहले एक्ट में था कन्टीगूअस विलेजेज का, अब इसको भी आप हटाना चाहते हैं क्या आप इस तरह की कोन्स्टीट्यूएन्सीज बनाना चाहते हैं, जिसके अनुसार कनकपुरा हो एक जगह दूसरी ओर बस्सी हो और तीसरी ओर सांगानेर हो, बीच का इलाका है उसकी एक कोन्स्टीट्यूएन्सी हो और आस पास के तीनों गांवों की अलग अलग कोन्स्टीट्यूएन्सी हो यह इतना गंभीर किस्म का संशोधन है इसके जरिये एक बात और होगी, वह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह कि प्रेसक्राइब्ड मेनर बाई दी प्रेसक्राइब्ड आथोरिटी यह दर्ज करने की बात इस कानून द्वारा पास कराना चाहते हैं, उसके अनुसार रूल्स बनेंगे। रूल्स बनने में ला डिपार्टमेन्ट ने देरी कर दी तो क्या होगा, चुनाव को आगे धकेलने की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन जैसे और दूसरे इम्पलीकेशन्स इसके द्वारा होंगे जो इसमें पहले कन्टीगूअस विलेजेज की जो बात रखी है, उस दिक्कत को भी आप हटा देना चाहते हैं ताकि गारवेन्डलिंग का रास्ता खुल जाय। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, जो ओरीजनल एक्ट था और जिसमें बहुत बहस के बाद में तो यहां तक कहूंगा बार बार उस पर विचार होने के बाद इधर और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों से सलाह मशविरा लेने के बाद यह धारा १२ इसमें रखी गई जिसमें यह कहा गया।

"The election of the members of the Board for the purposes of this Act shall be held in accordance with the system of proportional representation." अब जो नया संशोधन प्रस्तुत हुआ है अध्यक्ष महोदय, उस संशोधन के जरिये यह प्रयत्न किया जा रहा है, सिस्टम ओफ प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स आफ दी सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट के स्थान पर, शब्द इन दी प्रेसक्राइब्ड मेनर अर्थात् इसके लिये भी सरकार बाद में नियम बनायेगी और उन्हीं नियमों के अनुसार चुनाव हो जायगा। यह एक माना हुआ सिद्धान्त है। अल्पमत के प्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधि भेजने के लिये गारन्टी देनी हो और पचास प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा अगर किसी के पास बहुमत हो उसमें अल्पमत वालों को स्थान देने के लिये यह प्रोवीजन किया गया है। उसका एक तरीका है वह तरीका यह है कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन का प्रबन्ध किया जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन का उल्लेख है। मैं आपके सामने यह अर्ज करूं फ्रान्स और इटली जैसे मुल्कों में वहां की विधान सभाओं में चुनाव के लिये प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन का उल्लेख है। इन्डोनेशिया की पार्लियमेन्ट के चुनाव में प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन का उल्लेख है, वहां जो आम चुनाव होते हैं जिसे जनरल इलेक्शन कहते हैं जिसमें लाखों की तादाद में मतदान होता है उन मुल्कों में भी वहां पार्लियामेन्ट के वहां की विधान सभाओं के आम चुनाव प्रोपोरशन रिप्रेजेन्टेशन के सिद्धान्त को स्वीकार करके रखा है, लेकिन वही प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन आपको बुरा लग रहा है, कहीं ऐसा न हो कि अल्पमत के लोगों का कभी प्रतिनिधि आजाय। और अगर एक भी प्रतिनिधि आगया तो वह ज़रूर पूछेगा कम से कम हिसाब की जांच करायेगा, आडिट कराया जायगा, वह जरूर पूछेगा, अगर दवाइयां खरीदी का मामला है तो जैसा कि इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हुआ है, सरकार की नाक के नीचे हुआ है जिसमें टेन्डर का फेब्रीकेशन देखने को मिला, अगर अल्पमत का एक भी प्रतिनिधि आयेगा तो वह जरूर पूछेगा, कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जीपें पंचायतों के चुनाव में दौड़ी दौड़ी फिर रही थी, सीकर और झूंझ के अन्दर इनके फोटो तक ले लिये गये और सरकारी अधिकारियों को कहा गया कि चलो हम आपके सामने बता दें लेकिन गये नहीं लोग। उन्होंने देखा कि अगर पहुँच जायेंगे, तो कौन उनको पकड़ेगा कानून को इस प्रकार परित्याग करने का मौका नहीं मिलेगा और इसीलिये कि कोई भी अपराधी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पहुंच जाय, इसलिये यह प्रणाली हटाना चाहते हैं। अपने अपने चेले चांटे अपने अपने लोग जो पार्टनर्स इन दी मेनेपुलेशन पार्टनर हो सके, ऐसे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लोगों को लाना है, अब वह जब तक नहीं लाये जा सकते, जब तक कि प्रोपोरेशन रिप्रेजेन्टेशन के सिद्धान्त को हटाया न जाय। जब तक brute majority के जरिये जब तक ५१ फीसदी लोग आपके पास हैं, ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो सकता कि कोई विरोधी भी इसमें आजाय। यही है इस संशोधन के जरिये आपकी मन्शा, और इसी वजह से चुनाव के अन्दर देरी की जा रही है कि पहले प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन का खून कर दिया जाय। अब अफसोस तो यह है कि यह बात अपने गलत इरादों को सामने प्रस्तुत करते हुए भी नहीं हिचकिचाते। इसकी भी जिम्मेवारी डाली जाती है बेचारे पंचों पर अथवा सर पंचों पर। जैसा कि इस बिल के स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में कहा गया है कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की प्रणाली बहुत कोम्पलीकेटेड है, हमारे पंच अथवा सर पंच इस बात को समझ नहीं पायेंगे और जो चीज समझ नहीं पायेंगे, तो गलतियां करेंगे, अतएव हम प्रोपरशनल रिप्रेजेन्टेशन के सिद्धान्त को छोड़ रहे हैं।

अब मैं आपकी सेवा में वे तरीके प्रस्तुत करूंगा, जो दुनियां के विभिन्न इलाकों में हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन का जो मेकेनिकल तरीका ईजाद हो चुका है वह प्रस्तुत करूंगा अगर किसी कोन्स्टीट्यूएन्सी में सारे लोगों को चुनकर भेजने की स्थिति हो तो एक वोट का तरीका प्रोपोरशनल का यह है, जैसा कि अपनी विधान सभा द्वारा फाइनेन्सियल कमेटीज अथवा कौन्सिल ओफ स्टेट के चुनावों में तरीका अपनाया जाता है।

लेकिन एक और दूसरा तरीका ईजाद हो चुका है। वह प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन का, और वह यह कि बैलट पेपर के जरिये रिप्रेजेन्टेटिव का चुनाव होता है। हर वोटर को उतने ही बैलट पेपर दिये जावेंगे जितने केन्डीडेट्स हैं और उसको यह अधिकार है चाहे तो वह पूरे के पूरे बैलट एक को डाल दे, या अलग अलग को डाल दे। नतीजा यह होता है कि माइनोरिटीज का भी गारन्टीड रिप्रेजेन्टेशन इसमें रहता है, और उस प्रोपोरशनल में उसका रिप्रेजेन्टेशन रहता है जिसमें वह इलेक्टोरेट के अन्दर अपना असर रक्खे। तो यह कहने का ढंग कि लोगों की समझ में नहीं आवेगा, यह गलत दलील है, बेकार की दलील है, और दर असल इसमें सरकार की ईमानदारी झलकती है। वह इसे ईमानदारी से चाहती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वायत्त शासन मंत्री) ईमानदारी से तो चाहती ही है :

श्री हरिकृष्ण व्यास—ईमानदारी का तो अभी सुबूत मिल जावेगा। अगर माइनोरिटीज का गला घोंटने का इरादा सरकार का नहीं है, बल्कि केवल मतदाताओं की गलती के या ना समझी के बारे में आशंका होने के कारण ऐसा किया जा रहा है, तो मैंने अर्ज किया कि इस कानून को सिलेक्ट कमेटी में जाने दीजिये। वह सिलेक्ट कमेटी स्वयं सब विचार कर लेगी, कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की पद्धति को कायम रखते हुए भी, किसी प्रकार अल्पमत को मौका देते हुए भी, किस प्रकार ऐसे वोटिंग का तरीका प्रस्ताव में लाया जा सकता है, जो न सिर्फ बहुत सीधा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सादा है । बल्कि ज्यादा कन्वीनीयेन्ट हो । मैंने मिसाल दी । और भी मिसालें हो सकती हैं, और भी दूसरे सुझाव हो सकते हैं, मेरा यह दावा नहीं, न था, न होगा कि इन चीजों के बारे में ओथोरिटेटिव जानकारी मेरे ही पास है । पर मैं आशा करता हूं कि ऐसा दावा सरकार भी नहीं कर सकती और यह काम सिलेक्ट कमेटी में हो सकता है । ऐलान करें मंत्री महोदय कि हमारी अल्पमत को रिप्रेजेन्टेशन देने के सिद्धांत का परित्याग करने की नीयत नहीं है या मैं ऐलान करता हूं, जिम्मेदारी से ऐलान करता हूं कि यह नीयत है दर असल सरकार की अल्पमत को रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया जाय । उस वक्त तो वे इसे कर गये । पर बाद में सोचा कि यह गलती हो गई, अब दुबारा फिर उसे दुरुस्त कर लिया जाय । इस नीयत से यह संशोधन यहां लाया गया है । पर मैंने अपने प्रस्ताव में जो बात कही उसकी दलील में कह रहा था कि बहुत बड़े उसूल की बात है । प्रोपोरशनेट रिप्रेजेन्टेशन का सिद्धान्त कोई मामूली टेक्नीकल बात नहीं है जिसमें संशोधन कर दिया जाय । यह उस एक्ट का मामूली अंग नहीं है जिसमें परिवर्तन आसानी से कर दिया जावे । जो एक्ट बनाया गया उसका लाइफ थ्रोबिंग सेन्टर कोई अगर है, हार्ट इसका कोई है तो वह है धारा १२ में जिसमें हमने प्रोपोरशनेट रिप्रेजेन्टेशन का उल्लेख किया है और उसी का इस तरह से परित्याग कर देना, इस प्रकार उसमें संशोधन कर डालना, इसका तात्पर्य यह होगा कि सारे एक्ट को हम इस अपनी कैंची से कतर कर ट्रन्केट कर रहे हैं । ऐसा ट्रन्केटेड एक्ट बनाने से पहले इस पर पूरा विचार होना आवश्यक है और इसलिये भी यह सिलेक्ट कमेटी में जाना आवश्यक है ।

इतना ही नहीं, पर जो संशोधन करना है उसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई सैस पहले से चल रही है और उस सैस की वसूली का मामला सामने आवे तो :

"The District Board shall recover it as arrear of land revenue."

अब यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एरियर आफ लैण्ड रेवेन्यू के तौर पर यह सैस कैसे रिकवर कर पावेगा, यह तो मेरी समझ में नहीं आई बात । म्यूनिसिपैलिटी में तो ऐसा कोई कानून नहीं है और एरीयर आफ लैण्ड रेवेन्यू के रूप में भी वसूल करने का प्रश्न है तो उसे सरटीफाइ करके पब्लिक डिमान्ड रिककवरी एक्ट का जैसा अलग कानून है उसके मातहत तहसीलदार के पास वह जावे, और फिर इसके खिलाफ processes इश्यू करे और फिर रिकवर करे । पर धारा इस प्रकार की इसमें रक्खी है "Shall be recoverable by the Board as if it were an arrear of land revenue." अब यह बोर्ड कैसे एरीयर आफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह कलेक्ट करने का प्रोसीजर ले लेगा ? वह तो न सिर्फ समझ में आने वाली बात नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि लीगल्ली भी गलत है, डिफेक्टिव है ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और अन्त में एक धारा इस प्रकार की भी इसमें प्रस्तुत की गई है कि पहले जिन कानूनों के मातहत जो बोर्ड बने थे उन कानूनों में उन बोर्डों की अवधि मुकर्रर थी, अध्यक्ष महोदय और नोमिनेट करके भी रक्खेंगे तो वह अवधि का मामला तो वैसे का वैसा कायम रहेगा। अब राज सरकार ने अपने मेनुअर के जरिये नये चुनाव के ऊपर तो रोक ही नहीं लगा दी है बल्कि नये चुनावों को तो पोस्टपोन करते करते उन नोमिनेटेड बोर्डों को प्रोटेक्ट किया पर जिन कानूनों के मातहत वे बोर्ड बने थे उनमें खुद में उन बोर्डों के मौजूदा लोग थे कि उनकी अवधि दो वर्ष, तीन वर्ष से ज्यादा नहीं तो अब उनका इन्तकाल होने का मौका आया, संरक्षण मिलने के बाद भी, प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी नेचुरल डैथ हो रही है, उसकी अवधि पूरी हो रही है तो आया यह एक्ट हमारे सामने जिसके अन्दर उनको संजीवनी बूंटी दी जा रही है कि जिस कानून के तहत तुम बने उसकी तहत तो तुम खत्म हो रहे हो लेकिन भरोसा करो हमारी इस सरकार का, भरोसा करो प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले इन राजस्थान के नेताओं का, भरोसा रक्खो समाजवादी पैटर्न का, समाज बनाने की दुहाई देने वाले इन शासकों का, भरोसा करो बार बार सोश्यलिस्टिक पैटर्न का उल्लेख करने वाले इन नोमिनेटेड बोर्डों के पुजारियों का जो कहते हैं कि जिन कानूनों के मातहत तुम बनाये गये और अपने फतवे के जरिये तुम एक रात में बादशाह बना दिये गये, अब तुम्हारी नेचुरल डैथ हो रही है अगर, तो यह संजीवनी बटी लो, हम लाये हैं, तुम्हारी डैथ को रोक देंगे। इन कानूनों के अन्दर संशोधनों को रखकर वे कहेंगे कि अगर उन कानूनों की तहत तुम्हारी अवधि पूरी होती है तो भी :

"They shall be deemed to continue till the elections are held."

अध्यक्ष महोदय, यह भी कोई कानून है ? यह भी कोई तरीका है ? यह भी कोई सभ्य समाज का ढंग है ? मैं पूछना चाहता हूं कि इससे कौन से दुश्मनों को राज मिल जाने वाला है ? जनता पर कौनसी बड़ी आफत का तूफान आने वाला है ? आखिर क्या हम इन थर्ड रेट नोमिनेटेड बोर्डों से डर जावें ? ये जनता पर किस तरह के जुल्म करते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। हमें तो चाहिये कि हम इन पर, लोगों पर जुल्म करने पर पाबन्दी लगा दें। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह दावा है कि जहां जहां ऑडिट पार्टियां गई हैं, मुझे मालूम है कि एक दो जगह तो वे गई हैं पर बाद में उन्हें रोक दिया गया और जगह जाने से। उन ऑडिट पार्टीज़ ने, जो उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की, उन नोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, अपनी कट्टरता की बार बार दुहाई देने वाले, अपने ऊंचे सिद्धान्तों और आदर्शों पर चलने की दुहाई देने वाले मेरे माननीय मन्त्री महोदय भी इसका उल्लेख करके स्पष्ट जवाब दें कि क्या वे वह आडिट रिपोर्ट इस सदन की मेज पर प्रस्तुत करने को तैयार हैं ? क्या उस आडिट रिपोर्ट में इन बोर्डों की भयंकर अनियमितताओं का उल्लेख नहीं है ? इन आडिट रिपोर्टों पर कोई भी दूसरी संस्था होती तो न सिर्फ इन बोर्डों को डिज़ोल्व ही कर देती पर उन मनोनीत अधिकारियों, सदस्यों या चैयरमैन जिनको बनाया गया था उन पर क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन करने की भी नौबत आ जाती। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। लेकिन वह ऑडिट रिपोर्ट भी इस सरकार द्वारा दबाई गई और इतना ही नहीं, वह सब दबाकर अब कहा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जा रहा है कि उन भयंकर किस्म की अनियमितताओं के करने वालों को संजीवनी बटी देकर कायम रखो उनको जिन्दा रखो। क्यों नहीं खत्म होने देते हो उनको ? नया चुनाव कराइये। इसमें देर करना है अगर, जानबूझ कर देर करना है या अनजान करना है तो तब तक के लिए जयपुर म्युनिसिपैलिटी में जिस तरह तीन साल से एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, उस तरह अगर किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चुनाव नहीं करा सकते तो वहां थोड़े दिनों के लिये एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर दीजिये। पर इन मनोनीत लोगों को इतने बुरे काम करने के बाद और लगातार गलतियां करने के बाद भी चालू रखना यह कहां का न्याय है, यह कहां तक उचित है और अगर नहीं करना है आपको ऐसा, तो जल्दी से जल्दी चुनाव ही क्यों नहीं कराये जाते ?

जनवरी ५६ के महीने में नोटिफिकेशन निकला था और सदन में कहा गया था कि अब तो चुनाव हो ही जावेंगे। वह नोटिफिकेशन न मालूम क्या हुआ, पर मैंने सुना है वह प्रिफरेन्शियल रिप्रेजेन्टेशन की बात आडी आ जाने से वह इलेक्शन का इरादा ही छोड़ दिया गया और उसी के परिणामस्वरूप यह संशोधन का कानून हमारे सामने आया है।

मेरे माननीय मित्र जो इस सदन में बैठे हुए हैं उनमें से कई की व्यक्तिगत जानकारी की चीजें है। उधर बैठने वाले माननीय मित्रों की जानकारी की चीज़ है। आज वह व्यवस्था की गई है कम से कम जयपुर डिविजन के मनोनीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड राजस्थान और जयपुर डिविजन के आम लोगों की आखों के अन्दर एक नमूना है। वह सरकार के प्रजातन्त्र के हामी होने का एक नमूना है। अपने वायदों के ऊपर चलने के बारे में कहीं कट्टरता है, उसका एक नमूना है, अगर वह नमूना है कि काला पड़ रहा है। लोग देख देख कर कह रहे हैं कि यह गलत है, यह अप्रजातान्त्रिक है, यह अन्यायी तरीका है। लोग कह रहे हैं कि देर से क्यों न हो लेकिन दुरुस्त आये। लेकिन ताज्जुब है और अफसोस है कि देर से चीज की लेकिन दुरुस्त नहीं हुई। जितनी आज तक की प्रजातान्त्रिक बातें थी उनके बजाय अ-प्रजातान्त्रिक बातें करवाने का संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इतनी गम्भीर बातें ऐसे ही आसानी से सदन में पास कराने का प्रयत्न करना किस तरह से वाजिब गिना जायगा। मैं नहीं मानता कि ऐसे गम्भीर कानून बगैर सोचे समझे, बगैर विचार किये वैसे ही पास कराना कहां तक ठीक होगा ? इसीलिये हमें कहा जा रहा है कि इस कानून में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन कायम रखा है। मेरे वह बस की बात होती तो मेरा यह प्रस्ताव होता कि इस कानून को रद्द कर दिया जाय, इसकी कोई आवश्कता नहीं। लेकिन मैंने वैसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। मैंने दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, लेकिन यह मेरा ही प्रश्न नहीं है, मेरी राय का ही प्रश्न नहीं है, यह सारे सदन का प्रश्न है। चाहे किसी माननीय सदस्य की कुछ भी राय हो। चाहे वे किसी पार्टी को बिलोंग करते हों, लेकिन इस काम में कहीं ऐसा न हो कि जल्दबाजी के अन्दर गलत कदम उठा लिया जाय। इसलिए वह संशोधन है। और भी संशोधन हो सकते हैं। अपने अनुभवों के आधार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पर और भी कितनी धाराओं पर संशोधनों की आवश्कता हो सकती है। इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए मैंने अपना प्रस्ताव रखा है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। वह प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय कि पूरी छानबीन करके, जांच करके उसके बाद अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे और तब इसको विचारार्थ लिया जाय। तब तक विचारार्थ लेने की आवश्कता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैंने जो प्रस्ताव रखा है वह प्रस्ताव सदन के माननीय सदस्यों की स्वीकृति की इच्छा रखते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष एक बहुत ही घातक एमेंडिंग बिल पेश हो रहा है। मैंने इसके बारे में सदन से यह प्रार्थना की है कि इस कानून को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। वैसे तो राजस्थान एक बहुत ही बड़ा प्रान्त है। राजस्थान में जैसा कुछ हो रहा है वह बहुत ही कम है, लेकिन स्वायत शासन संस्थाओं के सिलसिले में इस प्रान्त के अन्दर जो कुछ प्रगति हुई है वह भारत के लिए ही नहीं दुनियां के लिए अनुकरणीय है। मैं इस बात को मानकर चलता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दो बरस से चुनाव नहीं हुआ था। तब से हम यह सुनते आ रहे हैं कि सरकार, बहुत मुमकिन है कि इधर उधर की बातों के करने के कारण और कई कारण होने के कारण इन चुनावों को रोक रही थी। एक दो बार सदन के अन्दर चर्चा आई तो जवाब मिला कि चुनाव तो जल्दी ही कराना चाहते हैं लेकिन पंचायतों के चुनाव पूरे नहीं हुए हैं अभी तक इसलिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पुनर्गठन अभी नहीं हो सकता। उस वक्त भी हमने यह सोचा कि खैर कोई बात नहीं और महीने दो महीने का समय दे दिया जाय तो क्या हर्ज है। जो कुछ पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में धांधलियां कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं उनको तीन साल से बरदाश्त कर रहे हैं, तो तीन महीने और सही। लेकिन उस समय हमने, अध्यक्ष महोदय, यह कल्पना नहीं की थी कि इस बिल के अन्दर उसको रोक कर ऐसी विचाराधारा लोगों में चल रही है कि जिस उद्देश्य से राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल पास किया गया था उस उद्देश्य को ही खत्म कर दिया जाय और खत्म करने का सबसे बड़ा नमूना यह वर्तमान एमेन्डिग बिल है।

इस बिल के अन्दर जितनी भी धारायें है वे बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन इसके अन्दर जो चुनाव की पद्धति की धारा है वह एक ऐसी खतरनाक धारा है कि जिसके ऊपर इस बात को लेकर इस सदन के समक्ष सदस्य यह कह देते कि इस बिल को विड्रॉ कर लिया जाय तो वह उचित होता, लेकिन मैंने यह उचित समझा कि अगर यह कहा जाय कि इस बिल को विड्रॉ कर लिया जाय तो बहुत मुमकिन है कि सरकार यह समझे कि हमारी प्रेस्टिज का सवाल है, किन्तु ऐसी खतरनाक चीजों को अगर हमको कुछ करना है और किसी प्रकार का संशोधन भी करना है तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि सरकार धैर्य के साथ उन लोगों से भी बातचीत करेगी जो कि इस विचारधारा से शायद मेल नहीं खाते हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आदमी सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने को कहते हैं या जो आदमी इस बिल को विड्रा करने को कहते हैं वे लोग वास्तविकता में इस

[श्री मानसिंह महार]

बात को लेकर चलते हैं कि हम राजस्थान के अन्दर स्वायत्त शासन संस्थाओं में किसी प्रकार के जातिवाद को बिल्कुल नहीं आने दें। जिस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपने एक्ट में रखी गई थी उससे हम यह आशा करते थे कि किसी इलाके में अगर ग्राम पंचायतों में धांधलियों की वजह से कोई इस प्रकार की बात हो गई कि किसी जाति विशेष के या किसी गुट विशेष के आदमी आ गये हों तो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर उन इलाकों में से जो एक, एक या दो, दो जो और आदमी रहेंगे उनकी राय से १ या २ आदमी जरूर ऐसे आ जायेंगे, और उनके आने से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर किसी पार्टीक्युलर जाति विशेष या गुट विशेष का ही आधिपत्य न हो जायगा। लेकिन जब इस एमेन्डिंग बिल को देखा तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा महसूस हुआ कि यह बात इन्टेन्शनली की गई है। यह बात रखी गई है कि चुनाव की प्रणाली को ही बदल दिया जाय। मैं नहीं समझता कि इतने वाद-विवाद के बाद इस सदन में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल पास किया गया, इसके अन्दर मामूली इधर उधर की कुछ, तजुर्बे के आधार पर कहें या और कहें, एक दो बातें रह जातीं तो वह कर दिया जाता कि इस प्रकार के एमेंडमेंट्स आने चाहिए, लेकिन एमेंडमेन्ट के रूप में डिस्ट्रिक्ट एक्ट जिस सिद्धान्त से पास कया गया उस सिद्धान्त को नष्ट भ्रष्ट कर दें यह एक सरासर अन्यायपूर्ण कदम है सरकार का। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी नीयत से सरकार ने यह काम किया हो वह सरकार बधाई की पात्र नहीं है। सरकार के लिए बहुत मुमकिन है कि वह नियत खराब न हो, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा है हमारा पुराना तजुर्बा हमको बताता है कि इस सरकार ने पहले ऐसे ऐसे काम किये हैं कि जिस सरकार ने पंचायतों के अन्दर ऐसी ऐसी धांधलियां की हैं, जिस सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव २-३ साल तक नहीं कराये, जिस सरकार ने जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आज तक आडिट नहीं कराया, वहां लाखों रुपयों की रकम का आज तक ऑडिट नहीं हुआ है, ऐसी सरकार की तरफ से इस प्रकार का एमेन्डमेन्ट आना और वह भी ऐसे समय में आना जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होने जा रहे हैं बड़ी विचित्र बात है। हम यह आशा करते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव जल्दी ही हो जायेंगे, और उस ओर प्रगति भी हो रही है, और वह प्रगति क्या हुई है यह काला कानून बताता है, जो सरकार पास कराना चाहती है। मैं कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस बात से बढ़कर लोकल बोडीज़ पर कुठाराघात नहीं हुआ है जैसा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों के सिलसिले में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट को पास किये इतना समय हो गया लेकिन चुनाव नहीं कराये गये तो एक तजुर्बा सरकार के पास नहीं है इस मतदान प्रणाली को बदलने के लिए और एमेन्डमेन्ट कोई ऐसे काम पर करना चाहिये जिसका कि कोई तजुर्बा हुआ हो। यह एक ऐसी बात थी कि इस सदन के अन्दर बहुत लम्बे चौड़े वाद-विवाद के बाद अच्छी चीजें हम यहां पर रखना चाहते थे,

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि अच्छी बातों को बहुमत के बल के ऊपर हमारी सरकार नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है।...

एक माननीय सदस्य—बहुमत में आप भी तो हैं।

Page No 46

श्री मानसिंह महार— यह मेरा दुर्भाग्य है जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने फरमाया लेकिन मैं उन भेड़ बकरी में से नहीं । अगर मौका आयेगा तो मैं पहला आदमी हूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इशू पर कांग्रेस पार्टी से इस्तिफा दूंगा । (करतलध्वनि) मैं जानता हूं कि मेरी जो मांग है वह जरूरी है । मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं वह जनता के भले के लिए कहता हूं । मैं इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकता हूं कि जनता के ऊपर अत्याचार किया जाय, जनता का गला घोंटा जाय किसी गुट विशेष को कायम रखने के लिए । मैं इस सिद्धान्त के खिलाफ हूँ । आप इस तरफ बैठकर यह चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर ऐसी प्रणाली अपनाई जाय कि जो कांग्रेस के विरोधी हैं वे नहीं आयें, उनके अपोजिशन के आदमी नहीं आयें, इस प्रकार की आपकी जो नीति है वह गलत है । हमको विरोध को सहन करने की शक्ति अपनानी पड़ेगी । हम लोगों को हेल्दी अपोजिशन बनाना पड़ेगा, और उस हेल्दी अपोजिशन को हम लोगों को प्रोसाहन देना चाहिए । यह बात कहने की है, साहब कि हम चाहते हैं । और इसका आप एक्सपेरीमेंट कर लीजिये तो क्या हर्ज है । आपको अच्छाई तो मालूम नहीं है । ....

श्री वेदपाल त्यागी—आपको कांग्रेस में रखकर ही अपना लिया है ।

श्री मानसिंह महार—जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने फरमाया है मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं । मैं जहां तक मानता हूं, मैं यह समझता हू कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल जो है वह विरोध को और सही तरीके के विरोध को सुन कर कुछ घबरा जाता है (हंसी) यह मेरा तजुर्बा भी है और मैं समझता हूं कि यह एक हमारे मौजूदा सत्तारूढ़ दल के अन्दर कमी है उसको दूर करना चाहिए । (हंसी) मैं आशा करता हूं चेयरमेन महोदय, कि यह कमी जरा दूर की जायगी लेकिन यह बात जरूर है कि दूर करने के अन्दर कुछ लोगों के निहित स्वार्थों पर आघात पहुँचता है और इसलिए इस चीज़ को दूर करने में असमर्थ रहते हैं । सुनते तो जरूर हैं चेयरमेन महोदय, कि कांग्रेस का सेन्ट्रल पार्लियामेंटरी बोर्ड भी इस तरफ ध्यान दे रहा है । वह कामयाब होगा या नहीं यह तो नहीं कह सकता लेकिन हमारे देश के अन्दर यहां जरूर पार्लियामेंटरी बोर्ड भी कोई अच्छा कदम उठायगा तो राजस्थान का भला हो । और मेरे एक मेवाडी मित्र तो इस कहे पर दुःखी हो रही हैं ।

श्री सभापति—सबजेक्ट मेटर पर ।

श्री मानसिंह महार—बिलकुल सबजेक्ट पर बोल रहा हूं साहब । राजस्थान के अन्दर जातिवाद और मेवाड़वाद का बोलबाला है उसको खत्म करना है । इस जातिवाद को खत्म करेंगे और नया जो मेवाड़ीवाद खड़ा हो गया है उसको भी खत्म करेंगे । चाहे वे मित्र नाराज हों । उनके कई सहयोगियों ने डेढ़ वर्ष के अन्दर कई जागीरें कायम कर ली हैं, जायदादें कर ली हैं, उनको भी आखिर जाना पड़ेगा और खत्म होना पड़ेगा । खसब काम होते हैं उनको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है, चेयरमेन महोदय ।

Page No 47

[श्री मानसिंह महार]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विषय में बोलते हुए मैं निवेदन करूंगा चेयरमेन महोदय कि, राजस्थान के अन्दर हम यह आशा करते थे कि पंचायतों के चुनावों में बड़ी २ धाधलियां हुई हैं उनका इस सदन में इतना कड़ा विरोध हुए और विरोध ही केवल विरोधी दल की ओर से नहीं लेकिन उधर बैठने वाले कई सदस्यों ने भी कड़ा विरोध किया। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है। जो राजस्थान की डेमोक्रेसी का पौधा अभी पूरा अंकुरित नहीं हुआ है उसको भी मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि उस विरोध को हेल्दी स्पिरिट में नहीं लिया गया। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो वाजिब बातें कहीं गईं उन बातों को सरकारी पक्ष न चाहेगा कि इन बातों को सरकार स्वीकार करे; चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों सब को एक प्रकार से मुगालते में रखा गया और मुगालते में रख कर जो कुछ भी सरकार ने गलतियां कीं, सरकार की आड में सरकार के ओफिसर्स ने कीं, सरकार के कृपा पात्रों ने कीं, उन गलतियों को सही करने के बजाय सरकार ने उनको ढांकना उचित समझा। यह कोई अच्छी बात नहीं। अगर कोई सामने आकर कहे की गलती की है तो उसको मान लेना बड़ी बात है। सरकार अगर मान लेती तो वह हमारी नजरों में ऊंची उठ जाती, अगर गलतियों को मान लेती और उनको करेक्ट करती। लेकिन करेक्ट करना तो दूर रहा चेयरमेन महोदय, उस रोज पंचायतों के विषय में कटौती प्रस्ताव पर जब बोल रहा था; माननीय मंत्रीजी ने चीफ पंचायत ओफिसर को डिफेन्ड करने की कोशिश की। उसी रोज मुझे बड़ा भारी आघात पहुँचा और मैं इसी नतीजे पर पहुंचा। मेरे कथन की पुष्टि नहीं करेंगे तो चेयरमेन महोदय, मैं यह समझूंगा कि इस बिल को आंख मींच कर पारित कर दिया गया और अगर यह पारित हो गया तो राजस्थान की जनता के लिए एक खतरनाक चीज़ हो जायगी जिससे कि राजस्थान का बड़ा भारी अहित होने वाला है। चाहे समय का कुछ भी कहें, चाहे मंत्रीजी को लगे कि इधर उधर की कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की वोटर्स पंचायतें हैं। जड़ है वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पंचायतें हैं। जड़ की तरफ नहीं गये और ऊपर की डालियों को ही काटते रहे, तो मैं समझता हूं चेयरमेन महोदय, कि डालियां तो कट जावेंगी और जड़ें उसी तरह फिर हरीभरी हो जावेंगीं। कोशिश तो यह करनी चाहिए कि जड़ों को भी काटना चाहिए ताकि जड़ को काटने से हमको कुछ लाभ हो।

मैं निवेदन कर रहा था चेयरमेन महोदय, चीफ पंचायत ओफिसर के लिए जब हमने कहा तो माननीय मंत्रीजी ने उनको डिफेन्ड किया और डिफेन्ड करने के अलावा एक और अजनबी बात उन्होंने की। मैंने उनको डिप्टी चीफ पंचायत ओफिसर श्री नाहरसिंहजी के लिए जिक्र किया था। उन्होंने कई एक को सुपरसीड कर दिया है, उन्होंने नीचा मुंह कर दिया चेयरमेन महोदय, उसका तो जिक्र कर दिया। अगर इस सदन में इन गलतियों का बार बार जिक्र नहीं किया जायगा तो यहां ऐसा करना दुनियां से बहुत दूर जाना होगा, इस सरकार से एक बार कहने से शरीफ आदमियों की तरह गलतियों को मानकर उस चीज़ को सही कर दें, यह आशा तो हमारे चार वर्षों के प्रयत्नों ने खत्म कर दी।

[श्री मानसिंह महार]

अब तो बार बार इस सरकार को बताया जायगा तभी कुछ कर सकेंगे। एक दो बार कहने से तो वे सुनना पसन्द नहीं करेंगे। बार बार कहने पर सुनने के लिये उनका मूड बनेगा और यह सोचने का मूड बनेगा कि हमने कुछ गलती की है इसलिये कहना पड़ता है। आप कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पंचायतों का तालुक नहीं है। तालुक कैसे नहीं हैं? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव भी हरिसिंहजी और नाहरसिंहजी ही करायेंगे। उनका जो आदेश जायगा वही करेंगे। यह आपको मालूम होगा कि चीफ पंचायत ओफिसर के ऊपर नाहरसिंहजी कितने हावी हो रहे हैं। वे चीफ पंचायत ओफिसर के हुक्म की तामील नहीं करते। वे ये समझते हैं कि चीफ पंचायत ओफिसर से भी ऊपर के आदमियों से डाइरेक्टली संबधित हूं, चीफ पंचायत ओफिसर जैसे कई हाकिम आते हैं, चीफ पंचायत ओफिसर के हुक्म को तो रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल समझते हैं, उनको अब तरक्की भी दे दी गई है क्योंकि वे तो सरकार की तरफ से जो बात आवें उसमें हुक्म, बड़ो हुक्म करने के सिवाय कुछ जानते ही नहीं; इसलिए मैंने यह पासिंग रिमार्क दे दिया है, यदि किसी को बुरा लगे तो वे क्षमा करेंगे।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—Now come to the point please.

श्री मानसिंह महार—अब मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स राजस्थान के अन्दर आज तक नोमिनेटेड है। उन्होंने बड़ी बड़ी धांधलियों की हैं। हमारे यहां के नोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने हमारी गाढ़ी कमाई के लाखों रुपये पानी की तरह बहाये हैं। उनकी अब तक की जांच कराई जाय, अभी तक की क्या आज तक की जांच कराई जाय तो कई भंडे फोड़ होंगे। हमने अभी सुना है, सुना क्या है, विश्वस्त बात है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ओडिट ने लाखों रुपयों का गबन पाया, लाखों रुपियों की इरेगुलेरिटीज पाई गई। यदि इसी मामले को आज दबा रखा गया तो यह बड़ी खतरनाक चीज है। अब भी यदि इसी आधार पर हम चुनाव कराने जा रहे हैं, इस अमेन्डमेन्ट को लाकर यदि इससे चुनाव करायेंगे तो गुट विशेष के आदमी भर जायेंगे और उनके जो पहले के काले कारनामे हैं उनको दबाने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसी बात हुई तो यह बहुत ही खतरनाक चीज साबित होगी। मैं यह कहूंगा कि इस कानून में जितने अमेन्डमेन्ट आये हैं उनके लिये मैंने संशोधन पेश किया है कि इन सारे अमेन्डमेन्ट्स को डिलीट किया जाय। क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन होगा तब इस बारे में ज्यादा निवेदन करूंगा। लेकिन इस समय सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा और खास करके ट्रेज़री बेन्चेज़ से निवेदन करूंगा कि वे किसी प्रकार बहाव में नहीं बहें। उनको ऐसा काम करना चाहिये जिससे वे राजस्थान की जनता का विश्वास प्राप्त कर सकें। राजस्थान की जनता कोई ऐसी बात नहीं समझे कि आप पार्टी पोलिटिक्स के रूप में चल रहे हैं। आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जनता को बहुत भारी धोखे में डालना चाहते हैं, यह मेरा ख्याल है। सरकार भी इसी चीज को महसूस करती है, यह मैं मानता हूं, उन्होंने कुछ हद तक अपनी गलती को भी इस प्रकार अमेन्डमेन्ट लाने की गलती की है उसको महसूस किया। सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर जब आपस में बातचीत की जायगी तब वे मंजूर करेंगे, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है क्योंकि उनके दिमाग

[श्री मानसिंह महार]

में यह बात कुछ आई है, ऐसा मालूम होता है। लेकिन यह मंजूर भी करलें तो भी यह प्रणाली गलत है कि इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट आ ही कैसे गया, मैं तो इसके मूल में जाता हूँ कि आ कैसे गया। आप सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर तय कर लेंगे लेकिन सदन में किसी प्रकार का बिली पेश करें तो पहले विचार करना चाहिये। यह हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट पर भी एक प्रकार का आक्षेप है। उसमें भी सरकार की ओर से लीगल आदमी रहते हैं, उनको राय देनी चाहिये कि ऐसी गलत बात है तो कम से कम सुझाव देना चाहिये। मानना न मानना सरकार के हाथ की बात है लेकिन क्योंकि सरकार के पास काम बहुत रहता है इसलिये गलती से, जल्दबाजी से निकल गई हो, तो ओवर साइट भी हो जाता है, लेकिन लॉ डिपार्टमेन्ट ऐसे कानूनों को सावधानी से देखें क्योंकि राजस्थान के ये जो एक्ट्स हैं उनको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है और अल्ट्रावायर्स होते हैं और सदन की परम्परा बन गई है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिवेलिडेट कर दिया जाता है, सदन में लाकर। यह गलत परंपरा है। इससे सरकार लापरवाह हो जाती है। एक बार ऐसे कानून को हाई कोर्ट ने अल्ट्रावायर्स कर दिया, उसको एक दो साल तक रिवेलिडेट नहीं करें तो सरकार को भी थोड़ा चेत आयगा और आयन्दा कानन बनाने में भाग-दौड़ नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के बारे में १५ वां या १६ वां भाषण है इसलिये इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता। इस समय जो मंत्रीजी ट्रेजरी बैंचेज में हैं उन्होंने जब जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बन रहा था तब अपने विचार व्यक्त किये थे और उनकी वही विचारधारा थी चेयरमेन महोदय, जो विचारधारा इस समय मैं व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन वह तो एक बार किसी कमेटी में राय जाहिर की थी वह राय मंत्री बनने के बाद बदल गई तो बदल गई होगी, यह मैं मान कर चलता हूं। लेकिन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह अहमियत का कानून है। जो आज मिनिस्टरी में विराजमान हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खिलाफ भाषण देना पड़ा था, मुझे याद है। मुझे दो, तीन घंटे लगा कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की प्रोसिडिंग्ज़ देखकर उनका भाषण लाना पड़ेगा और लाऊँगा लेकिन ओहदे पर आने के बाद विचार पलट जाते है, पर यह नहीं होना चाहिये। वहां जाकर जो संजीदगी आनी चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि उस समय और बातें कहते थे और अब और बदल गये, यह संजीदगी की बात नहीं है।....

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—आपको मुद्दे की बातें कहनी चाहिये।

श्री मानसिंह महार—ये चंद बातें कह कर चेयरमेन महोदय का आदेश पालन करने की सदन से प्रार्थना करूंगा। यदि ट्रेज़री बैंचेज़वाले गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि इसे पास किया जाय तो भी प्रत्येक मेम्बर का कर्त्तव्य हो जाता है कि सही बात का समर्थन करे। सदन का प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। जिस प्रकार एक मित्र ने कहा था कि हम एक एक लाख लोगों के रिप्रजेन्टेटिव हैं इसलिए हम लखपति हैं। हम वही काम करें कि जिससे जिन लाख आदमियों ने हमें भेजा है उनकी आत्मा हमें, दुहाई दे यह नहीं हो कि उनकी आत्मा हमें कोसती रहे। ये चन्द शब्द कह कर सदन के सदस्यों से प्रार्थना

[श्री मानसिंह महार]

करूंगा कि मेरा जो सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का सुझाव है उसको सदन सर्वसम्मति से मंजूर करे, ताकि वहां पर विचार किया जाय और सही और वाजिब चीज जो है उसको रखकर सरकार को बता दें कि उनका कदम सही है या गलत। मैं मानता हूँ कि वे समझ नहीं सकते कि उचित चीज को अनुचित बनाना तो वे समझ सकते हैं और ऐसा तो फिर भी हो सकता है लेकिन अनुचित को उचित साबित करें यह नहीं मान सकता। इसलिये सरकार को मंजूर करना ही पड़ेगा। इसलिये सिलेक्ट कमेटी में बात करने पर उन सब को यह मानना पड़ेगा कि क्या चीज ठीक है या गलत है। सब से मेरा मतलब सरकार से या ट्रेजरी बेन्चेज़ से है। और तो, मैं मानता हूँ कि सभी इस अमेन्ड-मेन्ट के खिलाफ हैं। ट्रेज़री बेन्चेज़ के प्रेस्टिज का सवाल नहीं है। आज वहां बैठे हैं वे कल यहां आ सकते हैं। प्रेस्टिज सब की बराबर है। ओनरेबल मिनिस्टर हो जाते हैं तो रहते हैं थोड़े दिनों तक, यह कोई नयी बात नहीं है। और मैं सही कहता हूँ कि इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए ट्रेजरी बेन्चेज को कि यह एक खतरनाक कानून लाकर रखा है, और मैं सही कहता हूँ। यह इस फोर्म में आया कि चार रोज पहले मैंने देखा तक नहीं, मैं मान नहीं सकता कि सरकार ऐसे बेकडोर से एन्ट्री कर लेगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजने के प्रस्ताव का आप लोग जरूर समर्थन करेंगे और यह बता देगें कि किस प्रकार से हम चीजों को समझ सकते हैं और समझ-बूझ कर किस प्रकार उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सकते हैं।

श्री मानसिंह महार—यह बात निवेदन करकेमैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करे।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, मेरा भी एक अमेंडमेंट है और वह यह है कि यह सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो २ महीनों की मयाद रखी है और जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने तो कोई मयाद बताई ही नहीं है, इन दोनों को मैं उचित नहीं समझता हूं। मैंने इसमें निवेदन किया है कि इसकी मयाद ४ दिन की होनी चाहिये, जैसा कि विधान है डिस्ट्रिक्टबोर्ड के सम्बन्ध में ओर्डिनेन्स २६ फरवरी को निकला है पहली विधान सभा मिलते ही। ओर्डीनेन्स को कन्डोन करना आवश्यक है ? इसलिये जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो २ महीनों की मयाद रखी है वह उचित नहीं है

बिल में खामियां हो सकती हैं, मुख्य प्रोविजन्स तीन हैं। एक तो यह कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव होना था उनकी मयाद एक वर्ष थी वह डेढ़ वर्ष कर दी।

दूसरा यह कि प्रोपोरशनेट रिप्रेजेन्टेशन खत्म करके प्रेस्काइब्ड मेनर रखा जाय।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

तीसरा यह कि जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि नये चुनाव नहीं हो जायें।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स राजस्थान में ६ हैं, ३।४ राजस्थान के हिस्से में डिस्ट्रिक्ट बोर्डस नहीं हैं। कुछ हिस्सों में जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्डस नोमिनेटेड चले आ रहे हैं, तीन वर्ष हो गये तो भी उनके चुनाव अभी तक नहीं हो पाये, ३।४ (तीन चौथाई) राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का निर्माण नहीं हुआ, कई जगह पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। जुलाई तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जिनके चुनाव नहीं हुए हैं वे खत्म हो जाने चाहिए। पंचायतों के चुनाव बाकी हैं, चुनाव की पद्धति कम्प्लीकेटेड है, उन कोम्प्लीकेसीज़ को दूर करना होगा। साथ ही वर्षा का प्रादुर्भाव हो जायगा। अतः ६ महीनों की मयाद के अन्दर अन्दर चुनाव हो सकेंगे कि नहीं इन सब बातों पर सिलेक्ट कमेटी विचार करके अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश करेगी। प्रोपेर्शनेल रिप्रेजेन्टेशन के बजाय और प्रेस्काइब्ड मेनर का जो इसमें प्रोवीजन रखा है इस पर सेलेक्ट कमेटी सोचेगी कि, पुरानी पद्धति ठीक है या नई पद्धति ठीक है या सरकार को पॉवर दें।

एग्जिस्टिंग बोर्ड्स हैं उनकी मयाद काफी बढ़ाई गई है, यह नहीं सोचें कि कुछ आदमियों के अन्दर ही यह भावना फैल रही है कि सरकार नोमिनेटेड बोर्ड को अधिक समय तक चला रही है पर सरकार भी यह महसूस करती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाय पर खामियों को पूरा किये बगैर चुनाव होंगे तो वे सब रद्द हो जायंगे। यह सोचा जाय कि नोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्डस हैं उन्हें जल्दी खत्म किया जाय या नये चुनाव सम्पन्न हों तब तक उन्हें रहने दिया जाय? इन सब बातों को सेलेक्ट कमेटी में सोच कर सही ढंग से तय करेंगे वही ठीक होगा। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे अमेन्डमेंट को स्वीकार किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय चेयरमेन महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (संशोधन) विधेयक के बारे में मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को जनता की राय जानने के हेतु प्रसारित किया जाय। माननीय चेयरमेन, अभी अभी इस संशोधन विधेयक के बारे में तीन प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। तीनों माननीय सदस्यों ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि इस संशोधन विधेयक पर विचार करने के हेतु इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मेरा उनके इस प्रस्ताव से कुछ मतभेद है। इसका मुख्य कारण इस संशोधन विधेयक में जो इसके उद्देश्य और कारण इन दोनों का उल्लेख किया गया है, उस उल्लेख की जानकारी के ऊपर है। माननीय चेअरमेन महोदय, इस सारे उद्देश्य और कारण में इस बात का संकेत किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में जितने संशोधन आज इस सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं इस संशोधन विधेयक के द्वारा वे आज तक के अनुभवों पर आधारित हैं। आज तक के अनुभव इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्यकाल के सम्बन्ध में इस सरकार को प्राप्त हुए उसी के आधार पर यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ। अनुभव किस प्रकार हुए किस व्यक्ति ने अनुभव कराया, किस किस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्य का अवलोकन हुआ, यदि इन बातों की ओर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो पता चलेगा कि सरकार को जो अनुभव हुआ है उन्हीं

[श्री भैंरू सिंह]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के आधार पर हुआ है जो सरकार ने नोमिनेट किये थे। उन्हीं अनुभवों के आधार पर चुने हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में कोई विशेष प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करें, वह उचित नहीं होगा। माननीय चेयरमेन जिस समय यह ओरिजिनल बिल एक्ट बनने के लिये इस सदन में प्रस्तुत हुआ, इस सदन के सारे सदस्यों ने, हालां कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के बारे में आज उन्हें जितना अनुभव है उतना उस समय नहीं था, फिर भी एक मत होकर ख्वाहिश जाहिर की थी कि चुनाव का तरीका वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी अपनाया जाय।

यदि मैं इस कथन की पुष्टि में विधान सभा की कार्यवाही जो ६ सितम्बर, १६५३ को हुई जिसमें इस विधेयक पर इस सदन में विचार-विमर्श हुआ यदि उसका उदाहरण पेश करूं तो सदन को पता चलेगा कि धारा १२ में इस संशोधन विधेयक द्वारा संशोधन लाया जा रहा है। वह, धारा १२ ओरिजिनल रूप में थी वह बिना किसी वाद विवाद के स्वीकार कर ली गई। इस कार्यवाही में लिखा है।

"खण्ड १२"

श्री अध्यक्ष—There are no amendments to this clause. So the question is that clause 12 be added to the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 12 stand part of the Bill.

यह इस बात का सुबूत है कि इस विधान सभा के पूरे सदस्यों ने एक मत होकर इस बात की राय जाहिर की थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों में आज जो प्रणाली है उसी को अपनाया जाय। आज हमारी सरकार को अनुभव हुआ है जिसको उद्देश्य और कारणों में दिया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कराने में जिस प्रकार की प्रणाली है, चुनाव कराने का तरीका सरल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह हम चुनाव नहीं करा सकते। २३ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स चुनेंगे, राजस्थान में २३ डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जिस प्रकार का तरीका चुनना है उस तरीके से चुनाव कराने में सरकार को असुविधा हो रही है। मामूली सा तरीका है, उसका अनुभव सरकार ने नहीं किया है। सरकार डींग हांकती है कि हमारा अनुभव है, आज तक एक भी डिस्ट्रिक्ट वोर्ड का चुनाव नहीं कराया और बगैर चुनाव ही सरकार को चुनाव का अनुभव हो गया। चुनावों का अनुभव होता है या नहीं? चुनावों में बाधायें आवेंगी या नहीं। बाधा एक चीज की आई कि यदि इसी प्रकार का चुनावों का तरीका रहा है तो और अभी पंचायत इलेक्शन के तरीके से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन का निर्माण किया जावे तो इसमें विशेष जाति या विशेष दल के लोग आगे नहीं आ सकते। इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुमत के आधार पर वोट मिल जावे उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य बना दिया जावे। मेरे एक मित्र ने एक जगह तहसील पंचायत के चुनाव हुए उसका जिक्र

[श्री भैंरूसिंह]

और बताया कि उसका भी यही तरीका है कि सरकार जिसको चाहे उसको पंच चुने। उन्होंने रखा तो यह है कि जिसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले उसको चुना जावे लेकिन वास्तव में होता क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। अभी नावा तहसील में एक पंचायत का चुनाव हुआ। मैं आपको आपकी जानकारी के लिये, उसके लिये जो बेलट पेपर छपा उसको प्रस्तुत करता हूँ। इसमें १६ आदमी खड़े हुए जिनमें ८ कांग्रेस के और ८ जनसंघ के थे। होना तो यह चाहिए था कि जनता को यह बतला दिया जाना चाहिये कि जन संघ और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और ये ये लोग चुनाव के लिये खड़े हुए हैं। मगर होता क्या है कि जब बेलट पेपर छपाते हैं तो ८ आदमियों के सामने तो बैलों की जोडी का निशान लगा देते हैं और ८ आदमियों के सामने दीपक का निशान लगा दिया जाता है। इन लोगों को अनपढ वोटर वोट देने के लिये आवेंगे। एक व्यक्ति वोट देने के लिये आएगा वह यह देखेगा एक बैलों की जोड़ी और दूसरा दीपक। मान लें कि वह किसी आदमी को वोट देना चाहता है और वह उसके नाम को पढ नहीं सकता। वह दीपक के आगे निशान क्रोस का लगा देगा। उसको तो किसी ८ में से एक को वोट देना चाहिए। जब वह अनपढ ८ दीपक देखेगा तो किसी पर क्रोस लगा कर वोट देगा, मगर खास निशान नहीं होने से उसको यह मालूम नहीं हो सकेगा कि जिस व्यक्ति को वह वोट देना चाहता वास्तव में दिया गया या किसी दूसरे को दे दिया। इससे बहुत से वोट जिसको देने को चाहते हैं नहीं दे पाते। यह तरीका है जिसको आप बहुत अच्छा मान रहे हैं। यह कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता। यह तरीका बहुत बुरा तरीका है। यह आज कल का नया तरीका है जिसको आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अपना रहे हैं। जिन पंचायतों के बारे में बिल आया और अधिकांश सदस्यों ने इस बात की मांग की और शिकायत की कि जिस प्रकार से पंचायतों का चुनाव हुआ है वह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। कई सदस्यों ने पंचो के नोमिनेशन को लेकर सरकार से इस बात की शिकायत की कि राजस्थान सरकार के नेतृत्व में चलने वाले अधिकारियों ने विशेष दल और जाति को सफलता प्राप्त करने में प्रोत्साहन दिया और पंचायतों में अपना बहुमत लेने के लिये बहुत से लोगों का नोमिनेशन किया पंचायतों में हरिजन के नाम की व्यवस्था है और जहां कहीं सरकार जिस जाति को मदद करना चाहती है उसकी तादाद कम हो तो हरिजन को नोमिनेट कर देती है। चाहे हरिजन पहले से चुनावों में आया हुआ हो क्यों नहीं हो ? मैं आपको नावा के गांव जाटवा में पंचायत का का चुनाव हुआ उसकी मिसाल बताता हूं, जिसमें हरिजन चुना हुआ आया। लेकिन सरकारी पक्ष के लोगों में कमी पड़ती थी इसलिये हरिजन होते हुए भी पांच्या में हरिजन की नियुक्ति कर दी। इतना ही नहीं गल्त पंच बनने से और अपना बहुमत नहीं होने से सरकार ने जीतने वाले का नाम प्रकाशित नहीं करके हारनेवाले व्यक्ति का नाम प्रकाशित कर दिया और उसके नाम की घोषणा कर दी। यदि हम इस प्रकार के चुनावों को बहुमत के आधार पर चुनाव कहते हैं तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि हम रामराज्य की स्थापना नहीं करना चाहते। हम तो एक जाति का राज्य कायम करना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि जाति को किसी तरह से प्रोत्साहन मिले या नहीं लेकिन तारीफ तो यह है, कि कहा यह जाता है कि स्वायत्त शासन की ओर बढ़ने के लिये ऐसा

[श्री भैरू सिंह]

किया जाता है लेकिन वास्तव में सब जाति को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है अगर आपको किसी जाति विशेष को प्रोत्साहन नहीं देना है तो स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव दूसरी जगह जिस तरह से प्रिफरेन्शियल वोटिंग से होते हैं, उसी प्रकार यहां भी सरकार प्रिफरेन्सियल वोटिंग से बहुमत के आधार पर चुनाव करायेगी। दूसरे प्रान्तों में भी जहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए हैं वहां पर भी हेर फेर किये गये हैं। आप यह कह सकते हैं कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम इसको सफल बना सकें। मैं यह कहूँगा कि २३ आदमियों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लेने के लिये डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को १५ दिन पहले लिख दिया जावे। वह दो दिन के लिये ट्रेनिंग दे देगा और दो दिन ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा तो ७ दिन में ट्रेनिंग दे सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर मामूली आदमी को भी ७ दिन अगर ट्रेनिंग दी जावेगी तो वह समझ जावेगा कि यह किस तरह से होगा, लेकिन सरकार यह कहेगी कि वह अपने अनुभव के आधार पर कह सकती है। मैं यह कहूँगा कि उनको अनुभव हुआ है विधान सभा की पब्लिक एकाउन्ट और एस्टीमेट कमेटी के इलेक्शन में। मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत सरकार को इसमें नहीं आई। हमने पब्लिक के हित के लिए ग्राम पंचायतें बनाई और उनके ऊपर तहसील पंचायतें बनाई और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। इस सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार की एक मनोनीत कमेटी, जिसके सदस्य निम्न प्रकार है बनाई........

इन्होंने ग्राम पंचायतों के बारे में इन्क्वायरी करने के बाद रिपोर्ट प्रकाशित कराई और इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दो काम जिम्मे रखे हैं: "To co-ordinate and suprevise the work of phnchayats and foster their role"

(2) "To perform original functions in unit area in which it cannot be performed at the panchayat level,"

माननीय चेअरमेन, यदि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के क्या काम होंगे, तहसील पंचायतों के क्या काम होंगे और ग्राम पंचायतों के क्या काम होंगे, यदि आप उनको सामने रखकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो काम ग्राम पंचायतें करने वाली हैं वही काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करेगा और अगर कोओरडीनेशन की बात आती है तो इसके लिए तहसील पंचायतों का निर्माण किया गया, जो सुपरवाइजिंग ओथोरिटी होगी। जब यह सब हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी उन्हीं पंचायतों के सुपरविजनके लिये क्यों निर्माण करें ? आज मैं समझता हूं कि तहसील पंचायतों के साथ २ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं और इसी बात को लेकर प्लानिंग कमिशन ने भी अपनी राय बताई है। उसके सामने यह बात आई। आज जो पॉवर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे रहे हैं वही पॉवर तहसील पंचायत को दे सकते हैं और सारा का सारा काम तहसील पंचायत के द्वारा हो सकता है।

और तहसीलपंचायतें होंगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो टैक्स लगा सकते हैं, कुछ पैसा वसूल कर सकते थे धन एकत्रित करने की योजना बन रही है उस योजना की आवश्यकता नहीं होगी। इसी आशा पर

[श्री भैरूं सिंह]

चुनाव स्थगित करने की कोशिश की थी केवल इस बात के लिए कि प्लानिंग कमीशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पक्ष में नहीं है, उसने अपना इस बारे में स्पष्ट रुख नहीं बतलाया इसलिए चुनाव स्थगित हो गये।

यह कानून २६ जनवरी, १९५४ को लागू किया उस दिन सोचा था कि आज का दिन ऐसा सुन्दर है, पवित्र है यदि पवित्र दिन कोई काम शुरू होता है तोवह जल्दी सम्पन्न होता है। और ठीक प्रकार से सम्पन्न होता है; चुनाव जल्दी होंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ठीक प्रकार से काम करने लगेंगे। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती समझिये २६ जनवरी को जो काम शुरू होने वाला था उस कानून की ऐसी दुर्दशा हुई कि छः महिने की अवधि खत्म हो गई फिर छः महिने की अवधि बढ़ाने के लिये नौबत आयी। जब वह भी अवधि समाप्त हो गई आयन्दा छः महिने के लिये और अवधि आगे बढ़ाने के लिये यह संशोधन सदन में प्रस्तुत किया गया है। मेरे समझ में नहीं आता चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है, छः महिने खत्म हो गये। एक बात कही गई कि प्लानिंग कमीशन इसके बारे में कुछ अलग अपनी राय रखता है....

सभापति महोदय, अगर कोई मन्त्री यहां सुनने वाला नहीं है तो मुझे इजाजत दीजिये कि मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति—He is in the house

श्री भैरूं सिंह--पहले जिस समय इस चुनाव को स्थगित किया गया तो उस समय एक बहाना लिया गया कि चुनाव का काम सम्पूर्ण नहीं हो पाया है, वार्ड्स पूरे तौर से नहीं बन पाये हैं इस लिये चुनाव स्थगित कराये गये।

दूसरी दफा जब चुनाव रद्द करने की बात आई तो भी यह कहा गया जो वार्ड्स हमने बनाये हैं वे ठीक प्रकार से नहीं बन पाये हैं, अगर इसी तरह से रखे गये तो जिस प्रकार पंचायतों के चुनाव के वार्ड्स के बारे में रोज शिकायतें मिलती हैं कि गलत वार्डस बने हैं उसी प्रकार के गलत वार्डस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के न बन जांय इसी वजह से दुबारा चुनाव स्थगित किये गये। इन वार्डों के ठीक करने के बहाने से प्लानिंग कमीशन की राय न मालूम होने पर इस संशोधन विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत किया गया और कुछ धाराओं को साथ में बदलने का भी प्रस्ताव किया गया। आम चुनाव कहीं नहीं करा सके उस छः महिने की अवधि का फायदा उठा कर के आज हमारे सामने एक संशोधन विधेयक के रूप में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ और इसी के अन्दर इलेक्शन के तरीके को बदलने का भी संशोधन रखा गया है। दूसरा जो संशोधन है जो आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए हैं जब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव नहीं हो जाता इस कानून के अन्तर्गत जो अभी काम कर रहे हैं वे उसी प्रकार काम करते रहे।

[श्री भैंरूं सिंह]

इस सम्बन्ध में मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि अब जो मनोनीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चलाये जा रहे हैं उनमें सब में इस सरकार के पसन्द के लोग और उसमें भी एक दल विशेष के लोग जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जमकर बैठे हैं वे उसी प्रकार काम करते रहे जब तक कि नया चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नहीं हो जाता। सभापति महोदय, इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का इतिहास लम्बा है जिस समय राजस्थान नहीं बना था उसके पहले जयपुर स्टेट के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट था उसी एक्ट के मातहत पांच छ: डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यहां बनाये गये जिस समय यहां शास्त्रीजी की सरकार थी। तो शास्त्रीजी ने अपने पक्ष के लोगों को उसमें भरा, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मनोनीत किया। जब राजस्थान बना उस समय भी शास्त्रीजी की सरकार थी तो उन्होंने उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को बनाये रखा। उसके बाद जब सरकार बदली तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पुराने एक्ट के मातहत बने हुए थे उनको भंग किया गया और अपने अपने आदमियों को मनोनीत किया गया। उसके बाद जब तीसरी बार सरकार में परिवर्तन हुआ तीसरी सरकार आई तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने देखा अपने पक्ष के लोग इसमें नहीं हैं तो उन्होंने उन बोर्डस को भंग करके अपने अपने सदस्य मनोनीत कर दिये जो आज तक चले आ रहे हैं। चेयरमैन महोदय यह है इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का इतिहास। आज इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस में जितनी भी गड़बड़ियां हो रही हैं उतनी कहीं भी नहीं हुई। इसके सदस्य गड़बड़ी करते हैं पैसा गांव वालों से लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं, मैं इस सम्बन्ध में अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उदाहरण पेश करूंगा। मैंने पहले भी कई दफा उल्लेख किया था और माननीय मन्त्री महोदय को मैंने इस बात का संकेत भी किया था कि सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पैसे का दुरुपयोग हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक रेजोल्यूशन की कापी सदन में पढ़ कर सुनाता हूं :

"जिला बोर्ड की बैठक दिनांक १२ दिसम्बर, ५५ से उद्धरण 'गोरधनपुरा ग्राम में स्कूल भवन निर्माणार्थ सन् १६५२-५३ में १५०० रु० चौधरी लादूरामजी एम. एल. ए. को दिये जिस के संबंध में प्रश्न समक्ष होने पर श्री अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि अनेक बार लिखे जाने के बावजूद भी चौ० लादूरामजी ने अभी तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं करवाया है और न हीं रुपये वापिस लौटाये हैं। इस संबंध में पहले भी जांच हो चुकी है और दिनांक २४।६।५२ को सेक्रेटरी जिला बोर्ड के साथ पी. डब्ल्यू. डी. के ओवरसियर वहां पर पड़े सामान के वेल्युएशन के लिए मौके पर गये। पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा स्कूल भवन निर्माणार्थ मौके पर पड़े सामान की कीमत ५१४ रु० ३ आना आंकी गई है। अतः अब बोर्ड को निर्णय लेना है कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की जावे ? तीन वर्ष हो गये अभी तक कार्य पूरा नहीं करवाया गया है। बोर्ड ने इस संबंध में निश्चय किया कि १५०० रु० की वापसी के लिए सिविल कोर्ट में चौधरी लादूरामजी के विरुद्ध दावा किया जावे।

ट्रू कॉपी

(हस्ताक्षर)

"सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीकर।"

चेयरमेन महोदय, यह है नमूना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पैसों का कि किस तरह से

[श्री भैरूंसिंह]

उनका दुरुपयोग होता है । यह नमूना इस बात का है कि सन् ५२ में रुपया मिलने के बाद सन् ५६ तक वह वसूल नहीं कर सके, इसलिए नहीं कर सके कि या तो वे विधान सभा के सदस्य हैं; सदस्यता के नाते नहीं कर सके या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं इस नाते कुछ कार्यवाही नहीं कर सके या किसी जाति विशेष के हैं कि जिस जाति विशेष के नाम सरकार पर काफी असर है, इसलिए कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । अगर आज इसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चुने हुए व्यक्ति होते तो क्या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार जनता का रुपया रख सकता था; आज वह जेल के कटघरे में मिलता, उसको सजा होती । लेकिन आज जो मनमानी की जा रही है उसको सुनने वाला कौन है आज उनको हटाने की व्यवस्था सरकार के हाथ में है । आज वह आवश्यक नहीं समझती कि इस प्रकार के पैसे पर किस प्रकार कन्ट्रोल रखने की आवश्यकता सरकार महसूस नहीं करती, वैसी सूरत में मेरे पास एक ही उदाहरण नहीं आप चाहें तो सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अलावा भी अगर आप समय दें जितनी भी पैसों के दुरुपयोग की शिकायतें मेरे पास आई हैं उसमें करीब दस बारह हजार रुपये ऐसे हैं जिन्हें जिम्मेदार आदमियों को दे दिया किन्तु उनसे वापिस लेने की बात नहीं और यहां तक भी है कि जिन रुपयों को दिया गया और जिन लोगों को दिया गया उनसे किसी प्रकार की रसीद तक नहीं, आज तक हिसाब की जांच करने तक की आवश्यकता नहीं, लेकिन सारे अन्यायों पर परदा डालने के लिए अपने मोहर लगाने के लिए आडिट करवा दिया और उस पांच साल के आडिट की रिपोर्ट केवल एक ही पेज में आई । उस आडिट रिपोर्ट द्वारा सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हिसाब पर यह मुहर लगादी की तुम्हारा हिसाब किताब बड़ा अच्छा है तुम बड़े ईमानदार हो । लेकिन इस आडिट रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है इससे यह साफ पता चलता है कि आडिट भी किस प्रकार होता है आडिट, द्वारा भी इस प्रकार की सब गड़बड़ियां हुई उन सब पर परदा डाल दिया गया है । आज जो मनोनीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनको इस बात का किसी प्रकार भी फिकर नहीं वे यह सोचते हैं कि हमें कोई हटा तो सकता नहीं अगर आज इनकी जगह चुने हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते तो कभी की ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती और उनको बोर्ड से अलग कर दिया जाता । आज यह नोमीनेटेड बोर्ड हैं जिनको चलते चलते तीन तीन चार चार वर्ष होगये उनके लिए इस प्रकार की चीजें कोई लज्जानक नहीं होंगी । सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये इसकी मिसालें है । गंगानगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो सन् ४७ से उसी प्रकार नोमीनेटेड है आज तक वे ही मेम्बर्स चले आ रहे हैं । सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर रियासत के समय से उसी प्रकार चला आ रहा है । हमारे यहां आम चुनाव हो गये लेकिन ये बोर्ड तो उसी प्रकार ही नोमीनेटे चले आ रहे हैं; इस प्रकार नोमीनेटेड बोर्ड बनाये रखना कतई उचित नहीं । आम चुनाव होगये, तहसील पंचायत के चुनाव होगये लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हमारी सरकार नहीं करा सकी । एक जनरल इलेक्शन तो होगया और दूसरा जनरल इलेक्शन आने वाला है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हो पाये । आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देख लीजिए किस प्रकार के व्यक्ति नोमीनेट किये हुए है उसको देखने से आपके सामने सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का चित्र सामने आजायगा । आज सरकार यह चाहती है कि

[श्री भैंरूंसिंह]

धीरे धीरे इस तरह समय निकालते जायें और इस प्रकार का वातावरण बनाया जाय यह किसी भी प्रकार से उचित चीज नहीं होगी।

दूसरी चीज़, दूसरा संशोधन आया है कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में जो सैस लगा दिया वह वसूल किया जाना चाहिये। और वह वसूल होगा किस तरह से ? लैण्ड रेवन्यू के तरीके पर। और यह वसूल करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दिया।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—एरियर्स आफ लैण्ड और सैस अलग अलग बात है।

श्री भैंरूंसिंह—एक ही बात है।

श्री सभापति—बहुत फर्क है।

श्री भैंरूंसिंह—जो रकम बकाया है उसको रेवेन्यू की तरह से वसूल करें इस हिसाब से यह एक हो हो रही है। अब प्रश्न आता है कि जो सैस लगाया गया वह उचित था या नहीं ? जनता की राय जानने के लिए उसे रक्खा गया या नहीं ? इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया.जो कल हमारे सामने सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक के रूप में आया। मंत्री महोदय ने कहा कि मामूली सा टैक्स है हम लेते आये हैं और इसलिए इसमें विरोध जैसी कोई बात नहीं है, इसका विरोध नहीं करना चाहिये पर मामूली सी बात के लिए भी इतना विरोध। पर जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक आना रुपया फी काश्तकार से वसूल करता है वहां किसी बात का विरोध नहीं, न विरोध को प्रकट करने का अवसर दिया जाय न, कुछ किया जाय जहां एक आने का टैक्स लगाने का अधिकार दे रक्खा है वहां कोई विरोध करने वाला नहीं ? और जहां पैसा धेला टैक्स लगाने की बात है वहां सदन से अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसलिए कहूँगा कि इस प्रकार का जो सैस के रूप में बोर्डों ने किसानों पर टैक्स लगाया एक आना रुपये के हिसाब से उसी को आज ये एरीयर्स आफ लैंड रेवेन्यू के बतौर वसूल करना चाहते हैं, यह अन्याय है, सरासर अन्याय है, कतई ठीक नहीं है। सरकार अगर किसी से रुपया मांगती है तो सरकार उसे वसूल करेगी, उसका उसे अधिकार है। पर पहले यह तो निर्णय करेगी कि नहीं कि हम जो मांगते हैं वह हिसाब में सही है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग चन्दे के रूप में लोगों से यह रुपया वसूल कर ले गये जिनकी कोई रसीद नहीं। इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक तहसील में आधी तहसील सैस दे रही है और आधी ने कह दिया कि नहीं देंगे क्योंकि हमारे पैसे का तुम्हारे यहां दुरुपयोग हो रहा है और आधी तहसील इसलिए दे रही है कि उसके साथ सख्ती की जा रही है। उन कुछ तहसीलों में और लोगों में वहां की वह सैस सन् ४६-४७ से आजतक की बकाया पड़ी है। और आज सात वर्ष की वह बकाया इस कानून के सहारे वसूल करना चाहते हैं एरीयर आफ लैण्ड रेवेन्यू के तौर पर। हमने यह भी कहा कि अगर कोई किसी से रुपया मांगता है और तीन साल से ज्यादा उसे होगया है तो वह वसूल नहीं की जा सकती। पर सात सात साल की वह बकाया सैस वसूल करने के लिए वे प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें जितनी

Page No 59

[श्री भैरूसिंह]

सख्ती हो सकती है की जाती है। और उन लोगों को अब हम उस सैस को वसूल करने के लिए एरीयर आफ लैण्ड रेवेन्यू की बकाया के तौर पर वसूल करने के लिए अधिकार दे रहे हैं। इसके लिए अगर यह कहा जाय कि वह उनके साथ अन्याय और भयंकर रूप का अत्याचार ही नहीं है, बल्कि उनका आर्थिक कलेजा ही निकाल लिया जायगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अव्वल तो बकाया रकम के लिए कहा जाता है कि वह बकाया सही नहीं है, फिर अगर वह कोई सैस लगाया भी गया तो प्रोपर वे में नहीं लगाया गया है, लोगों की राय के बिना लगाया गया है, उसे वसूल मत करो। पर अगर करना है तो इतना कड़ा नियम मत बनाओ, नहीं तो जनता इसका कड़ा विरोध करेगी। स्वायत संस्थाओं के कारनामों से वैसे ही जनता की उसके प्रति पहले से अश्रद्धा सी बनी हुई है। उस अश्रद्धा की भावना में यह कानून और बनाकर आग में घी का काम मत करो, उस अश्रद्धा की भावना को और प्रबल मत करो।

दो संशोधन हमारे सामने यहां आये हैं। एक तो यह कि पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को आगे तक काम करने की इजाजत दे दो और दूसरा यह कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का सैस का जो बकाया है उसे लैण्ड रेवेन्यू के एरीयर के तौर पर वसूल करने का अधिकार दे दिया जाय। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, जिस तरह पंचायतों के चुनावों में गड़बड़ियां हुईं, सर्कल्स बनाने में गड़बड़ियां हुईं और अब जब कि इस प्रकार की गड़बड़ियां डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनावों में करने की सम्भावनाएं नहीं पाईं और सत्तारूढ़ दल के लोगों का आना मुश्किल मालूम होने लगा तो उस धारा में यह संशोधन लाया गया है कि जिस किसी तरीके पर सरकार चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव कराकर उनका निर्माण करेगी। पंचायतों के अन्दर हमने सरकार को यही चुनाव के तरीके का अधिकार दिया और उसका जो अनुभव हमें हुआ वह हमारे सामने है। और उसको देखते हुए सरकार को अगर इन चुनावों में भी इसी तरह की खुली छूट मिली तो यह निश्चित है कि वह निश्चित रूप से उनका दुरुपयोग करेगी। आज वे कुछ भी कहें पर आगे जाकर वही करेंगे जिसका हमें डर है। आज यह कहने की स्थिति में हम नहीं हैं कि सरकार ईमानदारी से काम करेगी। पंचायतों में वार्ड गलत बनाये, क्षेत्र जैसे उनको स्यूट हुए वैसे बनाये, पंचों की संख्या गलत निर्धारित की गई। तो इस पृष्ठभूमि में आज सरकार इस स्थिति में नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के वार्ड बनाने में, उसका चुनाव कराने में वह निष्पक्ष रह सके और इस पर जनता भरोसा कर सके। आज सीधी बात है कि वार्डों को बनाना। मामूली चीज है कि एक दूसरे से लगे हुए गांवों को मिलाकर वार्ड बना दिये जावें। फिर कौन से दबाव के आधार पर सरकार यह सोचती है और आवश्यक समझती है कि जिस तौर तरीके से उसको चलाने वाले लोग, उस पर दबाव डालने वाले लोग सोचें उस तरह से बनाया जावे, वह सही है और कानून का तरीका गलत है। मैं समझता हूँ कि मैं तो इन उद्देश्यों और कारणों में स्पष्ट हूं जो सरकार सोच रही है। वह स्पष्ट उल्लेख चाहे लिखा न हो पर मन में उनके अवश्य है। सम्भव है उन उद्देश्यों और कारणों की जानकारी माननीय मन्त्री जी को न हो। वह शायद यह भी मान रहे हैं कि सरकारी अधिकारी खुली छूट देने पर इसी तरह वार्ड बनावेंगे पर जब उन उद्देश्यों पर काम होगा तो वे भी मजबूर हो जावेंगे, जब उन पर

[श्री भैंरूसिंह]

दबाव पड़ेगा तो वे भी सब जान जावेंगे । स्वायत्त संस्था की रूपरेखा ऐसी बनी जो देखने में तो बड़ी सुन्दर थी पर कर्त्तव्य में मकड़ी के जाले की तरह थी । और यह इतना प्रबल अब बन गया कि जो सामने सामना करने जावे वह भी फंस जावे । एक दिन यह स्थिति थी इस स्वायत्त शासन संस्था की । पर हमारी उस दिन खुशकिस्मत थी कि मकड़ी का जाल बनाने वाले से यह विभाग निकल कर उस व्यक्ति के हाथ में दिया गया जिनसे हमें थोड़ी उम्मीद थी कि वे उसे अवश्य तोड़ देंगे । उन्होंने चेष्टा भी की, हाथ पैर भी फैंके, कूद फांद भी की पर आखिर में खुद ही हार कर उसमें फंस गये और इतने फंस गये कि उसमें से अब वापिस आने की हिम्मत नहीं रह गई ।

आज कह नहीं सकते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के वार्डों के बनाने में उनका कौन सा यह अनुभव है कि कन्टीन्यूअस विलेजेज का वार्ड बनावेंगे वे तो उनको कोई कठनाई इसमें आवेगी । अनुभव तो इस बात का आया है कि एक जाति के, एक विशेष दल के, व्यक्ति जीते नहीं और उनको जिताने के लिये इस डेमोक्रेटिक सैटअप को खतरे में डालकर, इस स्वायत शासन संस्था के प्रति लोगों की जो श्रद्धा थी उस तक को खतरे में डाल कर, आज उन्होंने तय कर लिया है कि गलत तरीका जितना अपना सकें अपनावें पर उनको जितावें । और मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहूंगा जिस व्यक्ति के लिये कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी वह थी ऐसे काम करने लग गये । तो मुझे तो अब यह दीख रहा है कि अब स्वायत्त शासन संस्थाओं में सुधार की आशाएं समाप्त हो गई हैं । निश्चित योजना बद्ध कार्यवाही हो रही है जनता पर कर लगाने की ।

इन बातों के साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां हम ग्राम पंचायतें और तहसील पचायतें बना रहे हैं वहां इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास कोई काम नहीं रह जाता है तो वहां इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को आप डिजोल्व करने का सुझाव देते तो अधिकांश सदस्य इसके पक्ष में मत देते । डिजोल्व करने की बात खैर छोड़ो । पर गलत तरीके से उनका निर्माण करने की बात तो और भी बुरी है और इसके लिये राय देने में सदन के सदस्यों को संकोच होगा और सरकार को मनवा देंगे कि जो संशोधन प्रस्तुत सरकार कर रही है वह अनुचित है, अनडेमोक्रेटिक है, इसलिये सरकार यह न करे।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव कब होंगे, वे किस तरह से कराये जावेंगे । इस पर माननीय मन्त्री महोदय शायद अब भी स्पष्ट नहीं हैं वे तो अब दूसरों से प्रेरणा लेंगे । जिस तरह से मकड़ी के जाल में उनको लिया गया और जो मकड़ी का जाल बनाया गया उसके बनाने वाले किस तरह से चाहते हैं चुनाव का तरीका उसी तरीके के आधार पर वह भी कह देंगे कि चुनाव कराने का तरीका यह होगा । तो इस सारे अस्पष्ट वातावरण में इस प्रकार का घातक संशोधन स्वायत्त संस्थाओं में जो जनता की बची खुची श्रद्धा है उसे भी समाप्त कर रहे है तो ऐसी स्थिति में यह संशोधन सदन को अस्वीकार कर देना चाहिये । यह निवेदन करते हुए यह भी नम्रतापूर्वक मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने से ही काम नहीं चलेगा ।

[श्री भैंरूसिंह]

यही निवेदन करता हुआ मैं यह निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इस संशोधन विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई काम नहीं होगा। सिलेक्ट कमेटी केवल मामूली हेरफेर करेगी। जनता से आप पूछिये कि जनता डिस्ट्रिक्टबोर्ड को चाहती है कि नहीं चाहती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्य से जनता को संतोष है कि नहीं। चुनाव करने का तरीका जो है उसमें जनता की श्रद्धा है या नहीं। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वेलिड रखने के कारण से जनता में विश्वास है या नहीं। इन चीजों की जानकारी सही रूप से जनता दे सकेगी। जनता की राय ली जाय और लेने के बाद में यदि जनता आवश्यक समझे कि इस कानून की आवश्यकता है तो इस कानून को अवश्य लिया जाय।

इसके साथ ही मैंने विधान सभा के एक सदस्य के प्रति जो कुछ शब्द कहे थे उसके लिए मैं एक प्रस्ताव जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने पास किया है वह सदन की मेज पर रखता हूँ और एक कापी माननीय मंत्रीजी को देता हूं ताकि वे मंत्रीजी अपना उत्तर देते समय कम से कम निर्वाचन क्षेत्र के १५०० रू० का दुरुपयोग किया गया है वह गांव वालों को दिलाकर स्कूल के भवन का निर्माण करायेंगे।

श्री ईश्वरीसिंह—मैं श्री भैंरूसिंह के समर्थन में बोलू हूँ। डिस्ट्रिक बोर्ड में पेल्यां एक आना वालो हाल थोड़ो सो बता दूं के आपने सात साल हुया एक आनो खोल्यां। सात साल सूं जिका घणयां से एक आनो खोल्यों है आ के केर खोल्यों है के थारो दो आना, ढाई आना आनो लेर करसी। वे घणया देनो शुरू कर द्यो, विणा की जांच कर ल्यो तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाय कि जियां भैंरूसिंह साल भर सूं पुकार रियो है कि जातिवाद है तो जातिवाद कियां है वो बिल्कुल साफ कर दूंगो। म्हारे वठे चार गांव जाटां का है। वे कोस कोस का एरिया में बस्या है। वे मील दो मील में चारों गांव है। वठे के करयो के एक स्कूल मिडिल तईं चारों गांवों के वास्ते हैं। जो कोस कोस भर पर है विणा रे वास्ते भिडिल स्कूल बणा राख्यो है। बाकी एरिया में सीकर का ठिकाणा में ३५, ३५, ५०, ७० कोस में चारणारा गांव है वठे एक भी आज दिन ताईं कोई स्कूल मिड़ल नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल हो जिके भी आ करयो के सवां की मरजी पर छोड़ दियो है या राख दियो है। या जांच कराल्यो तो वेरो पड़ जाय कि जाति को काम हुयो है।

वठे एक आदमी कम्पनी हो रहो है। जियां बिरला कम्पनी, टाटा कम्पनी है जियां एक आदमी की कम्पनी है और मीने के मीने जार आपरी सम्हाल कर जो मिले वो ले आवे है। कम्पनी में के हो रहयो है कि जिको रामेसर प्रसाद भार्गव कलेक्टर पर मारे वठे है उपा सूं पेलां एक राजपूत हो। तो १५ साल से म्हारे राज को काम चाले है; तो रामेसर प्रसाद सूं पेलां वठे राजपूत हो वो पक्षपता व रिश्वत लेणयो नहीं हो। वे जिस्यो दूसरो आदमी म्हने ६० साल में को ना देख्यो। कम्पनी वाला शिकायत करी क्यूं के वे कम्पनी की को मानी। वीं की बदली करादी कम्पनी को जिको मालिक है वीने। तो कम्पनी वाला वठे हाऊ बण राख्यो है। तमाम अफसर है वे स्टाका आदमी है कम्पनी का मलिक कोई कह दे तो वीं वक्त ही वीं की कलम जा पड़े है। बिल्कुल तड़का अफसर नहीं है।

[श्री ईश्वरीसिंह]

फेर ईयां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बणा रिया है के जिकी काई हद नहीं हैं। कलेक्टर के करो है कि ईने बहोत बडा नाजायज तरीका सूं वरत्यो जाय है। कांई आडूं बणा दियो कि है इत्ता दिनां सूं के हो रह्यो है के कलेक्टर बोले कोन्या। वठे कुआ की मरम्मत रे वास्ते २००, २५०, ३०० रुपइया और लोगां ने दिया था। वीने २५०० रु दे दिया। वे के कारण सूं दे दिया गयाहै ? वे आप लोग देखल्यो। काल भी मह कह्यो है कि १२००, १५०० रुपय जिकां गरीब है वां कूं दियो जाय और जिका जाति सूं है वां ने ३५००, ४००० रुपया दे दिया जाय। ईया को काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हो रह्यो है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डरा बिल रे वास्ते जो भैरूंसिंह कही है के जनतारी राय लो। तो म्हारी राय है के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड री जरूरत के है। बाहरला गांव मांय पंचायतां बण गी है। पंचायतां आपणी मांग प्रस्तुत करसी तो फेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रे वास्ते के वाकी रहेगो ? मैं आज आप लोगां सूं कहूँ के कम से कम एक बार जांच कराई जाय।

मैं नाम बता दूं के एक सरदार साहब हुओ सरदार साहब हुयो बतावे हैं कि जीने वठे एक ब्रत कर राखी है। ब्रत में महीना दो महीना में जावे है और आप रा लोगां ने संग लेले है और दौरो करे है। और गरीब लोगां ने कहे के ८, १० बरस पेलां प्रजा मंडल में हो तो महारी सिर फोड गेरो है। वे आठ साल तक दो, तीन गांव में और भी कई ईयां की बातां करे है तो यां की चीजां गवर्नमेंन्ट ना करे। गवर्नमेंन्ट रुपया जो खर्च है कई कारण से, गरीबों के फायदा के वास्ते होना चाहिजे। आदमियां की तादाद पर रुपया देणा चाहिये। दूसरी बात या देखी है सीकर में शास्त्री सरकार ही जणी वगत लाखों रुपया देदिया बाद में व्यास की सरकार हुई लाखों रुपया बिगाड़या, सड़क कराई कांकरा निकल गया। करोडां रुपया लगा जयपुर से सड़क चलायी एक आदमी के वास्ते। लाखोंकरोड़ोंबिगाड़या जदी गाडी के एक डब्बो और लगा देता, लेकिन गवर्नमेन्ट ने कीं फायदा हुओ और जनता ने कंई फायदा हुआ। या हीज़ सरकार कोई नई हुई है नहीं। प्रजातंत्र....

श्री **सभापति**—आप तो यह राय दें कि यह बिल जनमत के लिए भेजा जाय या नहीं ?

श्री **ईश्वरीसिंह**—जनमत के लिए भेजा जाय। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री शंभूसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल को जनमत के लिए प्रसारित करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। डिस्ट्रिक्ट बोडर्स के चुनावों के सम्बन्ध में जो अड़चन इस वक्त सरकार के समक्ष पेश आ रही है और चुनावों की अवधि का मैं विरोध करना चाहता हूँ। इसका असर उस वक्त ही नजर आने लग गया था जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून बनाया गया था। उस वक्त बहुत से सदस्यों की यह राय थी कि चुनावों का तरीका अप्रत्यक्ष न रख कर प्रत्यक्ष रखा जावे। लेकिन सरकार का यह विचार था कि प्रत्यक्ष चुनाव रहेंगे तो बहुमत कांग्रेस पार्टी का हो पाये या न हो पाये इसलिए

[श्री शंभूसिंह]

इसको अप्रत्यक्ष ही रखा है। और उनके जरीये से कांग्रेस पार्टी का बहुमत हो जायगा और बहुमत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कराके उसमें अपने स्थान बहुत ज्यादा तादाद में ग्रहण कर सकेंगे परन्तु हुआ इसके खिलाफ। जैसा कि आज कल कांग्रेस लोक प्रिय नहीं रही है और लोकप्रियता से गिर रही है उसी माफिक पंचायतों में भी काफी तादाद में जनता के व्यक्ति, जो कि निष्पक्ष व्यक्ति हैं, वे ज्यादा तादाद में आये हैं और यह अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। उसी वक्त उन्हें यह दिखाई देता था कि पंचायतों के कारण हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डस में भी बहुमत में हो जावेगें और इस लिए बोर्डों के इस तरह के चुनाव जरूरी हैं। चेयरमेन महोदय, मैं यह कहूँगा कि अव्वल तो यह चुनावों का तरीका ही दुरुस्त नहीं है और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो इस प्रकार की संस्थायें कायम की गई थीं, उस वक्त हमारे देश में विदेशी हुकुमत थी और हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार से विशेष व्यवस्था स्थानीय स्वराज्य के रूप में की गई थी। आज अपने देश में प्रजातन्त्र सरकार है और इस प्रकार की संस्थाओं से हमें किसी प्रकार का धोखा भी नहीं देना है और धोखे की संस्थाओं से संतोष नहीं करना है। सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूलों के और जितने जनहित के कार्य हैं वे सरकारके निर्माण विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा या स्वास्थ्य विभाग द्वारा सब अन्जाम पहुँचाये जा रहे हैं और अंजाम पहुँचाये जाने चाहिये। तो यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सुपरफ़्लुअस संस्था रह जाती है लेकिन फिर भी सरकार इसकी आवश्यकता समझती है तो इसका जो चुनाव का तरीका है, अप्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका है जनता द्वारा पंचो को चुना जाना और पंचों द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव का जो तरीका है वह बहुत गलत तरीका है। इसमें भी जो अमेन्डमेन्ट किये जा रहे हैं कि बकाया एरीयर्स होंगे वे भी लैंड रेवेन्यू के ही तरह वसूल किये जावेंगे। यह भी बहुत सख्ती की बात है कि एरीयर्स रहे हैं तो क्यों रहे हैं ? तो स्पष्ट है कि जनता का सहयोग नहीं है इस प्रकार का टेक्सेशन देने का। जनता की इच्छा के विपरीत उन पर क्यों टेक्स इम्पोज किये जावें और किये जावे तो सख्ती से क्यों वसूल किये जावें ? इन सारी बातों को सोचने की दृष्टि में चुंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ताल्लुक सार्वजनिक जनता से है, गांवों की जनता से है, न कि शहरी जनता से, शहरों का ताल्लुक नहीं है गांव वालों से इसका ताल्लुक है तो यह जरूरी बात है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए जो अमेन्डमेन्ट किये जा रहे हैं उनको सार्वजनिक सम्मति के वास्ते प्रसारित किया जावे ताकि सरकार को यह मालूम हो सके कि जनता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को किस रूप में चाहती है। इसलिए मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इसको प्रसारित करने का जो प्रस्ताव आया है उसको सर्व सम्मति से स्वीकार करें।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो अध्यादेश हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है एक बहुत ही महत्व का विषय है और इसलिए इस पर मेरे बहुत से साथियों ने अपना मत बतलाया है। मैं समझता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून बना वह शुरू से ही अभागा रहा है।

[श्री वेदपाल त्यागी]

१२ फरवरी, १९५४ को हमारे राजप्रमुख की इस पर अनुमति प्राप्त हुई थी और हमने स्वीकृति दी थी। सन् ५५ में जाकर यह लागू किया गया और उस कानून में जो कुछ लिखा गया, जब यह कानून लागू होगा तो छः महीनों के अन्दर २ जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्डस हैं उनके चुनाव करा देंगें। लेकिन आज एक वर्ष से ऊपर हो गया अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। हमारी विधान सभा सन् ५१ ५२ में बनी, ५२ से आज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का चुनाव होकर न बने वाकई शर्म की बात है और आज भी वह इस अमेन्डमेन्ट के साथ आता है कि इसकी छः महीने की और अवधि बढ़ा दी जाय। यह छः महीने की अवधि इसलिए बढ़ा दी जाय चूंकि हमने आर्डिनेन्स जारी कर दिया है और उस कानून की मियाद समाप्त हो गई थी। छः महीने में भी बना देंगे मुझे इसमें अब भी शंका है कि यह छः महीने में भी बन पायेंगे या नहीं। सरकार की नीति की स्पष्ट घोषणा हमारे सामने नहीं हुई यद्यपि सरकार ने आश्वासन तो बहुत दिये कि जल्दी ही इलेक्शन कर देंगे किन्तु यह आड़ लेते रहे कि पंचायतों के चुनाव नहीं हुए इसलिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं बन पाये। पंचायतों के इलेकशन क्यों नहीं हो पाये और क्यों नहीं हो पा रहे है मैं समझता हूं कि उनमें बुनियादी कमियां हैं उसके कारण जनता में जो इलेक्शन होते हैं विश्वास जम नहीं पाता है और नहीं ठीक प्रकार से होते हैं। जहां कहीं हुए या तो वहां मंत्री महोदय को, या चीफ पंचायत ऑफिसर को या हाई कोर्ट को उनमें दस्तान्दाजी करनी पड़ी हैं। और यह वाकई हैं जिसके कारण हाई कोर्ट में सैंकड़ों रिट दायर हो चुके हैं और हाईकोर्ट से हुक्म इम्तिनाई हो चुका है और उनको रोका गया है। इसके विपरीत भी सरकार इसको इन्ट्रोड्यूस करना चाहती है। इसमें भी बुनियादी बात यह है जिस की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कानून बनाने का अधिकार हमारी विधान सभा को है और कानून किस २ बात में बनने चाहिए और वे कौनसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन्स हो सकते हैं जिनमें सरकार को अधिकार देने चाहिए उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय तो उपयुक्त होगा। इस अमेन्डमेंट बिल द्वारा सरकार वे अधिकार अपने पास लेना चाहती है जो कि विधान सभा को हैं। यह बुनियादी चीज है कि किस प्रकार इलेकशन होने चाहिए, किस प्रकार बोर्ड चुने जाने चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार है किसी को तो वह विधान सभा को है ; न कि वह अधिकार विधान सभा द्वारा हमारी सरकार को दिया जाना चाहिये। लेकिन आज प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन के आधार पर सिंगल ट्रांसफरएबल वोट्स के आधार पर चुनाव का तरीका बताया गया है उस प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन के आधार पर चुनाव करने से माइनोरिटीज को भी अपना रिप्रजेन्टिटिव भेजने का मौका मिल सकता है। इस तरीके के बजाय आप उस चुनाव प्रणाली में अमेंडमेन्ट करना चाहते हैं। आपका नया तरीका क्या होगा, किस प्रकार होगा यह सब विधान सभा नहीं जानती है। इसका मतलब यह हुआ कि विधान सभा को जो अधिकार है वह अधिकार सरकार को दे दिया जाय बिना जाने हुए कि चुनाव का मोड़ क्या होगा, तरीका क्या होगा? यह पॉवर विधान सभा से लेकर सरकार के हाथ में दे दी जाय कि जिस तरह से चाहें उस तरीके से वे चुनाव करावें। यह तरीका गलत होगा, सिद्धांत के विरुद्ध होगा। मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ; इस प्रकार के अधिकार सरकार को नहीं दिये जाने चाहिये। डेलिगेटेड अधिकारों द्वारा

[श्री वेदपाल त्यागी]

हमारे अधिकारों को युजर्प करें यह गलत है। इसका विरोध करना चाहिए और उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन के आधार पर चुनाव होता हैं जहां इलेक्टोरल कालेज बनाया जाता है, वहां इन्डाइरेक्ट चुनाव रखे जाते हैं, डाइरेक्ट चुनाव इन्डाइरेकट चुनाव करने में इस बात का ख्याल रखा जाता है जो माइनोरिटिज होती हैं उनको रिप्रजेन्टेशन मिलता रहे। माइनोरिटीज को रिप्रजेन्टेशन देने का तरीका केवल प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन ही है। जो माइनोरिटीज़ के लोग पंचायतों आदि में जनरल इलेक्शन में चुन कर आये हैं उनका रिप्रजेन्टेशन यदि डाइरेक्ट इलेक्शन करते है तो हो नहीं सकता इसलिये इलेक्टोरल कालेज रखा जाता है। लेकिन आपके यहां जो पंच चुनकर आये हैं उनका रिप्रजेन्टेशन लेने के लिये यदि इन्डाइरेक्ट चुनाव करते हैं तो बहुमत नहीं पाता इसलिए आप इस प्रणाली को बदलना चाहते हैं। आपने इस अमेन्डिंग बिल के जो ओब्जेक्टस एंड रीजन्स बनाये हैं उनमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव पंचों द्वारा होता है और पंच लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिये वे इस प्रणाली मे कामयाब नहीं हो सकेंगे, नहीं होंगे इसलिए हम यह प्रणाली बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो लोग चुनाव के जानकार हैं उन्होंने काफी अध्ययन किया है और कई प्रणालियें देखी हैं। इस चीज में, जहां पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं, गलतियें ज्यादा हो सकती हैं उसको दूर करने के लिये नये तरीके ईजाद किये हैं। जैसे जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि इस कमी को दूर करने के लिए बेलेट पेपर में परिवर्तन किया है और चुनाव करने का नया तरीका निकाला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह के बेलेट पेपर्स काम में ला सकते हैं। उन बेलेटस में आप सिम्बल्स भी काम में ला सकते हैं। बेलेट पेपर या मतदान पत्र है जिसमें आप निशान लगाते हैं उनमें नामों के साथ साथ सिंबल्स भी दे सकते हैं ताकि बिना पढ़े लिखे लोगों को पता लग सके कि किस को वोट देना है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है जो नाम पढ़ सकें तो आप सिम्बल देदें। यह कहेंगे कि १, २, ३ नंबर लगाने में भी दिक्कत आयेगी। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिये पढ़े लिखे लोग काम करेंगे। उनके लिए नियम बनायेंगे जैसे आम चुनाव के लिये नियम बने हैं कि जो आदमी आंख से देख नहीं सकता उसके लिये जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर है वह एजेन्सी का काम करता है। उसी तरह से जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, नंबर लगाना नहीं जानते, वे लोग वोट देने के लिए दूसरे आदमियों की एजेन्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिये लोग पढ़ नहीं सकते, नंबर नहीं लगा सकते इसलिये चुनाव के तरीके को बदलना चाहते हैं यह ठीक नहीं है। इसलिए माइनोरिटीज को जिसका रहना जरूरी है, रिप्रजेन्टेशन देने का यही तरीका है। यदि इसको आप अमेन्ड कर देंगे तो उनको बिल्कुल रिप्रजेन्टेशन नहीं दे सकेंगे। पंचायतों के चुनाव में आपने एक नया तरीका निकाला है जो लोग चुनाव में वोट देने आवें वे नम्बर से खड़े हो जावें, एक तरफ से गिनती करनी शुरू करते हैं और जो लोग पहले गिन लिये जाते है वे फिर दुबारा आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि नई प्रणाली अपनाने में जो मिसचीफ होगी उसका उस वक्त अंदाजा लगेगा जब कि आप चुनाव

[श्री वेदपाल त्यागी]

करायेंगे। तब पता लगेगा कि किस तरह का दुरुपयोग किया जाता है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो प्रणाली प्रचलित है पंचायतों के इलेक्शन के लिए वह भी बिल्कुल डिफेक्टिव है। इसमें इतने डिफेक्टस हैं कि जिसके कारण पंचायतों में माइनोरिटीज को मौका तो कम दिया जाता होगा चुने जाने का, लेकिन जो लोग जीते हुए होते है उनको जीता हुआ घोषित नहीं किया जाता और जो नहीं जीतते हैं उनको कहा जाता है कि ये जीत गये। आप उनको पकड़ नहीं सकते। आपने इसके लिए ओपन चुनाव रखा है। जो वोट देने आता है वह रो बना कर खड़ा हो जाता है। नतीजा यह होता है कि इधर से गिनती शुरू होती है और जो गिन चुके होते है वे फिर से खड़े हो जाते हैं। और जो हारते है उनका रेकार्ड नहीं रहता है और गलत घोषणा कर दी जाती है। हारे हुए आदमी को जीता हुआ बता देते हैं और जीते हुए को हारा हुआ बता देते हैं। जब हाई कोर्ट में रिट दाखिल करते है या और कहीं सवाल आता है तो कहा यह जाता है कि हारे हुए आदमियों की चिल्लाने की आदत होती है। मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव बुनियादी चीज है इसमें सोच समझ कर काम करना चाहिये। इसमें कमियें रहती हैं तो प्रजातन्त्र का ढांचा जो बनने जा रहे है उसके प्रति अविश्वास रहता है। चुनाव जैसी जो चीज है उसकी कमियें ऐसा रूप धारण करती हैं जिससे परेशानी हो जाती है। आज पंचायतों के प्रति लोगों के क्या ख्यालात हैं? लोग सोचते थे कि पंचायतें कायम होंगी तो हमारे गांवों में पंचायत राज्य होगा और हमको राहत मिलेगी, घर बैठे न्याय मिलेगा, खुद गांव वाले प्रबन्ध करेंगे। लेकिन आज बुनियादी डिफेक्टिव चुनाव प्रणाली की वजह से जिस तरह के लोग पंचायतों में चुनकर आये हैं उनसे जनता परेशान हो गई है और उसकी वजह से लोग कहने लगे हैं कि हम पर पंचायती राज्य क्यों थोपा गया? इससे तो हम बिना पंचायत ही अच्छे थे। यह खराबी हुई है चुनाव प्रणाली के कारण। यही खराबी आपकी इन्डाइरेक्ट चुनाव को भी खराब करेगी। डाइरेक्ट चुनाव में खराबी होती है तो और रूप होता है। जो लोग डाइरेक्ट इलेक्शन से आपकी पंचायतों में गये है उनसे प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन द्वारा चुनाव न कराकर नई प्रणाली से चुनाव करायेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के चुनाव भी उतने ही गलत होंगे जितने पंचायतों के हुए हैं।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाऊंगा और वह यह कि इस एमेन्डमेन्ट विधेयक के जरिये उन बोर्ड्स को जो रिपील हो चुके हैं इस एक्ट के द्वारा, यदि उनकी अवधि समाप्त हो जाती है कानून द्वारा तो आज फिर इसके द्वारा आप उनको नई अवधि प्रदान कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो जावे तब तक वे ही काम करेंगे, तो हम को इस प्रकार का कानून बनाने से पूर्व यह देखना चाहिये कि आज जो बोर्डस काम कर रहे हैं उनका कायम रहना जरूरी है या नहीं। यदि उनको रखना जरूरी है तो इस को इस रूप में ला सकते हैं। लेकिन हमारा तजुर्बा यह है जो मनोनीत बोर्डस हैं और उनमें जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वे अवांछनीय व्यक्ति हैं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा; लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिन जिन बोर्डस का आपने ओडिट कराया है उनकी ओडिट रिपोर्ट आपके सामने है उनसे पता चलता है कि बोर्डस किस तरह से काम करते हैं। जिस तरह से

[श्री वेदपाल त्याग

पंचायतों ने पार्ट अदा किया है, उसी तरह से बोर्डस के चेयरमेन जो हैं उन्होंने पार्ट अदा किया है और वे रहने लायक नहीं हैं। ये बोर्डस उस समय बने थे जब कि इस विधान सभा का चुनाव नहीं हुआ था और प्रजातन्त्र का रूप हमारे यहां नहीं आया था। आज उनको कायम रखना ठीक नहीं है जब कि राजस्थान के तीन चौथाई हिस्से में डिस्ट्रिक्ट बोर्डस नहीं हैं तो केवल १।४ भाग में डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को कायम रखना समयानुकूल नहीं है; और जिसके कर्त्तव्य साबित कर दिये गये हैं वे रहने लायक नहीं हैं। उनकी अवधि बढाना इस प्रजातंत्र के युग में लोगों के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिये आप इस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं जो कानून कायम रहे तो भी उनकी अवधि समाप्त हो गई होती लेकिन आज आप उनकी अवधि बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि आप उनके इलेक्शन नहीं करा सकते तो उन लोगों को जो एलेक्टेड बोर्ड के सदस्य नहीं हैं बनाये रखना कतई उचित नहीं है। आप बिना बोर्ड भी काम कर सकते हैं। जैसे एक मित्र ने बताया था कि जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड में ३ वर्ष से एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है क्योंकि बोर्ड के चुनाव नहीं हो सके हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्डस चुने हुए नहीं हैं। चुने हुए होते तो और बात थी लेकिन ये लोग तो किसी व्यक्ति विशेष के कृपा पात्र हैं इसलिये वे वहां पर विराजे हुए हैं और वहां जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से धन का दुरुपयोग कर रहे हैं यह सब ओडिट रिपोर्ट से साफ विदित हो जाता है जो गवर्नमेन्ट के सामने है।

मैं समझता हूं कि शायद मन्त्री महोदय मुझे कन्ट्राडिक्ट करने की कभी जरूरत नहीं कर सकते कि जो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की उनके सामने आई है उसके आधार पर अगर जरा ईमानदार हैं तो उन्होंने राय बनाई होगी कि उनको प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिये। जिस प्रकार इस बोर्ड के धन का दुरूपयोग किया गया, पब्लिक मनी से खिलवाड़ की गई कि उन्हें प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिये। आज उनकी जगह दूसरा आदमी है, किसी दूसरे के आदमी हैं, पर उसी तरह का सपोर्ट है, कार्य करने की प्रणाली वही है, उनको कायम रखना मैं कभी न्यायसंगत नहीं समझता।

इस अध्यादेश से यह कानून बनाया जाने वाला है वहां उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की अवधि भी बढ़ाई जाने वाली है जो अन्दरवाइज खत्म हो गई है। जिन लोगों का काम ऐसा नहीं कि वे वहां रह सकें, उनकी अवधि को बढ़ाना न्याय संगत नहीं, यह कानून के साथ खिलवाड़ करना है। ऐसी सूरत में यह कानून जैसा आया है उस रूप में इसे पास कर देना सदन की भूल होगी। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और इसमें जो खामियां हैं उनको दूर कर के जल्दी ही चुनाव कराये जायं। कुछ लोगों का इस सदन में यह मत है कि हमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने ही नहीं चाहिये, क्योंकि सड़कें बनाने का काम गवर्नमेन्ट कर रही है, स्कूलें गवर्नमेंट खोल रही है, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है? जिन लोगों का यह मत है वे शायद गांधीजी के अनुयायी नहीं। गांधीजी का यह मुख्य सिद्धान्त था कि एडमिनिस्ट्रेशन का जितना अधिक डिसेंटरलाइजेशन किया जा सके उतना किया जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्डस, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह की जितनी ये प्रणालियां निकली हैं वे एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेन्टरलाइज करने के लिये

[श्री वेदपाल त्यागी]

निकाली गई हैं। जो कार्य इन लोकल सेल्फ बोडीज के द्वारा किया जाता है वह क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पर गांधीजी चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यहां तक कि विलेज लेवल पर पावर को डिसेन्टरलाइज करना चाहिये। तो ऐसी सूरत में जो यह कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस नहीं बनने चाहियें वे गांधीजी के इस नारे का विरोध करते हैं जो उन्होंने देश को दिया। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज तक उन्होंने जो यह एटीट्यूड रखा कि आज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का इलेक्शन नहीं कराया, उसे बदलें और इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर के ठीक करवाया जाय और इसी विधान सभा में इसे पास किया जाय।

कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की यह संस्था सुपरफ्लुअस बोड़ी है क्योंकि सड़कें वगैरह बनवाने का काम सरकार करती है। पर यह बात उचित नहीं, ये काम गवर्नमेंट करती है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह सुपरफ्लुअस बोडी है, यह तो डिसेंटरलाइजेशन ऑफ पावर करने के लिये संस्था है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर के इसकी खामियों को दूर किया जाय और इसे इसी विधान सभा में पास किया जाय। अगर इस बिल को जैसा कि यह है वैसा ही पास किया गया तो यह इस सदन के लिये और आपके लिये शर्म की बात होगी, आप चाहें इसे मानें या न मानें।

श्री श्रीदास गोयल—डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के बारे में यह संशोधन बिल आ रहा है बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा इसलिये मुझे इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, परन्तु कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करा देना मेरा कर्तव्य है।

जहां तक अभी तक चुनाव नहीं होने का प्रश्न था मैं भी यह मानता हूं कि सम्बन्धित मन्त्रियों को मैंने और मेरे मित्रों ने कहा और उन्होंने स्वयं इस चीज को महसूस किया कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाने चाहियें, पर वास्तविक कठिनाई थी उसको नहीं भुलाना चाहिये। पंचायत एक्ट सन् १६५३ में पास किया और पंचायतों के चुनाव पूरे नहीं हुए और गत जनवरी में और पहले भी डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के मेम्बर्स के चुनाव कराने का प्रश्न आया तो यह महसूस किया गया कि पंचायतों ही को डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का चुनाव करने का अधिकार है, ऐसी सूरत में पंचायतों के चुनाव नहीं हों तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का भी चुनाव नहीं हो सकता। इसलिये एक ओर्डीनेन्स लाया गया जो जयपुर और बीकानेर राज्यों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डस मौजूद थे, और काम कर रहे थे, वे जीवित रहें तो उनसे जनता को लाभ पहूंचता था, उनके पास फंड्स भी थे, इस लिये अर्डीनेन्स के जरिये उनकी मयाद बढ़ाई गई और अन्डंर दी कन्स्टीट्यूशन २६ जनवरी तक चुनाव सम्पन्न कराने की बात थी जब तक की असेम्बली का सेशन हो। तो इस तरह इस

Page No 69

[श्री श्रीदास गोयल]

मयाद के बढ़ाने का प्रश्न है वह बहुत ही स्पष्ट पोजिशन है। यह स्पष्ट पोजिशन है मयाद बाढ़ने के बारे में जिसको एप्रेसियेट करना चाहिये।

जयपुर और बीकानेर राज्यों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डस थे उनको रद्द करके उनका एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का किसी सरकार ने नहीं कहा। इस नये कानून में किसी भी मेम्बर को नोमिनेट तक नहीं कर सकेंगे जहां कि जयपुर और बीकानेर के राज्यों के डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के कानून में नोमिनेट करने की ही परम्परा थी। यदि करप्शन की शिकायत हो तो सरकार जांच करके उस बोर्ड को डिजोल्व कर के दुबारा चुनाव करा देगी पर एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जाय यह कहां तक ठीक है ....

श्री वेदपाल त्यागी— इसके लिये आॅर्डीनेन्स आता तो ठीक था इसके मुकाबिले में।

श्री श्रीदास गोयल— एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसे गवर्नमेंट की विशेज़ के माफिक काम करना पडता है, उस वक्त कहा जाता कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को अपने हाथ में रखना चाहती है। ऐसी सूरत में एक व्यक्ति की जगह ३० व्यक्ति जो कि जनता के ही अन्दर के हैं वे इकट्ठे हो कर डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को चलाते हैं तो थोडी गंभीरता और शांति से सोचें तो यह एक भली और स्वस्थ परम्परा है, इसके लिये सरकार को दोषी नहीं ठहरना होगा। जो इसमें खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करना चाहिये और जो देरी हो रही है उसके लिये जल्दी से जल्दी चुनाव करा देने चाहिये।

मेरे एक माननीय मित्र ने कहा और मैं भी उसे मानता हूं कि पुराने डिस्टिक्ट बोर्ड कानून में इस हाउस ने एक राय से कन्टीग्वीटी और सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट का रखा उसकी जगह एज प्रेस्काइब्ड की परम्परा डाली जा रही है यह ठीक नहीं है, जब पुराने एक्ट में दोनों चीजें मौजूद हैं तो उनको हटाने की क्या जरूरत हुई, यह ऐसा प्रश्न है जो संदेह के साथ देखा जा सकता है और वह संदेह निराधार नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट क्यों इतनी जिम्मेदारी लेती है? तो मैं यह निवेदन करूं कि जो हमारे मित्रों के सुझाव आये हैं कि हम यहां बैठ कर इमिडियेटली निर्णय नहीं ले सकते हैं कि आया राजस्थान के हित में या ग्रामीण जनता के हित में सिंगल ट्रान्सफरएबल वोट हितकर होगा या नहीं इसके लिये तो सिलेक्ट कमेटी ही ऐसा स्थान हो सकता है जहां पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है और जो निर्णय लिया जा सकता है और जो निर्णय सिलेक्ट कमेटी में होगा वह ठोस होगा और उस समय इसके जो Pros and Cons एडवान्टेजेज और डिसएडवान्टेजेज हैं उनको सबको सोच सकेंगे। इसलिये मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपर्द कर दिया जाना चाहिये। मेरे मित्र ने जो यह बात कही कि इसको सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जावे जो दो महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश करे, इस संबन्ध में अपने मित्र की चतुराई और होशियारी की दाद देता हूं। वे कोन्स्टीट्युशन, एक्ट और औडीनेन्स आदि के बारे में खूब जानते हैं। यह वे किस दृष्टि से बता रहे हैं। इसलिये दो महीनों का निश्चित समय किया है वह ठीक नहीं है। इसको एसेम्बली चले तब तक ही देख लेना चाहिये

[श्री श्रीदास गोयल]

क्योंकि अगर दो महीनों की अवधि बढ़ाई जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि २६ जुलाई तक इसको पेश करना चाहिये। इसको मैं यह मानता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना जरूरी है। दो महीनों का समय जो है वह impossilility की तरफ ले जाने वाला है। हमें लीगल पोइन्ट को व्यू में रखना चाहिये और उसको ध्यान में रखते हुए थोडा समय लेना चाहिये और जैसा श्री सोहनलालजी ने कहा कि चार दिन में इस पर विचार कर लिया जाना चाहिये, यह सुझाव ठीक है। अगर चार दिन में विचार पूरा न हो सके तो दो तीन दिन और ले लिये जावें। यह बहुत जरूरी है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे और बाद में हाउस में लाया जावे।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं मेरे मित्र श्री श्रीदासजी गोयल से यह चाहूँगा कि वे क्या चाहते हैं ? आपने फरमाया कि जयपुर और बीकानेर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे उनको कायम रखने के लिये प्रयत्न किया गया इससे लोगों को लाभ होता था। क्या वे सदस्य पब्लिक के प्रतिनिधि थे और उनको लाभ होता था और उनका रखना अच्छा था या आम जनता को लाभ होता था ? यह तो साफ होगया कि उनसे पब्लिक को क्या लाभ हुआ और हो रहा है ? पब्लिक को तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, अलबत्ता पब्लिक के रुपयों का दुरूपयोग जरूर हो रहा है। आपने फरमाया कि इससे पब्लिक को लाभ हुआ। इससे आपका क्या मतलब है ? क्या इससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों को लाभ हुआ और आपने पब्लिक का शब्द गलती से निकाला इसके लिये स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, यह तो केवल चश्मे का फर्क है। जिस तरह के चश्मे से देखें देखा जा सकता हैं। मेरे मित्र कुछ और चश्मे से देखते हैं और उनका देखने का ढंग अलग है। मैं अपने ढंग से देखता हूं। मैं तो अपने ढंग से मान कर चलता हूं कि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने किया वह जनता के हित के लिए किया है। अब इस पर आपकी आडिट रिपोर्ट क्या कहती है, माननीय मंत्री क्या कहते हैं ? अगर किसी ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है और उनके खिलाफ कोई आरोप है तो जरूर उनको सजा देंगे।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय उपाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों के बारे में सदन के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। हमारी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार जिस तरह से कोई एक बच्चे को पालता है और परिवार का कोई आदमी बच्चे को खिलाने के लिये खिलौने से खिलवाड़ करता है उसी तरह हमारी सरकार भी बड़े सुन्दर तरीकों से उन लोगों को पालती है और जनता के साथ खिलवाड़ करने का सुन्दर तरीका निकाला है। नवम्बर में आप देखिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के लिये तारीख घोषित करदी गई। नोमिनेशन फोर्म भरवा लिये गये। मैं यह पूछना चाहती हूं कि उस समय क्या हमारी सरकार विचार नहीं कर सकती थी ? उस समय यह कहा गया था कि चुनाव होने वाले हैं। आज फिर यह बिल हमारे सामने सदन में आया है जिसमें अवधि बढ़ाने की बात कही गई है। मैं कहती हूँ माननीय उपाध्यक्ष, कि हमारी सरकार इस कार्य में इतना धीमा

[श्रीमती यशोदा देवी]

कदम क्यों उठाती है। इतनी धीमे धीमें क्यों आगे बढ़ रही है ? और चीजों में तो हमारी सरकार ने बड़ी जल्दी तरक्की कर ली है। और इस मामले में धीमें कदम क्यों उठाती है ? क्या यह धीमें कदम इसीलिये उठा रहो है कि हमारी सरकार के साथ जो उसके पिट्ठू चलते हैं और जिनका सहारा लेकर आज हमारी सरकार चलती है तो मैं कह देना चाहती हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि यह सरकार अधिक दिन तक टिकनेवाली सरकार नहीं है।

("हियर हियर" विरोधी दल की ओर से)

यदि कोई आदमी बार बार कच्ची नींव डालता है और उस पर पक्का मकान बनाना चाहता है और उस पर लोहे के बार डालना चाहता है तो मैं यह कहूंगी कि वह मकान जल्दी ही गिरजाता है। उसी तरह से हमारी सरकार इन लोगों को कच्ची नींव की तरह कब तक सहारा लेगी। किसका सहारा ले रही हैं ? भ्रष्टाचारी और स्वार्थी लोगों का सहारा लेकर और उनकी सलाह ले कर कब तक खड़ी रह सकती है। आप जानते हैं कि चुनाव होगा तो आपके लोग नहीं आ सकते, इसीलिये आप बार बार बराबर काम में रद्दोबदल करते जा रहे हैं और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। मगर मैं यह कहूँगी की जो सरकार लोभ और लालच देकर पक्षपात करके अपनी सरकार को टिकाये रखना चाहती है तो मैं यह कहूँगी कि हमारे देश में कोई भी सरकार इस तरह से नहीं टिक सकती और ऐसी सरकार का बहुत जल्दी खात्मा होगा और हमारी राम राज्य का सिद्धान्त रखनेवाली सरकार जनता का किसी तरह से हित नही कर सकेगी और न किसी को इससे खुशी हो सकती है। रात और दिन में राज करनेवाले जो लोग सरकार के साथ हैं उनकी राय न जानकर आम पब्लिक की राय पूछनी चाहिये और उसके लिये यह बिल भेजना चाहिये सिलेक्ट कमेटी के पास आपका यह बार बार कहना की हमने समाजवाद को अपना लिया है इसके माने यह नहीं होते कि आप पब्लिक से कुछ पूछे नहीं। अगर कोई गधा शेर की खाल पहनले और चिल्लाता रहे कि हमने शेर का चोला पहन लिया है शेर बन गया हूं मगर जब वह टोले में जावेगा तो वहां भूकने लग जावेगा।

(हंसी)

तो मैं माननीय उपाध्यक्ष, यह कहती हूँ कि पब्लिक की सेवा करने वाले आदमी ही वहां टिकेंगे और आपको जो गलत रास्ता दिखाने वाले लोग हैं वे कभी नहीं टिक सकेंगे और उनके लिये बार बार इस तरह से अवधि बढानेसे काम नहीं चलेगा। अब पब्लिक इतना बच्चा नहीं है जो खिलवाड़ की गेंद के साथ वह भी सोचेगी कि कहीं गेंद कूए को तरफ तो नहीं जा रही है। बस इतना कह कर मैं अपना स्थान लेती हूं।

("हियर हियर" की आवाज)

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्याक्ष महोदय, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन अधिनियम जो इस सदन के सामने आया है उसका मुख्य कारण तो यह है कि हमें उसकी अवधि और बढ़ाने के लिये कहा जाता है। उसके लिये आर्डिनेन्स भी निकल चुका है और उस आर्डिनेन्स को इन ओर्डर करने के लिये यह बिल पेश हुआ है। इससे एक बात तो यह दिखाई देती है गवर्नमेन्ट मशीनरी कितनी इनकोम्पीटेन्ट है कि समय के अन्दर चुनाव नहीं करा सकी, इसकी जिम्मेदारी किस पर है माननीय मन्त्री महोदय पर। इधर उधर दौरों में जिनका समय जाता है लेकिन यह जो कार्य है उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। क्या वजह है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव अभी तक पूरे नहीं हुए और यही बहाना लेकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अवधि बढ़ाने के लिये सदन से कहा जाता है। जब कि सरकार समय के भीतर काम नहीं करती तो प्रजा के लाखों करोड़ों रुपये तनखा पर व्यय किया जा रहा हैं मिनिस्टरों की तनखाओं पर और फिर भी काम समय पर नहीं होता है। आपको प्रजा को क्या उत्तर देना चाहिए? इसलिए मैं यह कहता हूँ तो एक बड़ी लज्जा की बात है वक्त पर आप काम नहीं कर सकते लेकिन खैर हो सकता है कुछ कठिनाई या आलस आ ही जाता है और अब तो गरमी का मौसम है पंखे के नीचे बैठते हैं बिजली जल रही है ऐसी हालत में आलस आना तो स्वाभाविक ही है और इसी तरह से हमारी सरकार चलती रही तो सरकार द्वारा जो काम समय पर होने हैं वे पूरे नहीं होंगे। इसीलिये तो आर्डिनेन्स चालू किया गया है और उसी के लिये अवधि के बढ़ाने के लिये यह बिल हमारे सामने है। हमें अवधि बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं अवधि बढ़ाने में सबकी राय हो सकती है और यह जरूरी भी है भूल जो हो गई उसको सुधार दी जावे और समय पर उसको सुधार दी जावे। लेकिन इसके साथ साथ आश्चर्य इस बात का होता है कि इसके साथ साथ और संशोधन भी पेश कर दिये जाते हैं और वे भी अमेन्डमेन्ट ऐसे पेश किये जाते हैं जिससे जो एक्ट पास किया है उसे एक्ट को इन संशोधन से उलट पुलट कर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट जो लाया गया है वह है सेक्शन १२ में उसके लिये यह कहा गया है :

"The amendment proposed in section 12 seeks to dispense in connection with elections to District Boards, with the system of proportional representation, which, it is felt, is too complicated for the electors in rural areas."

माननीय उपाध्यक्ष, यह शब्द पढ़ कर बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है इस हाउस के अन्दर अधिकतर सदस्य रूरल एरियासे आये हुए हैं। जिन लोगों ने राजसभा के लिए अभी इलेक्शन मतदान किया और चार साल से लगातार सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट देते आ रहे हैं और दिया है, इसमें यह कहा गया है कि हमारे रूरल एरिया के अन्दर दूसरे रहने वाले लोग हैं वे इस काबिल नहीं कि वे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रणाली को समझ सके इसलिये यह संशोधन लाया गया हैं। कहा यह जाता है जबकि पंचायतें कायम की गई थीं उस वक्त यह कहा गया था इधर बैठने वाले ज्यादातर सदस्यों ने और इस बात का जोर दिया था जो अधिकार हम पंचायतों को देने जा रहे हैं वे उसे पालन करने में इनकोम्पीटेन्ट होंगे जो पावर हम उनको दे रहे हैं वे उसको

[राज श्री हिम्मत सिंह]

निभाने में इन-कोम्पीटेन्ट होंगे इस लिये पंचायतों के वे अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। लेकिन उधर सरकारी बेन्चों पर बैठने वालों की तरफ से यह कहा गया था नहीं, यह बात ठीक नहीं है, अगरचे इस योग्य नहीं है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको इस योग्य बनावें और इसी बेसिस पर ऐसे ऐसे अधिकार दिये गये जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकन्ड क्लास मजिस्ट्रेट काम में लाते हैं। उधर तो आप पंच और सरपंच को इस प्रकार के अधिकार दे देते हैं और इसके लिये कहा जाता है कि वे वोटिंग की प्रणाली को समझ नहीं सकते, इसके लिए यह संशोधन रखा गया है कितनी अजीब बात है। महज इस गरज से कि आप एक सेक्शन को लाना चाहते हैं, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आपका यह खयाल कि वहां इलेक्टोरल रोल्स इसके लिए इन-कोम्पीटेन्ट होंगे, मैं यह कहता हूं कि यह आपका खयाल बिल्कुल गलत है।

इसके अन्दर अमेंडमेंट लाये गये हैं, वे इस तरह के लाये गये हैं जो प्रस्ताव रखा गया है इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। वास्तव में वहां पर इसको ठीक किया जा सकता है, पहले इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे, उसकी राय लेकर फिर सदन के अंदर पेश करने लिये लाया जावे, तो यह उत्तम होगा। ऐसे ऐसे मामूली २ बिलों के लिये सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना पड़ता है, इससे गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा पर फर्क आता है। इस तरह का कार्य गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, इसको फिर से सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे।

श्री छीतरलाल शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अमेन्डमेन्ट बिल जो सदन के सामने आया है उसके मुतल्लिक जनता की राय जानने के लिये इसको भेजा जाय, इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं कुछ शब्द अर्ज करना चाहता हूं। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि जिस किस्म के अमेन्डमेन्ट लाये गये हैं उससे साफ जाहिर होता है कि यह जनतंत्र के लिये बहुत ही हानिकारक होगा। क्या अब तक जो पंचायत एक्ट में तहसील पंचायत एक्ट के मुताबिक चुनाव पद्धतियां जो बतलाई गई उसमें जो पावर दिये गये हैं उसमें आज पक्षपात और भ्रष्टाचार का बोलबाला जिस प्रकार हो रहा है उसका वर्णन कई मौकों पर समय समय पर इस सदन में किया गया है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय आज तक उनका प्रबन्ध नहीं कर सके।

इसी तरह से चुनावों के मुतल्लिक जो तरीका इस अमेन्डमेन्ट द्वारा सरकार लाना चाहती है और हाउस से पास कराना चाहती है, वह जनतंत्रवाद के लिये बहुत अहितकर होगा। मैं अर्ज करूं, जिस तरह से अभी पंचायतों के बारे में जो नीति बरती गई जैसे एक पंचायत का सवाल मैंने इस सदन में २०।३।५६ को रखा था डिस्ट्रिक्ट बून्दी के अलोद पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में उसके लिये माननीय मंत्री महोदय की तरफ से उत्तर दिया गया कि पंचायतों के पंच, सरपंच का जो चुनाव हुआ उसके नाम आज तक गजट में शाया करने के लिये तमाम कार्यवाही पूरी कर के गजट में शाया होने के लिये भेज दिये गये हैं। इसी संबंध में मैंने बजट के समय भी प्रश्न उठाया

[श्री छीतरलाल शर्मा]

कट मोशन में भी यही प्रश्न उठाया, यही जवाब दिया गया, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि वे पंच और सरपंच के नाम गजट में शाया होना तो दूर रहा, वह फाइल भी आपके पास आजतक नहीं पहुँची है, वे पेपर्स गोलमाल होकर कहीं टक्करें खा रहे हैं। इस पर भी यह जवाब दिया गया कि वे पेपर्स मन्जूर करके गजट में शाया करवाने के लिये भिजवा दिये गये हैं। मेरा यह अर्ज करना है कि और मैं हिम्मत के साथ यह कह सकता हूं वे पूरे के पूरे कागजात वित्त मंत्री महोदय के मकान पर पड़े हुए हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वायत्तशासन मंत्री) यह आप गलत कह रहे हैं वे सब कागजात मेरे पास मौजूद हैं। लॉ डिपार्टमेन्ट की राय के लिये भेजे गये थे। आप इस तरह की वाहियात बातें न करिये।

श्री छीतरलाल शर्मा—आज आपके पास आयें होंगे कल तक तो उनके घर पर थे अगर माननीय मंत्री महोदय इन्क्वायरी करें तो मैं अपना सबूत दे सकता हूँ। इस पर भी यह कहा गया कि उनको छापने के लिये हुक्म दे दिया गया, और गजट में शाया करने के लिये भेज दिया गया। ऐसी स्थिति में मेरा अर्ज करना है कि जो भ्रष्टाचार और धान्धलेबाजी स्वायत्त शासन विभाग में आज तक चली आरही है, इस प्रकार के संशोधन होजाने बाद इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इतना ही अर्ज कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्डस संशोधन विधेयक जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, उसके संबन्ध में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जोधपुर से आये हुए माननीय मित्र श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं।

यह जो संशोधन बिल सदन के सामने आया है उसमें बहुत सारी खामियां नजर आई हैं, और उसी वजह से मैं सदन के सामने अपने विचार रखना मुनासिब समझता हूं ताकि माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उन कमियों की ओर आकर्षित कर सकूं। कहने को तो यह कहा जा सकता है कि कइयों ने अपनी अपनी राय जाहिर करदी अब क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं कुछ खास कमियों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

सबसे बड़ी खामी जो नजर आ रही है वह यह है कि इस कानून के अमल में आने के बाद इसके अन्दर यह व्यवस्था थी कि ६ महीनों के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना दिये जावेंगे, पर वह मियाद पहले भी बढ़ाई गई अब फिर उस मियाद को और बढ़ाना चाहते हैं मेरी समझ में यह नहीं आया की ऐसी कौनसी विशेष परिस्थितियां पहले थी कि जिसकी वजह से पहले इसकी मियाद बढ़ाई गई और आज भी ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं, जिनकी वजह से यह मियाद फिर बढ़ाने की बात कही जा रही है।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

जहां तक मेरी जानकारी है बहुत से जिलों में ग्राम पंचायतों के और तहसील पंचायतों के चुनाव हो गये हैं, और इसलिये जिन जिलों में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने में क्या कठिनाई है ? जिन में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हों, वहां नहीं बनाये जावें तो वह एक वाजिब कारण हो सकता है। पर जहां पंचायतों का चुनाव हो चुका है, वहा क्यों नहीं बनाये जाते, यह समझ में नहीं आता।

इसी बिना पर मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूँ, क्योंकि हमारा पिछला तजुर्बा यह रहा है कि जो अधिकार सरकार लेती है उनका दुरुपयोग होता है।

दूसरी बात जो एतराज के काबिल है वह यह है कि कान्स्टीट्यूएन्सी बनाने के लिये स्पष्ट निर्देश विधेयक में होना चाहिये और वह इसमें नहीं है। मैं नहीं समझ पाता कि मूल विधेयक में इस सम्बन्ध में जो स्पष्ट निर्देश है उसको सरकार क्यों नहीं मानने को तैयार है ? जो स्पष्ट निर्देश मूल एक्ट में चुनाव के तरीके के बारे में है उसको भी आप हटाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उस की जगह प्रेस्क्राइव्ड मैनर हो जाय, ताकि इन चुनावों में भी धांधली करने की गुंजाइश पैदा हो जावे।

तीसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव कराने के लिये कौनसी प्रणाली अपनाई जावे ? जब मूल एक्ट के ऊपर इस सदन में विचार हो रहा था तब काफी बहस इस पर हुई थी। यह आप उस वक्त की प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख सकते हैं। उस वक्त यह सुझाव रक्खा गया था कि जो चुनाव हों वे डाइरेक्ट हों, इस पर कहा गया कि डाईरेक्ट चुनावों में बहुत सी दिक्कतें आवेगी, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हो पावेंगे। उस वक्त जिन सदस्यों ने यह शंका प्रकट की कि अगर कोई निश्चित प्रणाली नहीं निर्धारित की गई तो सरकार इसमें धांधली करेगी. और आज उनकी यह शंका सही मालूम पड़ रही है, इस संशोधन विधेयक को देखकर। अब इस समय इन्डाइरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन की प्रणाली है, उनको भी सरकार बरदाश्त नहीं करना चाहती है और इसको भी बदलना चाहती है। इसके लिये भी स्पष्ट संकेत इस संशोधन बिल में रखने की वास्तव में सरकार की क्या मंशा है तो हमें भी सन्तोष होता पर वह भी नहीं अब भी गोलमाल तरीका अपनाया जा रहा है। और इस तरह से जो सदन की मंशा थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुनाव में किसी के साथ ज्यादती न हो सबको बराबर हक मिले और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन मिले, उस मंशा की भी इस संशोधन बिल में अवहेलना की गई है और इसकी जगह इन दी प्रेस्क्राइब्ड मैनर शब्द रखकर सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है। यह प्रेस्क्राइव्ड मैनर क्या है उसका भी खुलासा आप क्यों नहीं यहीं कर देते हैं। इन दी प्रेस्क्राइव्ड मैनर शब्द बार बार इस्तेमाल में क्यों लाये जाते हैं, आखिर इससे आपकी क्या मंशा है यह आप साफ साफ कहने से क्यों डरते हैं ? अगर आपके सामने चुनाव की कोई स्पष्ट रुपरेखा है, स्पष्ट चुनाव पद्धति है, तो उसको आप स्पष्ट रुप से क्यों नहीं सदन के सामने रखते हैं।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

सबसे बड़ा ऐतराज मेरा यही है। अगर आपके दिमाग में इसका कोई स्पष्ट चित्र नहीं है तो आप उस पर सोचें उसे समझें इसके लिये समय ले लें। इस समय आप तैयार नहीं हैं तो सदन में नहीं आना चाहिये था, सबसे बड़ी ऐतराज की बात कोई है तो वह है, धारा २६ का संशोधन। इस संशोधन विधेयक के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आज काम कर रहे हैं और जो काले कारनामे उनके द्वारा हो रहे हैं उनको जारी रखने की व्यवस्था की जा रही है।

इन बोर्डों के बारे में आम जनता का क्या ख्याल है, उनके कारनामे कितने काले हैं इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी निष्पक्ष आदमी से मिलिये और उसकी राय मालूम करने की कोशिश करिये। आपको अच्छी तरह मालूम हो जावेगा। तो आज के ये बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और जनता के पैसे का इनके द्वारा दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए कोटा से आए हुए मेरे एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अच्छा तो यह होता कि उनको डिजोल्व कर दिया जाता और उनकी जगह एडमिनिस्टेटर अपोइन्ट कर दिया जाता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को वहां एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया तो बोर्डों में कुछ जनहित का कार्य होने लगेगा, लोगों को बहुत कुछ राहत मिलेगी और जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा।

पैसे का आज जिस कदर दुरुपयोग इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों द्वारा हो रहा है इसकी कई मिसालें सदन के सामने रक्खी गई हैं। कई सदस्य इस बारे में स्वयं मिनिस्टर साहब से मिले भी हैं और उनका ध्यान भी आकर्षित किया है। पर फिर भी आप उनको जारी रखने की व्यवस्था करना चाहते हैं और उनकी काली कार्यवाहियों को वैधकरार देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो मुद्दा यहां लाया गया है वह बड़े महत्व का है। उस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है उस पर जल्दी से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, जल्दी से उस पर विचार करना संभव नहीं है इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात को वे स्वीकार कर लें।

मैं यह मानता हूँ कि जो समय श्री हरि कृष्ण व्यास ने मांगा है, वह ज्यादा है। इस के लिये मेरा सुझाव है कि उस अवधि को पन्द्रह दिन कर दिया जाय ताकि हम इस समय के अन्दर इस पर सोच विचार कर लें, और हाउस में भी यह विधेयक जल्दी से वापिस आकर जल्दी पास हो जावे। माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि मुझे कहना था वह मैं कह चुका और इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ कह देना चाहता हूं। बात यह है कि पहले जो जिला बोर्डों के चुनाव के संबध में नीति का अवलम्बन

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

किया गया था वह अवलम्बन ठीक था । यही नीति हमने स्टेट कौंसिल के चुनावों में भी अपनाई है । पर आज जो संशोधन लाया जा रहा है वह कतई उचित नहीं है ।

इन बोर्डों की अवधि बढ़ाने की बात भी जिस तरह से कही जा रही है वह भी गलत बात है । गलत तरीका है । यह प्रतिदिन अवधि बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है ? पहले एक बार बढ़ादी गई, दुबारा बढ़ाई गई और अब फिर यह संशोधन ले आया गया । इसके पक्ष में यह दलील देते हैं कि पंचायतों के मामले अभी पूरी तरह से निश्चित नही हुए हैं । तो यह तो जब तक हल नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार और पक्षपात का बोल बाला इसी तरह जारी रक्खेंगे तो तब तक यह होने वाला भी नहीं है । क्योंकि जब तक न्याय नहीं किया जाकर पद पद पर अन्याय का आश्रय लिया जाता रहेगा, तब तक लोग इसका विरोध करते रहेंगे और अपीलें, दावे और रिटें भी चलती रहेंगी । इसका अन्त तो तभी आवेगा जब आप पक्षपात और भ्रष्टाचार से भरी धांधलियां बन्द नहीं कर देंगे । इस धांधलीबाजी का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे ये पंचायत इलेक्शन हैं । इन पंचायतों का निर्माण न मालूम किस तरह से किया गया है यह वे ही जानें । एक गांव की जिसकी आबादी १५०० है या तीन हजार है वहां दो पंच और जिसकी आबादी सिर्फ ५०० है वहां पांच पांच चुने जाते हैं । यह स्थित जब तक रहेगी तब तक आप कैसे आशा कर सकते हैं कि पंचायतों के मामले निश्चित हो जायें ।

(घंटी)

तो इसतरह से पंचायतों के मामले निश्चित होंगे नहीं और आप इन बोर्डों की मियाद बढ़ाने की आवश्यकता बताते रहेंगे तो आप बतायें कि यह आवश्यकता कब तक बढ़ती रहेगी इस तरह से ।

इसलिए मेरा यह मत है कि न तो यह अवधि बढ़नी चाहिए, और न जो वर्तमान चुनाव पद्धति है वह बदलनी चाहिए, और अगर बदलें तो जिला बोर्डों के क्षेत्र निर्द्धारित हो जाने चाहिए, और यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि एक तहसील से पांच पंच चुने जावें तो एक को तो पांच का चुनाव करने का अधिकार हो एक को एक व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार हो । अगर सुधार करना है तो यह कर दें कि एक को एक व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार रहे ।

अब इस बिल को जनमत के लिए प्रसारित करने की जो बात है उससे कौन इन्कार करेगा । मैं समझता हूं कि अगर आप यह मानते हैं कि जनता आपके साथ है तो इस बिल को जनता की राय मांगने के लिए इसे प्रस्तुत किया जावे, इसमें डरने की कौन सी ऐसी बात है । यह तो समुचित ही होगा । इसलिए इस बिल को जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जावे । यह कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री कस्तूरचन्द—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपना दृष्टिकोण इस बिल पर उपस्थित करना चाहता हूँ।

राजस्थान में इस वक्त ६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स चल रहे हैं। बाकी जगह में नहीं है। अब जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नये बनेंगे वह मेरे ख्याल से ख्वाहमख्वाह के तवालत जैसे रहेंगे। आज जो हमारे राजस्थान के अन्दर ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायतें हैं वह भी ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। जैसे कि डेवलपमेंट का काम करने के लिये जैसा ग्राम पंचायतों को अधिकार है, तहसील पंचायतों को हैं, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी काम कर रही है तो समझ में नहीं आता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या काम करेगा। मेरे ख्याल से जो ग्राम पंचायतें, तहसील पंचायतें और डिस्ट्रिक्ट डेवलमेंट कमेटियां काम कर रही हैं वही ठीक है। यदि वे ठीक ढंग से चल निकलेंगी तो उसके बाद में यदि यह बिल आये और इसको लागू किया जाय तो अच्छा रहे। मेरे ख्याल से इस बिल को साल भर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाय तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तक ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायतों वगैरह का काम भी नहीं जमा है। उसके जमने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—(संबंधित मंत्री महोदय के सदन में उपस्थित नहीं होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, खत्म करें कार्यवाही, कोई जवाब नहीं मिले तो।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए जो एमेंडमेंट बिल आया है उसके बाबत मुझे भी यह प्रस्ताव करना है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय। यह जो मूल बिल सदन में पेश किया गया था उसके बाद वह अभी तक लागू नहीं हुआ है और लागू होने से पहले ही इसमें एमेंडमेंट आ गया है तो ऐसी मुश्किल क्या आई है कि जिसके कारण से एमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी। जब हम बिल बनाते हैं तो सोच समझकर बनाना चाहिए, और सोच समझकर बनाया गया है। जब सोच समझकर बिल बनाया गया है तो उसमें जो एमेंडमेंट लाया गया है उसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि फलां मुसीबत आई जिसके जरिये से यह हमको लाना पड़ा।

दूसरे, इस बिल को लागू करने में अवधि बढ़ाने की मांग की गई है उसके लिए अर्ज करता है कि इसको अवधि आपको तब तक बढ़ानी पड़ेगी जब तक कि पंचायतें का अन्यायपूर्ण फैसला नहीं करें। पंचायतों में जो आपने काम किया है उनमें इतनी गड़बड़ की है कि कोई न्यायपूर्ण फैसला कर ही नहीं सकता। जब तक उनका न्यायपूर्ण फैसला लागू नहीं होगा तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अवधि आप लोगों को बढ़ानी ही पड़ेगी। मैं आपको पंचायतों के बारे में बराबर अर्ज कर चुका हूँ कि उनमें........(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—यह बिल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में है। उस पर बोलिये।

श्री भोपालसिंह—मैं उसके बारे में ही अर्ज करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो अवधि बढ़ाई जा रही है यह अवधि बराबर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पंचायतों का जब तक बराबर फैसला नहीं करेंगे तब तक बढ़ानी पड़ेगी और तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा अर्ज करना है कि पहले आप पंचायतों का बराबर फैसला करें न्यायपूर्वक तो फिर अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बराबर हाई कोर्ट में रिट्स होंगी और जब तक रिटों का फैसला नहीं होगा तब तक लागू नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा इतना ही अर्ज करना है कि स्वायत्त शासन को हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे कि स्वायत्त शासन का महकमा जो है इससे अपने खुद के राज्य करने का मौका मिलेगा। स्वायत्त शासन के अन्दर पंचायतों में ही ऐसा काम किया है कि जिससे असंतोष हो गया। उसी तरह से इसमें वार्ड बनाने का जो अधिकार है वह सरकार को देना चाहते हैं यह मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि सरकार को पंचायतों में वार्ड बनाने का काम सौंपा था तो उसमें बहुत पक्षपात से काम किया गया है। मुझे शक है कि सरकार इसमें भी धांधली के साथ काम करेगी। वार्ड बनाने का जो अधिकार है वह सरकार को नहीं दिया जाना चाहिए। यह रख दिया जाना चाहिए कि इतने वार्ड होंगे, इतने आदमी होंगे। इस पर से लागू किया जाना चाहिए।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी दो शब्द इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक आज इस सदन में पेश किया गया है वह अप्रजातान्त्रिक है और इसमें विरोधाभास है जिसके देखने से मालूम होता है कि सरकार पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को कायम रखना चाहती है और नये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को नहीं बनाना चाहती है। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में जो नोमीनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनको सरकार आगे बनाया रखना चाहती है। इसका यही मतलब है कि उनमें ज्यादातर उनके मित्र हैं। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती है कि वह यह जानती है कि जनता की जो राय है वह उनकी तरफ कम होती जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों की यह दुहाई दी जा रही है कि उनके चुनाव नहीं हुए हैं। यह गलत है। उदयपुर डिवीजन में आज से नहीं बल्कि ८, १० वर्ष से पंचायतें बराबर चल रही हैं। बराबर पंचायतों का चुनाव हुआ है। हां यह बात जरूर है कि सरकार और सरकारी अधिकारीगण इस बात को कहने के लिए कि पंचायतों के चुनाव बराबर नहीं हुए हैं ऐसी धांधलियां करते हैं उसके उदाहरण के लिए एक पंचायत का जिक्र मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि भीलवाड़े में...........(घंटी) मांडल................

श्री उपाध्यक्ष—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का यह बिल है, पंचायतों का नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—उसके लिए ही देर हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—देर हो रही, उसके कारण की यहां जरूरत नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—आप फर्मा रहे हैं तो निवेदन नहीं करूंगा ·

[श्री जगतसिंह झाला]

वहां पर पंचायतों का चुनाव होने के बाद चीफ पंचायत आफिसर ने हमीरगढ़ की पंचायत के लिए इस बात को कहा है कि वह चुनाव ठीक नहीं हुआ है। उसके कार्य को रोकने के लिए स्टे आर्डर दिया है जो कि सरकार को देना चाहिए। वह सरकार के अपने अधिकार में हैं। वह उसके अधिकार में नहीं है। तो जो अधिकार में नहीं है उसका उसने दुरुपयोग करके स्टे आर्डर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि उसका चुनाव होकर गजट में निकाल दिया इसके बाद भी पंचायत को काम नहीं करने का आर्डर दे दिया। वे इस बात को कहते हैं कि पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं, हम यह नहीं मान सकते हैं। पंचायतों के चुनाव हुए हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए जो डाइरेक्ट वोट की चुनाव पद्धति रखी है वह गलत है। इसका चुनाव इन्डाइरेक्ट वोट से होना चाहिए, जैसी कि पद्धति पहले रखी गई थी और जब कि कौन्सिल ऑफ स्टेट का चुनाव होता है उसको विधान सभा के सदस्य उस रूप से कर सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पंचायतों के पंच और सरपंच उस प्रकार से राय उसमें व्यक्त नहीं कर सकें। यह सारी धांधली इसलिए की जा रही है, इसमें देर करने का खास कारण यह है कि सरकार इस तैयारी में नहीं है। वह जानती है कि डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस को वोट देने की बात लोगों के दिलों के अन्दर से निकलती जा रही है। इस तरह की अप्रजातान्त्रिक बात रखने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनता की राय के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एमेन्डमेंट बिल के संबंध में तीन प्रस्ताव सदन के सामने आ रहे हैं। एक प्रस्ताव यह है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और दो महीने में रिपोर्ट मांगी जाय। दूसरा प्रस्ताव यह है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करके ४ रोज में रिपोर्ट मांगी जाय, और तीसरा यह है कि इसको जनता की राय जानने के लिए सरक्यूलेट किया जाय।

इन तीनों प्रस्तावों पर बोलते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने कुछ एतराज किये हैं। इस संबंध में मैं निवेदन करना उचित नहीं समझता कि जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है उसके लिए गवर्नमेंट को कोई विशेष आपत्ति नहीं है।....

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो आपने सिखा कर रखवाया है। आपत्ति की क्या बात है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लेकिन समय की आपत्ति है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो आपने देख कर ही रखा है, इसमें आपत्ति की क्या बात है?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—उसका कारण आप जानना चाहते हैं। यह जो ओर्डिनेन्स पास किया है उसको यह सदन शुरु हुआ उस तारीख से लेकर राजप्रमुख के दस्तखत हो जावें, तब तक ६ सप्ताह में कानून बन जाना चाहिए, यदि चुनावों को जारी रखना है तो। उसकी मियाद १६ अप्रैल को समाप्त हो जाती है। रिपोर्ट को सरकुलेट करा कर तो बहुत समय लग सकता है। १२. १३ तारीख तक सदन को इसको पास कर देना लाजमी है। दो महीने के लिए जो प्रस्ताव है उसको मैं मानने में असमर्थ हूँ। इस विषय में एक प्रस्ताव है कि इसको जनता को सरकुलेट कर देना चाहिए इसको भी मैं मानने में असमर्थ हूँ। प्रवर समिति को इसको भी भेज दीजिये, शनिवार और इतवार आ रहे हैं, मैं इसके लिए चोबीसों घंटे बैठने के लिए तैयार हूँ, सिलेक्ट कमेटी की जो राय होगी वह हाउस में पेश होगी। इसको टालने की बात हो ऐसी बात नहीं है। जनता की राय के लिए भेजें इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, ओर्डिनेन्स लागू है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओर्डिनेन्स की मियाद पर एक्सपायर हो जाने से क्या नुक्सान हो जायगा,यह बता दीजिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इलेक्शन की कार्यवाही समाप्त हो जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इलेक्शन की कार्यवाही के लिए तो फिर कानून बन जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप जरा तसल्ली रखिये बहुत सारी बातें आपने कह दीं है।

दो बातें हाउस के सामने आती हैं। एक टैक्स के बारे में और दूसरे चुनावों के बारे में। असली मुद्दे की बातों को छोड़ कर टैक्स की बातें आजाती हैं, सारी टैक्सेज के लिए बातें हो सकती हैं, कहदी जाती हैं। टैक्स चुपचाप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों का इस बिल के डिस्कशन के कार्य क्षेत्र के बाहर है। मामुली अमेन्डमेंट बिल पेश किया गया है। इस पर इतनी लम्बी चौड़ी दूसरी बातों के बहस कीटैक्स की, आवश्यकता नहीं थीऔर इसलिए सदन का समय जाया करना भीठीकनहीं है।

एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि चुनावों में धांधली की जा रही है, दूसरी तरफ यह प्रस्ताव लाया जा रहा है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जाय और दूसरा प्रस्ताव यह है कि इसकी दो महीने के अन्दर प्रवर समिति रिपोर्ट दे दे मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए इन प्रस्तावों को मानने के लिए असमर्थता है कि चूंकि यह अध्यादेश २६ जुलाई के लिए है

श्री हरिकृष्ण व्यास—इतनी····

(घंटी)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—आप तसल्ली रखिये। आप काफी बोल चुके हैं।

[श्री बद्री प्रसाद गुप्ता]

यह कहा गया कि बड़ी गड़बड़ियां, धांधलियां हो रही है और आयन्दा न मालूम सरकार के सामने क्या डिजाइन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव न कराकर जनता का गला घोंटने की बात कर रहे हैं। सदन के सदस्यों को मालूम होगा कि पिछली दफा नवम्बर में विज्ञप्ति निकाल दी गई थी और तारीख भी निश्चित कर दी थी। आज जिन सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है और बोले हैं उन्हीं ने रक्खा है, यह मुझे याद नहीं, किंतु यह मुझे निश्चित याद है कि इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों की राय हुई थी कि चुनाव इल्लीगल हो जावेंगे। मैं समझता हूँ कि यहबात दुरुस्त थी और जब पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे थे तो माननीय सदस्य कह रहे थे कि चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं और जब चुनाव चुनावों की तारीखें घोषित हुई, बार बार घोषित की और कई प्रकार की अड़चनें डाली गई। माननीय सदस्यों के पार्टी वालों की गलती थी। चुनाव छः छः बार कराया गया, पोलिंग स्टेशन पर झगडे खड़े किये गये, जबरदस्ती झंडे लगा कर लोगों को रोका गया। अगर चुनाव नहीं होते हैं तो यह जिम्मेदारी उनकी है। जब मैंने इस विभाग का कार्यभार सम्हाला तो मैंने यह देखा कि चुनाव तरीके से होने चाहिए लेकिन लोगों को चुनावों में भाग नहीं लेने दिया गया, कई रोडे अटकाये गये। मैं बड़ी अदब से अर्ज करूंगा कि आपके सिस्टम में डिफेक्ट है, सरकार में कोई डिफेक्ट नहीं है। पेकेटिंग करते हैं, चुनाव नहीं होने देते हैं, चुनाव कराने से मजबूर कर देते हैं। सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, जब इस प्रकार के रोड़े अटकाये जाते हैं और कहा जाता है कि चुनाव नहीं होते हैं। जिम्मेदारी तो उनकी है जो इसको नहीं होने देते हैं, रोड़े अटकाते हैं। पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं होने वाले हैं यह बात अब भी समझ लेनी चाहिये। यह विधान सभा द्वारा बनाया हुआ कानून है और जब तक पंचों के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हो सकते हैं। आप जब चुनाव नहीं होने देते हैं तो आयन्दा मियाद बढ़ानी पडी है। हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। हमने हर तरह की कोशिश की। बीच बचाव करते हैं, झंडे दिखाते हैं, लाठियां दिखाते हैं, सत्याग्रह करते हैं, भ्रम है कि यह सत्याग्रह है यह तो दुराग्रह है। इस तरह से चुनाव को रुकवायें और गवर्नमेन्ट मजबूर हो जाय। हाईकोर्ट का एक फैसला है। एक रिट के संबंध में एक हाईकोर्ट का फैसला हुआ था जब तक पंचायतों के चुनाव नहीं हो जाते तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं किये जा सकते।

माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको दो महीने के लिए सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय और बाद में रिपोर्ट आने पर सदन में उस पर विचार किया जाय और दूसरा प्रस्ताव यह है कि इसको जनता की राय जानने के लिए भेज दिया जाय। इस ओर्डिनेन्स की मियाद २६ जुलाई को समाप्त होने वाली है। मैं प्रस्ताव रखने वालों से निवेदन करूंगा कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव इस मियाद में कराना चाहते हैं। सरकार की यह कतई मंशा नहीं है कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते हों। पहले प्रोग्राम शाया कराये गये और जानकारी चाहेंगे तो मैं करा दूंगा।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

दूसरी बात यह कही गई है कि नोमीनेटेड वोटर्स हैं उनके लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यह ओर्डिनेन्स लागू किया गया। यह भी कहा गया कि चुनावों को बढ़ाने के लिए यह ओर्डिनेन्स पेश किया गया। मैं निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वजह से यह ओर्डिनेन्स, चुनावों को बढ़ाने के लिए नहीं पेश किया गया था। नामजद जो बोर्ड्स है उनके लिए सरकार की यह निश्चित धारणा है कि ये बोर्ड नहीं रहने चाहिए। बहुत सी शिकायतें की गई कि मौजूदा जो बोर्ड्स हैं उनके बारे में बहुत सी शिकायतें आयी हैं, गड़बड़ियों की रिपोर्ट आई हैं और उन पर सरकार ध्यान नहीं देती। मैं सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए सरकार ने खास तौर पर कमेटी बिठा कर चुनाव कराये, सरकार को नोटिस दिया कि उसको सुपरसीड कर दिया जाय। इस सदन द्वारा कनून बनाया गया, तीन महीने के अन्दर बेदखल करना लाजमी है। जब सदन के सामने गवर्नमेन्ट को पावर्स देने की बात आती है तो सदस्य एतराज करते हैं। जब गड़बड़ियां होती है तो गवर्नमेन्ट पर जोर दिया जाता है कि गवर्नमेन्ट कोई एक्शन नहीं लेती। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून बना हुआ है उसके अनुसार तीन महीने का टाइम देना लाजमी है, नोटिस दिया जा रहा है, रिमाइन्डर्स दे रहे हैं ताकि आगे कार्यवाही कर सकें।

सीकर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में बातें कहीं गई। ओडिट कराई है। रिपोर्ट आयी है, माननीय सदस्यों ने खुद ने प्रस्ताव पास किया है कि उसको भंग किया जाय? गवर्नमेन्ट सजग है। मेरी जानकारी में आया, इन्जीनियर को भेजा, जांच करने के लिए। सीकर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। वे किसी मेम्बर को रियायत नहीं कर रहे हैं बल्कि ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। बोर्ड सजग है और ईमानदारी से काम करना चाहता है। इसके अलावा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में कोई शिकायत नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पास और शिकायत आयेगी तो मैं उसकी जांच कराने की कोशिश करूंगा। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में शिकायत थी इसलिये मैंने उसकी जांच करवाई। खास ओडिट पार्टी भेजकर हिसाब की जांच करवाई है और उसके बारे में कार्यवाही की जा रही है।

दूसरी बात यह बताई गई कि जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड में और अन्य जगह एडमिनिस्ट्रेटर कायम किये गये हैं तो दूसरी जगह भी क्यों नहीं कायम करना चाहते हैं? मैं अर्ज करूंगा कि हमारे प्रिन्सिपल एक्ट में इस बात का प्रोविजन नहीं रखा है। जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन रखा है वह सिटी म्युनिसिपेलिटीज एक्ट के अनुसार रखा है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का जो कानून है उसके मुताबिक सरकारी मियाद खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर अपोइनट कर नहीं सकती। यह सिद्धान्त बनाया हुआ है। गवर्नमेन्ट को रेस्ट्रिक्टेड पोवर देने में अविश्वास किया जाता है क्यों कि अगर गवर्नमेन्ट को पोवर दे दी जायगी तो उसका दुरुपयोग किया जायगा और मन माने आदमी रखे जायेंगे, इस तरह की बातें कही जाती हैं। अभी इमरजेन्सी आई है, पीरियड खत्म हो रहा है। लेकिन मौजूदा कानून में गवर्नमेन्ट क्या कर सकती है सिवाय मियाद बढाने के। इस बोर्ड को सुपर-सीड करने के लिये उनको नोटिस देना होगा क्यों कि यह जरूरी है। बोर्ड अपनी ड्यूटी प्रोपरली

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

करता है तो only in that case the Government is empowered to take any action against that Board. मयाद खत्म होने के बाद ऐडमिनिस्ट्रेटर रखने का पोवर नहीं है। आज यदि एडमिनिस्ट्रेटर रखने के लिये अमेन्डमेन्ट पेश किया जाता तो यह कहते कि गवर्नमेन्ट इसलिये अमेन्ड करना चाहती है क्यों कि खिलाफ कार्यवाही कराने के लिये अपने मन माने आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपोइन्ट करना चाहती है इसलिये इस तरह का कानून तो आपकी दलील दोनों ही तरह की होती है। आज जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बने हुए हैं उनमें जनता के ही आदमी काम कर रहे हैं। यदि कोई सदस्य अनुचित कार्य करता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अख्त्यार है कि उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। मेरे पास कोई मामला आयगा तो मैं उसको देखूंगा।

मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट करने के बाद यह कहा गया कि ऊपर से लाकर अपना आदमी बैठा दिया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिये। आप जिस तरह से चाहें, उस तरह से किसी चीज का उपयोग कर लेते हैं। दुबारा यदि कभी सदन में इस तरह का जिक्र आयगा तो मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि माननीय सदस्य एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट किये जाने के खिलाफ बोल रहे हैं या फेवर में।

इसके अलावा यह बात कही गई कि चुनाव का तरीका बदल कर गवर्नमेंट प्रजातंत्र की हत्या करना चाहती है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिये सदन को बताना चाहूंगा कि इलेक्शन के मामले में हिन्दुस्तान के जो सबसे बडे ओथोरिटी है, मिस्टर सैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, हाल ही में कौंसिल ऑफ स्टेटस के चुनाव के सिलसिले में जयपुर आये थे। मैंने यह अमेन्डमेंट पेश करने से पहले उनसे राय ली। उस समय बहुत से ओफिसर्स मौजूद थे। उनके सामने यह जो सिस्टम है प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेशन का, उस सिलसिले में उन मिस्टर सेन से बातचीत की और उन्होंने तहकीक राय दी, बहुत से ओफिसर्स के सामने कि यह कानून इलिटरेट्स के लिये डिफेक्टिव है और अनडेमोक्रेटिक है और इसके लिए उन्होंने कारण बताया। उस समय उनके सेक्रेटरी, हमारे यहां के इलेक्शन ओफिसर और दूसरे ओफिसर्स भी मौजूद थे। उन्होंने इसका कारण बतलाया कि जो आदमी इलिटरेट हैं वहां जैसे कौंसिल ऑफ स्टेट के लिये चुनाव हुये उसी तरह बेलेट पेपर देकर उनसे कहें कि १, २, ३ आदि अङ्क लेकर प्रीफरेन्स मार्क करें, अपने प्रतिनिधियों के आगे, दिस इज ओन दि फेस ओफ इम्पोसिबल। न तो वे पढ़ सकते हैं और न मार्क कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? रिटर्निंग ओफिसर को कह कर मार्क कराने पड़ेंगे। आम तौर से रिटर्निंग ओफिसर तहसीलदार होंगे और रिटर्निंग ओफिसर वोटर से पूछ कर मार्क करेगा। फिर यह शिकायत हमेशा के लिये रह जायगी कि वोटर राय देना चाहता था दूसरे आदमी को और रिटर्निंग ओफिसर जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है इसलिये उसने मनमाने आदमी को राय दे दी। मिस्टर सेन की तहकीक राय थी कि इस प्रकार के बिना पढ़े लोगों के लिये यह तरीका काम में नहीं

Page No 85

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

लाया जा सकता। हमारे भारतीय विधान की दफा ५५ के अंतर्गत प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तब यह सिस्टम चुनाव का काम में आता है और दूसरी बार जब कौंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों का चुनाव होता है तो यह तरीका काम में लाते हैं। बाकी मुझे मालूम नहीं कि हिंदुस्तान में कितने इलेक्शन होते हैं जिनमें यह सिस्टम काम में लिया जाता है। मैं समझता हूं कहीं भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन्स में यह तरीका काम में नहीं लिया जाता।

जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहां कहां की बातें कीं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है रूस और चीन में तो चुनावों के समय यह सिस्टम काम में नहीं लिया जाता है। उन्होंने इंडोनेशिया और दूसरी कई जगहों की बातें बताई लेकिन मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है और न जानकारी करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। पोलिटिक्स को मैं जानता हूं और मैं खुद उसमें रहा हूँ। कहां कहां यह सिस्टम अपनाया जा रहा है यह कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं है। सेन साहब के सेक्रेटरी ने बताया कि और देशों में जहां यह सिस्टम था वहां भी इसे छोड़ा जा रहा है क्योंकि जनरल वोटर्स इलिटरेट हैं इसलिये उनके लिए इसको समझना नामुमकिन बात है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने शायद इस डिफेक्ट को नहीं देखा कि रिटर्निंग आफिसर पर सारी बातों के लिये डिपेंड करना पड़ेगा। अनपढ़ वोटर्स किसको वोट दें किसको नहीं दें, इसके लिये उसी पर डिपेंड करना पड़ेगा। फिर आपने यह कहा कि हम प्रजातंत्र का गला घोंटना चाहते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी तरह भी प्रजातंत्र का गला घोंटना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह कहना चाहता हूं कि जो इलेक्शन हों वह फार्स नहीं हो जावें, इसका ख्याल हमें रखना है। प्रवर समिति यदि कोई ऐसा तरीका निकाल सके जिससे यह दिक्कत दूर हो सके तो ठीक है। मैंने एक बात यह सोची थी कि मल्टी मेम्बर की कांस्टिट्युएन्सी के बजाय सिंगल मेम्बर कोंस्टिट्युएन्सी बनानी चाहिये। इससे माइनोरिटी के सदस्यों को भी चान्स मिल सकता है। क्यों कि मुमकिन है किसी एक हिस्से में माइनोरिटी वालों का जोर हो तो उनको भी प्रतिनिधित्व मिल सकेगा यह बात मैंने अपने दिमाग में सोची थी। दोनों में कौनसी चीज अच्छी है इसको समझकर और देखकर विचार करना चाहिये। एक्सपर्ट्स की राय इस पर लेने के बाद अच्छी तरह से कंसीडर करके यह तरीका रखना चाहते हैं। इलिटरेट्स के लिये यदि वह तरीका रखेंगे तो रिटर्निंग ओफीसर्स के ऊपर ज्यादा डिपेन्ड करना पड़ेगा।

एक बात यह कही गई कि कांस्टिट्युएन्सी बनाने के लिये जो प्रोविजन किया जा रहा है उसमें उसी तरह से मनमानी की जायगी जिस तरह पंचायतों के मामले की गई, या की जा रही है। मै निवेदन करूंगा कि पंचायतों के बारे में जो शिकायतें मेरे सामने आई उनको ध्यान में रख कर खास तौर से मैंने इस बात का प्रोविजन किया है कि कन्टीग्युस विलेजेज की कांस्टीट्युएन्सी बनाई जाय और सिंगल मेम्बर कांस्टिट्युएन्सीज बनाई जांय। और हमने कमिशनर्स को पावर्स दी हैं कि कांस्टिट्युएन्सीज बनाकर गजट में शाया करदें और उस पर पब्लिक से ऐतराज इन्वाइट किये जॉय और ओब्जेक्शन्स इनवाइट करने के बाद उनको सुनने के बाद कांस्टिट्युएन्सीज को फाइनाइलज करेंगे।

Page No 86

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इस बात को ध्यान में रख कर कि जो वार्ड्स बन गये या उनमें धांधलियां हुई हैं, इसलिये यह बिल रखा है। पर अब जो मौजूदा कानून है उसकी भाषा को देखिये:—

इसमें कोन्टीग्युअस विलेजेज की जगह कान्स्टीट्युएन्सी इन दी प्रेस्काइब्ड मेनर रखा है, मेनर गवर्नमेंट प्रेस्काइब्ड कर सकती है। कान्टीग्युअस विलेजेज का है पर ओफ पंचायत यह लेंग्वेज डिफेक्टिव है, इसलिये यह अमेंडमेंट रखा गया है।

मैंने सदन की जानकारी के लिये बताया मेनर प्रेस्क्राइब्ड नोटिस देकर टाइम देकर ओब्जेक्शन सुने जायगे और फिर फैसला किया जायेगा।

इतनी बातें कहने के बाद मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों को संतोष हुआ होगा।

इसके अलावा एक बात कही गई कि जो बकाया, कन्ट्रीब्यूशन सेस बकाया है, उसकी वसूली के लिये अब यह तरीका रखा गया है कि उसको लैंड रेवेन्यु सिस्टम पर वसूल किया जाय इस पर आपत्ति की है। सेस लैंड रेवेन्यु के साथ वसूल होती है और जो हमारा ओरिजिनल कानून है उसमें और मौजूदा कानून में इसके लिये प्रोविजन है। पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जयपुर का कानून था, उसमें यह था कि बकाया रकम रह गई है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वसूल कर सकता है लेकिन मौजूदा कानून में बकाया रह गया है तो उसको वसूल करने का अख्त्यार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नहीं है। बकाया जो रहा है उसके लिये सदन में दो रोज पहले अर्ज किया था कि बकाया था उसके लिये हाई कोर्ट में रिट पेश की गई थी, बहुत बकाया रह गया है, पहले कानून में जो तरीका था वही इस बिल में प्रोवाइड किया गया है।

इनके अलावा और कोई बात नहीं, और कोई होगी तो माननीय सोहन लालजी ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ. और कोई बातें होंगी तो प्रवर समिति में देख ली जायगी।

इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव जो माननीय सोहनलालजी ने रखा है उसे मैं स्वीकार करता हूं और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को इससे संतोष होगा!

मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह नहीं बताया कि ऑर्डिनेन्स खत्म हो जायगा तो क्या डिफेक्ट हो जायगा, क्या झगड़ा पैदा हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी जो बोर्ड्स हैं वे खत्म हो जायंगे, टाइम कहां रहेगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि सौ सौ चूहे खाके बिलाई हज को चली। आज चुनाव के बारे में उतावलेपन की बातें भी सुन रहा था और यह शिकायत भी सुन रहा था कि उतावलापन सारा उधर हो पहुंच गया है और देर होने की जिम्मेदारी इधर वाले लोगों पर है, तब मुझे वह कहावत याद आ गई, माननीय उपाध्यक्ष, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। पर आपको ४ साल हो गये, एक्ट बनाने में दो साल ले लिये, एक्ट पास होने के बाद एक साल सेक्रेटेरियेट में दबा कर बैठ गये, अवधि पर अवधि बढ़ाली और एक बार तो विधान सभा में यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रखने चाहिये या नहीं रखने चाहिये इस पर विचार किया जा रहा है, इसलिये देर हो रही है, और आज न मालूम वह जमा हुआ जोश, दबा हुआ जोश, ज्यादा जमा हुआ जोश, चुनाव कराने का जमा हुआ जोश जवाई बांध की तरह कहां से उमड पड़ा है और कहा जा रहा है कि यह गाड़ी मेल ट्रेन की तरह दौड़ेगी, यह मुगालता उन्हीं लोगों को हो सकता है जो नहीं जानते।

चुनाव कराने की इतनी जबरदस्त उतावली उनके दिमाग में होती तो क्या शोर किया जाता पंचायतों के चुनावों पर, अभी अभी खुद की बात छुपाने के लिये पंचायतों का जिक्र किया, पहले उन्होंने खुद ने दलील दी कि सदन में ऐसा होता है कि चुनाव का जिक्र आता है तो अपने आप सभी चुनाव डिस्कशन में आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि दूसरों को सीख देते वख्त खुद को अच्छी तरह टटोल लेना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात तो अभी पर्दे के पीछे रह गई और पंचायतों के चुनाव में नाक कान काटने की बात और सत्याग्रह करने की बात कही जो जुदा जुदा बातें हैं।

अब कहा ही गया है तो उसका स्पष्टीकरण करना जरूरी है। बिलाड़ा तहसील में नाक कान काटने की घटना घटी है........

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—संक्षेप में ही कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष। उन्होंने कहा कि चुनाव नाक कान काट कर रूकवा दिये, उन्होंने कहा वह बिलाड़ा तहसील का किस्सा है और कम से कम मेरी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के किसानों का हित चाहने वाला कोई भी इस वीभत्स काण्ड की निंदा किये बगैर नहीं रह सकता। मेरा तो यह इल्जाम है कि राजस्थान सरकार की यह ढिलाई है कि अभी तक किसी को एरेस्ट नहीं किया गया और उस सूरत में जबकि वह आपकी पार्टी का आदमी था। मेरी तो यह शिकायत है कि सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस सिलसिले में सख्त कार्यवाही की जाय। आज उस इलाके में पहले सम्मेलन बुलाइये और उनको नेशनल ही रोज बनाइये कि जागीरदारों के खिलाफ आन्दोलन करने में बलिदान किये चाहे वे कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं। यह क्या दलील का तरीका हुआ, यह तो गोलमाल बात कह कर टालमटोल का तरीका हुआ।

राजगढ के लिये पिछली बार माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि उन लोगों ने कहा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि चुनाव कराये गये तो सत्याग्रह करेंगे। दरअसल सरकार को चुनाव रोकने थे। मैंने पिछली बार भी कहा और आज भी कहता हूँ कि जिन पंचायतों ने नाम दूसरों के नोमिनेट किये थे पर वे पंचायतें आपके पक्ष की नहीं थीं इसलिये नोमिनेशन दूसरा फर्जी कर दिया, फर्जी नोमिनेटेड मेम्बर्स के आधार पर चुनाव करवाना चाहोगे, तो यह नहीं चलेगा। वहां के लोगों ने साफ कह दिया। अब कोई कहे कि चुनाव नहीं होने देते तो मेरा यह कहना है कि अगर ऐसे ही फर्जी चुनाव कराने हैं तो यह मान कर चलें कि लोगों की शक्ति होगी, तब तक ऐसा नहीं होने देंगे और अगर उनकी चली तो ऐसी फर्जी मिनिस्टरी भी नहीं चलने देंगे। उनकी चले तो फर्जी मिनिस्टर भी नहीं होने देंगे।

एक माननीय सदस्य—चलती नहीं है।

श्री हरि कृष्ण व्यास—चलेगी, किसी दिन तो चलेगी, समय आएगा।

एक माननीय सदस्य—चलनेवाली नहीं है।

श्री हरि कृष्ण व्यास—कभी न कभी चलेगी। तसल्ली हो रही है और होगी। यह तो एक प्रकार की हवा है, इसको हम रोक नहीं सकेंगे, वह तो चल कर रहेगी।

एक माननीय सदस्य—यह तो चल कर रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष—आप संक्षेप में कहिये।

श्री हरि कृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, बीच बीच में बोले इसलिये यह कहना पड़ा है। यह तो आपका बहाना है। जो सरकार अपने खुद के काम की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं हो और बाद में कहे कि यह हुआ और वह हुआ, यह उनकी बात तब सुनी जा सकती है जब वे अपना इस्तीफा पहले पेश करें। माननीय मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में शिकायत आई तो कार्यवाही की गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की, वह तो आज एम. पी. बना हुआ है। आप यह कह कर कि हमने उसके खिलाफ कार्यवाही की किसको भुलावा दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। हम किससे शिकायत करें? आपने ही तो उसको नोमिनेट किया है उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ आपको कार्यवाही करने की नौबत आई। उस व्यक्ति का नोमिनेशन आपके हाथों से हुआ। मैं यह कहूंगा कि ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे आदमी को गलत नोमिनेट किया उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिये और कहना चाहिये कि हम भी इस पाप के भागी हैं क्यों कि हमने भी इनको भेजा और उसने ऐसा धन्धा किया। आप ऐसे लोगों को नोमिनेट करते क्यों हैं? आप पहले बीमारी के कीटाणु फैलाते क्यों हैं और जिसके लिए फिर उसको डाक्टर के पास इलाज के लिये भेजते हैं। यह तरीका पसन्द नहीं।

(घंटी)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

माननीय उपाध्यक्ष, यह तो जयपुर जिला बोर्ड की व्यवस्था । अध्यापक नहीं होते हुए अध्यापक का वेतन उठाना, रेडियो की खरीद में गड़बड़ी । दवाइयों की खरीद में घोटाला बाजी हुई यह किसी से छुपा नहीं है । अब आप उस व्यक्ति के लिये यह कहते हैं कि वह तो एम. पी. बन कर चला गया । लेकिन कारस्तानियें तो हुई हैं । इस बात को राजस्थान सरकार ने, इसके स्वायत्त शासन विभाग ने और इस पार्टी की सरकार ने जवाब देने के लिये कह रहे हैं कि आप हम पर इल्जाम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करें, यह आपकी जिम्मेदारी का प्रदर्शन था कहते कि यह हमारी भूल हुई हमने नौमिनेशन गल्त आदमी का किया इसलिये हम इस्तीफा देते हैं । आप इसके लिये अब कोई रास्ता निकालें तो हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकालते । हम कहते कि अपनी गल्ती को कबूल करने वाले आदमी को फिर मौका देना चाहिये ताकि आयन्दा वह किसी प्रकार की गल्ती न करे । कोई व्यक्ति गलती भी करे और कान भी नहीं पकड़े, हम उनको कोई मौका नहीं देंगे ।

(घंटी)

एक चीज और कहूंगा, माननीय उपाध्यक्षजी ।

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में कहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने एक बात कही कि हिन्दुस्तान के इलेक्शन के बड़े आला जानकार श्री सुकुमार सेन यहां आये हुए थे उन्होंने भी अपनी इसी में राय दी । मुझे नहीं मालुम कि जो बात आप कह रहे हैं वह श्री सुकुमार सेन को मालूम थी या नहीं, जब इस प्रकार के प्रोसीजर का पता चलेगा तो उनको हंसी आवेगी या आंसू आवेंगे, यह भी मैं नहीं कह सकता । मैं यह नहीं समझता कि वे इस मामले में इतने अजनबी हैं जितनी जानकारी यहां पर प्रदर्शित की गई है ।

इलेक्शन का एक तरीका है प्रोपोरसनल रिप्रेजेन्टेशन बाई सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट दुनिया का रुल है, और भी कई तरीके हैं और जो तरीका है proportional representation by single transferrable vote का और वह तरीका माननीय मंत्री की जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूं, कौंसल ऑफ स्टेट में काम में लिया जाता है और अपने यहां फाइनेन्शियल कमेटीज के चुनाव में भी वही तरीका काम में आया है । यह इसलिये कि आयन्दा स्पीच दें तो यह बात उनके ध्यान में रहे । अब मैं और कौन कौन से तरीके काम में आते हैं, उनका जिक्र करूंगा । लेकिन पहले मैं श्री सुकुमार सेन की बात कहता हूं । एक होता है single distributive vote......

श्री बद्रीप्रसाद—यह तो मुझे भी मालूम हैं । आप इसका क्या ज्ञान करावेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ज्ञान है तो नीयत का घाटा हैं ।........

(लम्बी घंटी)

श्री बद्रीप्रसाद—यह तो मुझे पहले से मालूम है। ये कहां कहां होते हैं, आप मुझे बतावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक "single distributive vote भी होता है। mutli-member constituencies के लिए proportional representation का तरीका ईजाद हुआ है। और दूसरा तरीका है जिसका नाम है "multiple distributive vote", जहां सीक्रेट पेपर के जरिये ballot होता है मैं समझ नहीं पाया कि जिनको proportional representation से शिकायत नहीं है, केवल "single transferrable vote" से कठिनाई है, वे "multiple distributive vote" का तरीका क्यों नहीं अख्त्यार कर लेते ? आपने इन्डोनेशिया, फ्रान्स, चीन और रूस की बात कही। जब इन्डोनेशिया और फ्रान्स की बात सामने आई तो चीन और रूस की बात भी बताई। मुझे बहुत खुशी हुई कि माननीय मंत्री ने इस बात की तरफ रुख तो दिखाया। मैंने उनका नाम नहीं लिया तो पहले माननीय मंत्री महोदय ने ही बता दिया। अब मुझे नाम लेना पड़ेगा। मैं यह कहूँगा कि वहां यानि रूस में नोमिनेशन का टंटा होता नहीं From the village level to the Supreme Parliament सीक्रेट वोट होता है और बेलट पेपर से होता है by transferrable vote. उसमें क्या होता है, वहां "multi-distributive vote" होता है। अगर आपको यह भी जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बतादूं कि यह सिंगल ट्रान्सफरेएबल वोट Soviet Union-में है जहां की ६८, प्रतिशत जनता पढ़ी लिखी है और चाईना में बेलट पेपर का सिस्टम है, as many ballot papers as many seats.

श्री बद्रीप्रसाद—स्टालिन का पिछली बार चुनाव किस तरह से हुआ था ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरी जहां तक जानकारी है उसका चुनाव मास्को से हुआ था और १६५३ में हुआ था। नोमिनेशन पेपर दिया गया था और मोस्को सोवियट यूनियन ने नोमिनेट किया था और मास्को से सुप्रीम सोवियट में भेजा गया था। और जानकारी आपको चाहिये तो मैं देने के लिये तैयार हूं।

श्री बद्रीप्रसाद—यह सिस्टम कौन सा था ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह सिस्टम था डाइरेक्ट इलेक्शन बाई सीक्रेट बेलट। इसके अलावा एक और बात है वह भी आपको बता दूं कि वहां पर एक और पेटी रखी गई थी जिसमें विरोध के वोट भी डाले जा सकते थे और अगर वे ५१, प्रतिशत होते तो वह इलेक्टेड नहीं होता। मैं आपसे यह कहूंगा कि इस मामले में आप मत जाओ। इसमें आप बार बार हार खाओगे। अगर आपको डिस्कश ही करना है तो मैं हाजिर हूं। आप मुझ से डिस्कस कर सकते हैं। मैं ओनरेरी वर्क कर सकता हूं।

श्री सुकुमार सेन का नाम लेकर हाउस को गलत तरीके से इन्फ्लुएन्स करना यह जो तरीका अपनाया गया गलत है। क्या श्री सुकुमार सेन ने यह कह दिया कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टे-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

शन में केवल सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट का एक ही तरीका चल रहा है, अगर वे इस प्रकार कह दें तो मैं सदन के अन्दर माफी मांगने के लिये तैयार हूं, अगर वे कह दें प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के और भी तरीके हैं जिनको एडोप्ट किया जा सकता है तो माननीय मंत्री महोदय को उन्हें स्वीकार करना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने तो सिर्फ यह कहा था, सिस्टम के बारे में नहीं । प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन नहीं होना चाहिये, ऐसा उन्होंने कहा था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन्होंने तो कहा था सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट के बारे में, आप लोग कर रहे हैं प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के बारे में ।

श्री उपाध्यक्ष—जब इस बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज डिसकशन होगा डिटेल्स में होगा; तब आप ये सब बातें कह सकते हैं । आपने जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है उसी पर बोलिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी रखते हुए) मैं गलत नहीं कह रहा हूं जब मुझे आर्गूमेन्ट किया जाता है तो I can only provide arguments. I cannot ensure that they will be understood. मैं क्या करूं ।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र को अपना भाषण करते हुए पन्द्रह मिनिट तो हो गये अभी तक वे रिलेवेन्ट बात कह कर खत्म नहीं करना चाहते, जो उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिये जो प्रस्ताव रखा था, वह मानने के लिए तैयार हैं फिर आप आरगूमेन्ट क्यों दे रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप पहले पैनल ऑफ चेयरमेन में आ जाइये फिर आपकी बात मानी जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—No argument

श्री हरिकृष्ण व्यास—अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात कही गई कोन्टीगूअस विलेजेज के बारे में यह कहा गया कि लिंग्वेस्टिक डिफेक्ट है । मैं सदन की जानकारी के लिये उपाध्यक्ष महोदय, उस धारा को फिर से पढ कर सुना देना चाहता हूँ ला डिपार्टमेन्ट की राय की तो बहुत कदर है लेकिन मेरा खयाल है कि सदन के माननीय सदस्य भी इस मसले पर राय बना पायेंगें इसके शब्द यह हैं "Each constituency shall consist of such contiguous villages as may be prescribed." ये शब्द हैं तो एबसोलूट कन्डीशन करते हैं, तो फिर कौन सी और कैसे "such as may be prescribed." इस एरिया से जहां तक आप कह सकते हैं (अश्रव्य) ३६ तक फलाने पुलिस थाने से फलाने पुलिस थाने तक आप कह सकते हैं जयपुर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के इस कोने से लेकर कनकपुरा तक आप वह एरिया प्रेसक्राइब कर सकते हैं जो इस एरिया के तहत में आयेंगे, आप उनके नंबर प्लेस टू प्लेस कर सकते हैं। कन्डीशन यह है They should be contiguous villages. संशोधन जो आपने किया है आपके मुताबिक जो एम्बीग्विटी दूर करनी थी तो आप यह संशोधन प्रस्तुत करते That the constituencies shall consist of contiguous villages formed in such manner as may be prescribed.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, जब कि माननीय मंत्री ने यह मान लिया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय तो फिर ये राइट ऑफ रिप्लाई क्यों ले रहे हैं? जहां इन्होंने दो महिने की अवधि बतायी थी उसकी जगह चार दिन की मान ली गई, फिर भी आप कहे जा रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी खास मन्शा दो महिने की अवधि रखने का यही था कि किसी न किसी तरह यह जो आर्डिनेन्स लागू किया गया है, वह खत्म हो। इसमें क्या कठिनाई हो रही है? हो सकता मैं माननीय मंत्री ने रात्रि को जो मान लिया आप यह चाहते हैं रात्रि को जो फैसले किये गये उससे क्या हम लोग भी अपनी राय बदल देवें?

(राज्य पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

उपाध्यक्ष महोदय, आज पहली बार मुझे हमारे सामने वाले मित्रों से इतना समर्थन मिला, आज वे मुझे एनकरेज कर रहे हैं। उधर बैठने वालों की वलेदिंग का तो कहना ही क्या अनप्रेजेन्ट बात को भी...........

श्री उपाध्यक्ष—आपको सारे डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। आपने काफी टाइम ले लिया है जब इसबिल पर क्लॉज बाई क्लॉज डिसकशन होगा उस समय आप ये सब बातें रख सकते हैं प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के बारे में क्या हो आदि, सब बातें उस समय कही जा सकती हैं। अभी तो आप पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट किया जावे या जो आप दो महिने की अवधि रखना चाहते हैं, उसके बारे में ही कहें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दो महिने, चार महिने की बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, अगर इतना इन्ट्रप्शन नहीं होता तो मैं कभी का खत्म कर देता। मैं अर्ज यह कर रहा था कि जो कोन्टीगुअसविलेजेज़ के बारे में रखने के लिये जो लाइन थी वह यह थी, "That the constituencies shall consist of contiguous villages formed in a manner which is prescribed."

जो कोन्टीगुअस विलेजेज के डिलीशन के लिये जो अमेन्डमेन्ट आया है उस पर यह दलील दी गई है वह दलील सारी वस्तुस्थिति को ढकने के लिये दी गई है। अब मेरा प्रस्ताव यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है कि सिलेक्ट कमेटी से दो महिने के बाद रिपोर्ट मांग ली जाय। एक माननीय मित्र ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है जिसके अन्दर यह कहा गया है। चार दिन के अन्दर अन्दर सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे वैसे माननीय मंत्री महोदय का आर्डिनेन्स है, यह तारीख १६ को खत्म हो रहा है। मैंने उनसे बारबार पूछा यह क्यों, यदि दो महिने रखे जाय तो क्या बिगड़ जायगा आर्डिनेन्स खत्म होजायगा फिर चुनाव कैसे करेंगे ? मैं बड़ी अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि चुनाव के पहले यह अमेन्डमेन्ट पास हो जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—What will be the fate of the existing District Boards ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप इतनी उतावली मत करें।

All the existing district boards will go the way all such redundant and bogus bodies have gone into not only of Jaipur but also of Sawai Madhopur.

उपाध्यक्ष महोदय, असल बात यह है, कि एग्जिस्टिंग जो नोमीनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनका क्या होगा The cat is out of the bag. मेरा ख्याल है कि उनका वही हाल होना चाहिये जो इतिहास के अन्दर ऐसे कारनामों का हुआ करता है। उनके ऊपर रविश डाला जावे आज उनकी जिन्दगीखत्म हो रही है Let the be completely eliminated from the life of Rajasthan.-

जयपुर सवाईमाधोपुर अन्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीकर भूंभनू जो नोमीनेटेड़ हैं, उनका नामो निशान मिट जाना चाहिये. और उनमें काम करने वाले मित्रों को कह दो, जो उधर बैठने वाले है, उनको अभी से फिकर होने लग गई है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बन जायेंगे तो उनकी जीपें चली जांयगी बंगले बनने की गुंजाइश नहीं रहेगें पंचायतों के चुनावों में जीपों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। मेरा यही निवेदन करना है इस प्रकार के नोमीनेटेड़ बोर्डस को मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं not one honest man will weep over these district boards if they go. यदि आपने ऐसा किया तो आपको जनता दुआ देगी, आपको धन्यवाद के प्रस्तावों की कापियां भेजेगी, और यदि हो सकेगा, तो दो चार मालायें भी इसलिये भेज देगी कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बलाय से उनका पिन्ड छुड़ाया, यह आपने महरबानी की।

श्री भैरो सिंह— तो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य की क्या स्थिति होगी?

श्री व्यासः— इसके भंग होने से उनकी स्थिति क्या हो सकती है यह मैं नहीं कहसकता। उपाध्यक्ष महोदय, असल बात यह है कि मैंने जो अपना प्रस्ताव रखा, मेरा दृष्टिकोण यह था कि एक्ट

[श्री भैरोंसिंह]
में संशोधन ठीक प्रकार से होना चाहिये यह दकियानूसी और करचापट्टी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं वे किसी प्रकार कायम न रहे मेरे दो महिने की अवधि रखने का केवल तात्पर्य यह था कि आर्डिनेन्स कम से कम पूरा होजाय। ताकि चुनाव बोर्ड्स के होजाय और नये बोर्ड काम करने लग जांय। यह जो संशोधन लाया गया है उसमें चुनाव में ढील करने की प्रवृत्ति हो रही है।

(घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अब अपनी स्पीच को कोन्क्लूड करना है इन सब कारणों की वजह से, यह जो विधेयक है इसके लिये सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के लिये जो अवधि रखी गई है उसमें आप दो महिना नहीं कर सकते' तो कम से कम १६ तारीख के बाद तक की कम से कम रहे। ताकि यह जो नोमीनेटेड बोर्ड है इनका बोरिया बिस्तर लद जाय यह मेरी साफ नीयत है, और मैं समझता हूं हर प्रजातंत्र में रहने वाले माननीय सदस्य की भी यही नियत होनी चाहिये।

श्री हरि कृष्ण व्यास:— इसलिये मैं अपने प्रस्ताव का फिर से समर्थन करते हुए इसको दोहराते हुये, इस पर जोर देते हुए, दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जावे। अगर आपको दो महीने से घबराहट है तो १५ दिन कर दिये जावें पर १६ तारीख से पहले इसे नहीं लाया जाय, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह चाहता हूं और इसको छिपाने की बात नहीं है, कि उस दिन तक इस बोर्ड की अपने आप जिन्दगी समाप्त हो जाय और यह अपनी नेचुरल डेथ मर जाय, यह अवश्य चाहता हूं और इन शब्दों के साथ में अपनी स्पीच को फिर से दोहराता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः—सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है कल ८ बजे तक के लिए

(सदन की कार्यवाही तत्पश्चात् १२ बजकर ५१ मिनिट पर कल दिनांक ६ अप्रेल, १६५६ के प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—५ अप्रेल, १६५६।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३१६ का उत्तर देखिये)

LIST OF APPROVED NEWS PAPERS.

<u>Jaipur Division.</u>

<u>Jaipur District.</u>

Dailies.	1. Lokwani.
	2. Navyug.
Weeklies.	2. A. Mashal.
	3. Jwala.
	4. Congress Sandesh.
	5. Amarjyoti.
	6. Rajasthan Herald.
	7. Navjeewan Sandesh.
Monthlies.	8. Khata Bhai.
	9. Gram Vikas.
	10. Maru Vani.
	11. Balak.
	12. Rajasthan Chamber Patrika.
	13. Nai Shiksha.
Bimonthly.	14. Rajasthan Red. Cross.

<u>Alwar District.</u>

Weeklies.	15. Alwar Patrika.
	16. Swatantra Bharat.

<u>Bharatpur District.</u>

Weeklies.	17. Navyug Sandesh.
	18. Awaz.
	19. Lalima.

<u>Sikar District.</u>

Weeklies.	20. Praja Bandhu.

<u>Sawai Madhopur District.</u>

Weeklies.	21. Navyug Sandesh.
	22. Gram Vani.

Jodhpur Division.

Jodhpur District.

Weeklies.	23. Praja Sewak.
	24. Lokraj.
	25. Lok Jeewan.
	26. Lalkar.
	27. Vivek.
	28. Prerna.

Bikaner Division

Weeklies	29. Sainani.
	30. Ganrajya.
	31. Lok Jeewan.
	32. Vartman.
	33. Lokmat.
	34. Niryam.

Udaipur Division

Udaipur District.

Weeklies	35. Nav Jeewan.
	36. Aravali.
	37. Pandrah August.

Bhilwara District

Weeklies	38. Lok Jeewan.

Kota Division.

Weeklies.	39. Kishan Sandesh
	40. Janvani.
	41. Dharti ke Lal.

Bundi District.

Weekly.	42. Rajasthan.

Ajmer (Merwara).

Weekly.	43. Meera.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३२८ का उत्तर देखिये)

नागौर जिले में जिन व्यक्तियों को सन् १६५१ से ५६ तक तकावी ऋण पंम्पिग सैट खरीदने हेतु दिया गया उसकी सूची

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति जिसे ऋण दिया गया।	रकम जो दी गई	रकम देने की तारीख	खरीदी या नहीं	विशेष विवरण
	१६५१-५२				
१.	श्री बन्शीलाल जोशी संचालक, नारायण एग्रीकलचर फार्म, सुरियास	५,०००	११,४,५२	नहीं	जिलाधीश द्वारा तहसीलदार को आदेश दे दिया गया है कि रकम दन्ड सहित मय व्याज के वसूल कर ली जाय।
	१६५२-५३				
२.	श्री गंगाराम वर्मा वल्द मेघराम	४७६२	२४,६,५२	हां	
३.	श्री घासीलाल पुरोहित ग्राम पिरवा	४,८५०	२६,६,५२	हां	
४.	श्री रामस्वरूप जैन मेड़ता सिटी	५,०००	१४,१०,५२	हां	
५.	श्री सूरजराम वल्द शिवदास ग्राम डूंगरदास	५,०००	२७,१०,५२	नहीं	जिलाधीश द्वारा तहसीलदार को आदेश दे दिया गया है कि रकम दन्ड सहित मय व्याज के वसूल कर ली जाय।
	१६५३-५४				
६.	श्री बलदेवराम मैनेजर आर्य एग्रीकलचर फार्म मंगलपुरा	१,५००	११,६,५३	हां	
७.	श्री बल्लभदास वल्द मूलचंद ग्राम मोकाला	१,५००	२४,३,५४	हां	
८.	श्री अमरसिंह ग्राम सालपुर	१,५००	१६,३,५४	हां	
६.	श्री अन्नतराम बिस्सा वल्द चुन्नीलाल ग्राम पिरवा	१,५००	२,१२,५३	नहीं	जिलाधीश द्वारा तहसीलदार को आदेश दे दिया गया है कि रकम दन्ड सहित मय व्याज वसूल कर ली जाय।
१०.	श्री बलवन्तसिंह वल्द ठाकुर समुन्दरसिंह ग्राम सरवार	१,५००	३,२,५४	नहीं	

Page No 98

नागौर जिले में जिन व्यक्तियों को सन् १६५१ से ५६ तक तकावी ऋण दिया गया है उसकी सूची

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति जिसे ऋण दिया गया।	रकम जो दी गई	रकम देने की तारीख	खरीदी या नहीं	विशेष विवरण
ट्रैक्टर		१६५१-५२			
१	श्री गोरधनसिंह वल्द रेनमलसिंह मेड़ता	५०००	२६,१,५२	हां	जिलाधीशों द्वारा तहसीलदार को आदेश दे दिया गया है कि रुपया दन्ड सहित मय व्याज के वसूल कर लिया जाय।
२	श्री रनजीतसिंह वल्द ठाकुर लक्ष्मणसिंह मेड़ता	५०००	२६,१२,५१	नहीं	
३	श्री भागसिंह मेड़ता	६०००	१०,१,५२	हां	
		१६५३-५४			
४	श्री बलदेव राम मैनेजर आर्य एग्रीकलचर फार्म मंगलपुर	८५००	११,६,५३	नहीं	वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
५	श्री शम्भूसिंह वल्द बदनसिंह	१००००	२६,३,५४	हां	
		१६५२-५३			
६	श्री अमरसिंह वल्द नेगपाल	५०००	१४,३५३	हां	
		१६५४-५५			
७	श्री गुलाब वल्द गम्भीरसिंह	१००००	२०,८,५४	हां	
८	श्री मोहनसिंह वल्द सांवलसिंह गांव लेडी	१००००	१६,८,५४	हां	
९	श्री दलीपसिंह वल्द ठाकुर सलेमसिंह	५०००	१५,१०,५४	हां	
१०	श्री आनन्दसिंह वल्द शंकर सिंह	७५००	२२,१०,५४	नहीं	जिलाधीश द्वारा तहसीलदार को आदेश दे दिया गया है कि रुपया दन्ड सहित मय व्याज के वसूल कर लिया जाय।
		१६५५-५६			
११	श्री पृथ्वीसिंह ग्राम मंगलाना	७०००			
१२	श्री भागसिंह मोकाला	८४००			

नागौर जिले में सन् ५४-५५ व ५५-५६ में जिन २ व्यक्तियों को अरहट खरीदने के लिये तकाबी ऋण दिया गया उसकी सूची

क्रम संख्या	तकाबी लेने वाले का नाम	रकम जो दी गई	रकम देने की तारीख	खरीदी या नहीं	तारीख जिस पर सरकार को जानकारी हुई	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
			१९५४-५५			
१	श्री रामदीन वल्द टोड़ाराम, तहसील मेड़ता	५००	२९-३-५५	नहीं	९-१२-५५	अरहट अवधि में न लगाने पर ऋण लेने वाले व्यक्तियों को अरहट लगाने की चेतावनी दी गई कि अन्दर एक सप्ताह अरहट नहीं लगाने पर ऋण की दी हुई रकम मय दण्ड के व्याज सहित वसूल की जावेगी। उसके बाद उक्त रकम की वसूली की कार्यवाही जारी है।
२	,, शिवराज वल्द हरबख्श, मेड़ता	५००	२९-३-५५	नही	,,	
३	,, दीपचन्द वल्द नारायणमल, मेड़ता	१०००	३१-३ ५५	नहीं	१०-१२-५५	
४	,, मुलतानमल वल्द गोपी, मेड़ता	५००	२९-३-५५	नहीं	,,	
५	,, रामस्वरूप वल्द किशनलाल, मेड़ता	५००	,,	नहीं	८-१२-५५	
६	,, यादवसिंह वल्द मंगलसिंह, मेड़ता	५००	,,	नहीं	,,	
७	,, दीपचन्द वल्द बुधमल, मेड़ता	१०००	,,	हां		
८	,, लालचन्द वल्द रामचन्द्र	१०००	,,	नहीं	१०-१२-५५	
९	,, मोहेयुद्दीन वल्द शहाबुद्दीन	५००	,,	नहीं	१२-१२-५५	
१०	,, माना वल्द लादू	५००	,,	नहीं	,,	
११	,, लादू वल्द ऊदा	५००	,,	हां		
१२	,, दीन मोहम्मद वल्द हाजी अल्लाउद्दीन	५००	३०-३-५५	नहीं	,,	
१३	,, अर्जुनसिंह वल्द सबलसिंह	५००	,,	,,	,,	
१४	,, धन्ना वल्द देवा	५००	२९-३-५५	,,	,,	
१५	,, नाहरसिंह वल्द सबलसिंह	५००	,,	,,	,,	
१६	,, चूना वल्द बालू कुम्हार	५००	,,	,,	,,	
१७	,, रतना वल्द ऊदा	५००	,,	,,	,,	

क्रम संख्या	तकावी लेने वाले का नाम	रकम जो दी गई	रकम देने की तारीख	खरीदी या नहीं	तारीख जिस पर सरकार को जानकारी हुई	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१८	श्री गीगा वल्द रामबख्श	५००	३०-३-५५	नहीं	१२-१२-५५	
१९	,, राम बल्लभ वल्द बाला बख्श	१०००	३१-३-५५	नहीं		
२०	,, कन्हैयालाल वल्द भूरमल	५००	,,	नहीं	१४-१२-५५	
२१	,, शम्भूसिंह वल्द बदनसिंह	१०००	२२-३-५५	हां		
२२	,, शंकरसिंह वल्द देवीसिंह	५००	३०-३-५५	नहीं	७-१२-५५	
२३	,, जिमनसिंह वल्द तख्तसिंह	५००	,,	,,	,,	
२४	,, कल्यानसिंह वल्द भारतसिंह	५००	२६-३-५५	,,	,,	
२५	,, सवाईसिंह वल्द केसरसिंह	५००	३०-३-५५	,,	,,	
२६	,, किशोरसिंह वल्द नाथूसिंह	५००	,,	,,	,,	
२७	,, रघुनाथ वल्द गंगाराम	५००	,,	,,	,,	
२८	,, जोधाराम वल्द सांवलराम	५००	३१-३-५५	,,	,,	
२९	,, नारायण वल्द रामसुख	५००	३०-३-५५	,,	,,	
३०	,, माधोराम वल्द पीठाराम	५००	,,	,,	,,	
३१	,, गोरधन वल्द सांवलराम जाट	१०००	३१-३-५५	,,	,,	
३२	,, मूलचन्द वल्द गोरधन	५००	३०-३-५५	हां		
३३	,, रामपाल वल्द रावतमल	५००	२८-३-५५	नहीं	४-१२-५५	
३४	,, मोतीराम वल्द मंगनीराम	५००	,,	हां		

क्रम संख्या	तकावी लेने वाले का नाम	रकम जो दी गई	रकम देने की तारीख	खरीदी या नहीं	तारीख जिस पर सरकार को जानकारी हुई	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
			१९५५-५६			
१	श्री पन्नालाल वल्द घासीराम	५००	१-१२-५५	हां		
२	,, बख्तीराम वल्द सुन्डाराम	५००	१२-११-५५	हां		
३	,, नूर मोहम्मद वल्द बल्लूजी	५००	११-११-५५	हां		
४	,, कुंवर यादवसिंह वल्द शम्भूसिंह	५००	२-१-५६	हां		
५	,, नथमल वल्द पांचूलाल	५००	२३-१२-५६	नहीं	११-१-५६	अरहट लगाने का नोटिस दिया गया है और न लगाने की सूरत में रकम दण्ड व्याज से वसूल की जावेगी।
६	,, चतुरभुज वल्द बिहारीलाल	५००	२३-१२-५५	हां		

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३३२ का उत्तर)

List of the persons to whom taccavi loan has been sanctioned for the purchase of the Tractors in BHARATPUR DISTRICT from the year 1950-51 to 1954-55.

S. N.	Name of the party.	Amount sanctioned.
1950-51		
1.	Shri Ghamandi Singh, Tehsil Bharatpur.	3,912/12/-
2.	„ Sher Singh.	4,800/- /-
3.	„ Girvar Raj Singh, Tehsil Pahari.	5,000/-
4.	„ Gurcharan Singh, Teh. Pahari.	5,000/-
5.	„ Paras Ram Singh, Teh. Bharatpur.	15,000/-
6.	„ Raja Man Singhji on behalf of his wife, Teh. Bharatpur.	14,150/-
7.	„ Puskar Singh, Teh. Bharatpur.	5,000/-
8.	„ Inder Singh B. Bhim, Teh. Bayana.	5,000/-
9.	„ Shyam Lal, Teh. Nadbai.	5,000/-
		62,862/12/-
1951-52		
10.	Shri Mahesh Chandra s/o Kesharmal, Tehsil Bharatpur.	5,000/-
11.	„ Sahib Singh, Neemda Gate.	5,000/-
12.	„ Narendra Singh of Weir.	4,788/-
13.	„ Mangal Ram V. Panghat.	5,000/-
14.	„ Bharat Singh, Gindswali.	10,000/-
15.	„ Harbans Singh, Rupla Raisa.	9,986/-
16.	„ Brij Raj of Pahari.	10,000/-
17.	„ Damodar Lal of Panghar.	6,000/-
18.	„ Laxman Singh of Bharatpur.	7,500/-
19.	„ Parmanand of Santirth.	10.160/-

S. No.	Name of the party.	Amount sanctioned.
20.	Shri T. N. Acharya, Jagirdar of Weir.	10,000/-
21.	„ Yadram of Negla Dharsani.	6,000/-
22.	„ Gopal Dass of V. Jharol. Tehsil Nadbai.	9,250/-
23.	„ Ram Saran of Nadbai.	9,587/-
24.	„ Ram Swaroop Sharma, Chetari.	10,000/-
25.	„ Rai Gajendra Singh Teh. Weir.	13,700/-
26.	„ Kalu Ram V. Khera, Teh. Deeg.	5,000/-
27.	„ Radha Kishan Bhardwaj, Sethkamath.	9400/-
28.	„ Ghan Shyam Sharma, Teh. Nadbai.	11,578/-
		1,57,549/-

1952-53

S. No.	Name of the party.	Amount sanctioned.
29.	Shri Jai Deo Singh V. Pahus.	5,000/-
30.	„ Mangilal Meena of Kharliganj.	5,000/-
31.	„ Yadram s/o Buddu Singh B. Baheri Teh. Bayana.	5,000/-
32.	„ Nehal Singh Takshak, V. Simpani, Teh. Bharatpur.	8,102/-
33.	„ Girdhari Singh B. Jhagina.	9,500/-
34.	„ Ram Parsad s/o Jhuna Singh.	8,790/-
35.	„ Girraj Parsad of Nadbai.	9,442/-
36.	„ Subedar Singh, Director Dholpur Co-operative Farm, Teh. Bari.	10,000/-
37.	„ Jagdish Singh, Subedar Singh. etc. of Sewar.	9,715/-
38.	„ Silendra Kumar Shrimal Chand Kumari Yogwati Devi, Purohit Mohalla.	10,000/-
39.	„ Bhonri Singh of Morali Kalan.	10,000/-
40.	„ Gopal Ram s/o Pandit Ram Chandra, Teh. Bayana.	10,000/-
41.	„ Prem Nidhi, Professor, Maharani Shri Jai College.	10,000/-
42.	„ Bhagwan Singh, Govind Niwas, Bharatpur.	10 000/-
43.	„ Kaila Bux and Durga Parsad, Teh. Behror.	10,000/-
44.	„ Raghunath Singh, Rupbas.	10,000/-
	Total Rs.	1,40,549/-

S. N.	Name of the party.	Amount sanctioned.
1953-54		
45.	Shri Mati Harendra Kumari w/o Veer Rajendra Singh, Dholpur. Teh. Dholpur.	5,000/-
46.	,, Desh Raj s/o Th. Chittor Singh, V. Jhangina.	10,000/-
47.	,, Balwant Singh s/o Ajeet Singh, Daljeet Singh, of V. Megla Tekala.	7,282/-
48.	,, Mool Chandra Shiv Charan of Kalyanpura.	10,000/-
49.	,, Ramji Lal Bhonrilal of Jaishi Teh. Nagar.	9320/-
50.	,, Fateh Singh of Bighwari.	9,000/-
51.	,, Gurucharan Singh, of Chaknagle.	8,500/-
52.	,, Girraj Singh of Bhdara.	8,000/-
53.	,, Gulab Singh, Aghapur.	10,000/-
54.	,, Sardar Singh s/o Birbal Singh V. Jhagina, Teh. Bharatpur.	10,000/-
55.	,, Ratan Singh of Rudawal, Teh. Rupbas.	10,000/-
	Total.	97,102/-
1954-55		
1.	Shri Panna Singh & Attar Singh, V. Mandhapur, Teh. Rupbas.	10,000/-

Page No 105

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्न कर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

(a) Is it a fact that gates of the main Jawai Canal are out of order and one of the gates is not opening ?

(b) If yes to 'A', then why this defect is there and who is responsible for it ?

(c) Will the Minister consider that owing to bad water supply at tail ends of the Canal in last watering, the water rates would be reduced for those who have suffered owing to lack of water supply, as gates were all not opened ?

उत्तर

(a) No.

(b) In view of reply to Question (a) this does not arise.

(c) In view of reply to Question (a) this does not arise.